खण्ड-208, अंक-5
सोमवार, 7 पौष, शक संवत् 1881
(28 दिसम्बर, 1959 ई0)

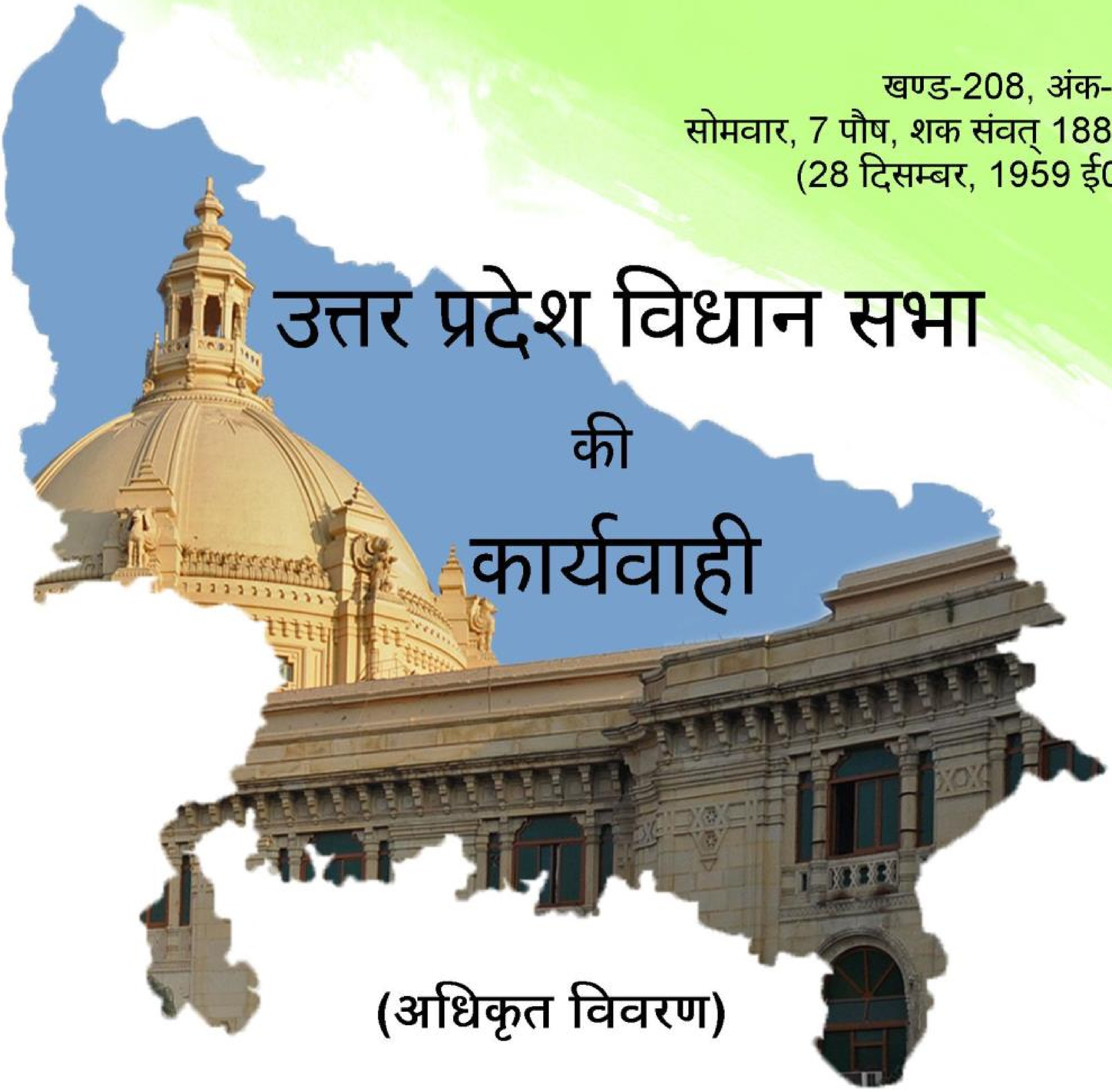

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 208 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २८ दिसम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५६

अक्षयवरसिंह, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुलर ऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम , श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुरुप्रसादसिंह ,श्री
गुलाबसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फ़र्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह, आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री

बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदहुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुजफ्फ़र हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राधवराम पाण्डेय, श्री
राधवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री

उत्तर प्रदेश विधानसभा

रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लखमीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह,
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार

विधान सभा उत्तर प्रदेश

सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २८ दिसम्बर, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य के उत्तरी सीमान्त क्षेत्र के विकास के लिए प्रार्थना

**१—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार की ओर से पिछले सप्ताह में कोई ऐसा आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि "बोर्डर एरिया" में शीघ्र विकास किया जाय? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या किया?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—जी नहीं। इस प्रकार के कोई आदेश केन्द्रीय सरकार से पिछले सप्ताह में प्राप्त नहीं हुए।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान पं० जवाहरलाल नेहरू के उस बयान की ओर गया है जो कि उन्होंने मेरे पत्र के हवाले में १५ तारीख को पार्लियामेंट में दिया जिसका हवाला आपकी आज्ञा से मैं यहां भी देना चाहता हूं:

"The Union Government have asked the U. P. Government to consider measures to eleviate economic distress caused among the border people as a result of dislocation of trade with Tibet."

यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकार दोनों सतर्क हैं और माननीय सदस्यों से मेरी दर्ख्वास्त है कि बार्डर एरियाज के सम्बन्ध में अगर वे सड़कों से सम्बन्धित ब्योरे के प्रश्न न पूछें तो अच्छा होगा।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मानसून सत्र में जिन विकास कार्यों के आश्वासन सरकार ने इस सदन में दिये थे उनमें सड़कों को छोड़कर और बातों में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बार्डर एरियाज के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आने वाला है उसमें यदि समय मिला तो कम से कम संक्षेप में उन बातों के सम्बन्ध में जिक्र करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं माननीय मुख्य मंत्री के इस मत की सराहना करते हुये कि सड़कों के बारे में विस्तृत प्रश्न न पूछे जायं, यह जानना चाहता हूं कि कल के हिन्दुस्तान टाइम्स में जो मुख्य खबर छपी है कि यू० पी० सरकार ६५ करोड़ रुपया सड़कों पर खर्च कर रही है और १० सड़कों के नाम भी दिये हैं, यह किस प्रकार प्रकाशित हो गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह मैं नहीं कह सकता कि किस प्रकार समाचार प्रकाशित हो जाते हैं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि समाचार-पत्रों को यदि किसी बात का पता भी हो तब भी देशभक्ति का खयाल रखते हुये ऐसे समाचारों का संवरण करना चाहिये।

तारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर जिले के भट्ठे

*१—**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कुल कितने भट्ठे हैं और उन में से कितने सहकारी हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—कुल १६३ भट्ठे हैं जिनमें ४५ सहकारी हैं।

*२—**श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहकारी भट्ठों को १९५९ में कितनी-कितनी गाड़ी कोयला दिया गया और प्राइवेट भट्ठों को कितना दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सहकारी भट्ठों को ४३७ गाड़ी तथा प्राइवेट भट्ठों को २,०९१ गाड़ी।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सहकारी भट्ठों की ओर से यह शिकायत आई है कि उनको उनकी जरूरत के अनुसार कोयला नहीं दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ऐसी कोई शिकायत नहीं है, उनको काफ़ी कोयला मिला है। करीब ९.७१ वैगन्स उनको मिले हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या माननीय खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो प्राइवेट भट्ठे हैं उनमें कितने बी क्लास और कितने ए क्लास के हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार भविष्य में सहकारी भट्ठों को प्रोत्साहन देने की स्कीम पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो सरकार की नीति है ही। इसके पहले प्रश्न किया गया था कि 'ए' और 'बी' क्लास के कितने भट्ठे हैं वह मैं बता दूं कि ३८ 'ए' कैटेगरी के और ४३ 'बी' कैटेगरी के हैं। और सहकारी भट्ठों को प्रोत्साहन देने की नीति तो सरकार की है ही।

उन्नाव जिले में मत्स्य विभाग के अन्तर्गत व्यय

*३—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में मत्स्य विभाग के अन्तर्गत साल सन् १९५७–५८ व १९५८–५९ में प्रत्येक वर्ष कितना धन व्यय हुआ और किन-किन मदों में और इन्हीं वर्षों में अलग-अलग कितनी आय हुई ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—उन्नाव जिले में मत्स्य विभाग के अन्तर्गत १९५७–५८ व १९५८–५९ में क्रमशः १७,२५६.३८ रु० और २१,७४४·५५ रु० व्यय हुआ जिसका विवरण संलग्न तालिका में दिया है।

उक्त वर्षों में क्रमशः २४,२४४.८१ रु० और १९,७०९.०३ रु० की आय हुई।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४४५ पर)

श्री सजीवनलाल—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ के मुक़ाबले में १९५९ में आमदनी घटने का क्या कारण है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—इसके दो-तीन कारण हैं। पहले तालाबों में मछली पकड़ने का अधिकार सब से ऊंचे बिडर को दिया जाता था। हमने सोचा कि इससे मिडिलमैन बहुत कमा लेता है, इसलिये फिशरमैनों की सहकारी समितियां बनाकर पिछले तीन साल के औसत पर बग़ैर बिड कराये उनको दे दिये। इस प्रकार से ५ तालाब दिये गये। दूसरा कारण यह है कि पहले ८१,२०० फिन्गर लिन्ग्स डाली गई थीं, फिर १,३९,०९० फिंगर लिंग्स डाली गईं जिनका नतीजा साल दो साल बाद निकलेगा। कुछ नरसरी का और कुछ थोड़ा जीप की मरम्मत का खर्चा है।

श्री सजीवनलाल—वे पांच तालाब कौन कौन से हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—नामों के लिये नोटिस चाहिये। पांचों उन्नाव जिले के हैं और सहकारी समितियां भी वहीं की हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—ये कोआपरेटिव सोसाइटीज़ क्या रजिस्टर्ड हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने तो सिर्फ़ एक ही सोसाइटी के लिये कहा और जब तक वह रजिस्टर्ड न हो, मैं उसे कोआपरेटिव सोसाइटी ही नहीं मानता हूं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—ये ५ तालाब एक ही समिति को दिये गये हैं, या अलग-अलग ?

श्री मोहनलाल गौतम—जहां तक मुझे याद है, एक को ही दिये गये हैं।

श्री प्रतापसिंह—यात्रा व्यय में सन् ५७-५८ में ८४०.९० रुपये और ५८–५९ में १,२२८.६५ रुपये हैं, तो क्या कर्मचारियों को दूर तक जाना पड़ा या नया स्टाफ़ भर्ती किया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—जब काम लेने का ज्यादा जोर होता है तो उनको घूमना भी ज्यादा पड़ता है।

आजमगढ़ जिले में अवैध चीनी का पकड़ा जाना

*४—**श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला पूर्ति कार्यालय से नवम्बर, १९५९ में ७० बोरा चीनी फ़र्जी परमिट और फ़र्जी नामों के हस्ताक्षर से लेकर बाहर भेजी जा रही थी जिसे पुलिस ने पकड़ा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह सत्य है कि (सत्तर) ७० बोरा चीनी स्थानीय पुलिस ने माह नवम्बर में शहर में ही पकड़ी।

*५—**श्री मुक्तिनाथ राय (अनुपस्थित)**—यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पुलिस इसकी जांच कर रही है।

*६–७—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

*८–९—**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)—[स्थगित]

सहायक रजिस्ट्रार, श्री निहालसिंह, का स्थानान्तरण

*१०—**श्री रामकृष्ण सारस्वत** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के सहायक रजिस्ट्रार श्री निहाल सिंह का तबादला फर्रुखाबाद से उन्नाव हो गया था और उन्होंने वहां पर चार्ज भी ले लिया था और उन्हें फिर एक हफ्ते के अन्दर ही उन्नाव से पुनः फर्रुखाबाद वापस भेज दिया गया? यदि हां, तो तबादले में सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां। वह उन्नाव में बारह दिन रहे। इनके तबादले के सिलसिले में सरकार का २६१ रुपये २० नये पैसे व्यय हुआ।

*११—**श्री रामकृष्ण सारस्वत**—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के सहायक रजिस्ट्रार जो जिला सहकारी संघ, फर्रुखाबाद के अवैतनिक मंत्री भी थे, के विरुद्ध जिला सहकारी संघ ने १३–८–५९ को कोई प्रस्ताव पास किया था और उसके आधार पर उप-मंत्री सहकारिता विभाग ने फर्रुखाबाद जाकर जांच भी की थी? यदि हां, तो उस जांच की रिपोर्ट क्या है और उस जांच पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो इस का क्या कारण है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां। जांच जिलाधीश द्वारा कराई गई है जो विचाराधीन है।

*१२—**श्री रामकृष्ण सारस्वत**—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी संघ फर्रुखाबाद के अवैतनिक मंत्री पद पर श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी को नामजद किया गया है और यदि हां, तो क्या उनके नाम की सिफारिश जिले से आयी थी और क्या संघ का बहुमत उनके विरुद्ध है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रामकृष्ण सारस्वत—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री निहालसिंह का तबादला क्यों किया गया और उन्हें उसी जिले में १२ दिन के बाद फिर भेजने की क्या आवश्यकता थी?

श्री मोहनलाल गौतम—कोशिश यह की जाती है कि तबादले मई, जून या जुलाई में ही हों ताकि बच्चों के पढ़ने लिखने की सुविधा रहे। उनका तबादला होने पर गवर्नमेन्ट को मालूम हुआ कि उन्होंने बहुत सी बेईमानियों की खोजबीन की थी और उनके जाने से उसमें हानि होगी। इसलिये उन्हें वापस भेज दिया गया।

श्री रामकृष्ण सारस्वत—क्या यह सही है कि श्री निहालसिंह फर्रुखाबाद में दलबन्दी में पड़ गये थे और सक्रिय भाग लेने लग गये थे और उन पर आरोप सिद्ध भी हो गये थे तब उनका तबादला किया गया?

श्री मोहनलाल गौतम—दलबन्दी में कैसे पड़ गये, यह नहीं मालूम है। लेकिन बेईमानी पकड़ने वालों के कुछ लोग खिलाफ हो ही जाते हैं।

श्री प्रतापसिंह—उनका तबादला करने के पहले सरकार ने यह क्यों नहीं सोचा कि उनके जाने और न जाने में क्या अन्तर पड़ेगा?

श्री मोहनलाल गौतम---बेईमानी पकड़नेवाला आदमी कन्ट्रोवर्शल हो ही जाता है। कुछ लोग उसकी शिकायत करते हैं और शासन को यह देखना पड़ता है कि उसे बेईमानी पकड़ने के लिये सजा न मिल जाय। सहकारी विभाग चूंकि जनता के ही लोगों का होता है इसलिये उसका शोर और भी ज्यादा होने लगता है। रजिस्ट्रार महोदय ने यह किया होगा, मैं ज्यादा नहीं जानता हूं।

श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या उनकी पकड़ी बेईमानियां सही पाई गईं और वे किस किस्म की थीं। यदि सही पाई गईं तो सरकार ने क्या कार्यवाही बेईमानी करनेवालों के विरुद्ध की ?

श्री मोहनलाल गौतम---सहकारी विभाग में बेईमानियां गलत रुपया देने की, रुपया लेकर वापस न करने की, ज्यादा कोयला देकर भट्ठा चलाने की और ठीक हिसाब न रखने की, इसी तरह की बेईमानियां हैं। मैं श्री पालीवालजी को विश्वास दिला सकता हूं कि उसमें रू-रियायत करने का मेरा कोई इरादा नहीं है।

श्री रामकृष्ण सारस्वत---जिलाधीश फर्रुखाबाद ने श्री निहालसिंह के ट्रांसफर होने पर सरकार को विरोधपत्र भेजा था ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---गवर्नमेंट के अफसरों में राय में भेद को यहां रखना मुनासिब नहीं है, वह शासकीय चीज है और प्वाइंट आफ व्यू और एप्रोच में फर्क हो ही सकता है। वह हमारे देखने की चीज है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---श्री निहालसिंह ने बेईमानी के कितने मामले पकड़े ?

श्री मोहनलाल गौतम---नोटिस चाहिये, कई केसेज का तो मैंने सुना है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या यह सही है कि फर्रुखाबाद के कई विधान सभा के सदस्यों ने भी उनके तबादले की मांग की है ?

श्री मोहनलाल गौतम---विधान सभा के सदस्य क्योंकि यहां रहते हैं वे ट्रांसफर करन और उसे कैंसिल करने की बातें कहते रहते हैं, लेकिन मैं उसे बहुत कम वजन देता हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि एक पोलीटिकल ग्रुप के लोग उनका ट्रान्सफर चाहते थे और दूसरे पोलीटिकल ग्रुप के लोग ट्रान्सफर नहीं चाहते थे ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह बिल्कुल गलत है। एक साथ काम करने वाले लोगों की भी डिफरेन्ट रायें हो सकती हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बतायेगी कि जब से ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब पुनः फर्रुखाबाद पहुंचे हैं, बेईमानियां कम हो गयी हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह तो कहना मेरे लिये मुश्किल है क्योंकि यह ओपीनियन का सवाल है।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि सहकारी समिति, फर्रुखाबाद को अपना मंत्री चुनने का अधिकार है ?

श्री मोहनलाल गौतम---मंत्री रजिस्ट्रार द्वारा नामजद किया जाता है।

सहकारी समितियों के एकाउन्टेन्ट नियुक्त करने के नियम

*१३—श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समितियों के एकाउन्टेन्ट नियुक्त करने के लिये विभाग ने किन किन नियमों का पालन करने के लिये जिला कोआपरेटिव अधिकारियों को आदेश भेजे थे ?

*१४—क्या सरकार उन नियमों की एक कापी सदन को मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो आदेश जारी किये गये हैं उनकी प्रतिलिपि मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४४६ पर)

*१५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[स्थगित]

धान की उपज

*१६—श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले तीन फसली वर्षों में पृथक-पृथक धान की उपज कितनी हुई और प्रति एकड़ औसत क्या रहा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—पिछले तीन फसली वर्षों में चावल की पैदावार तथा प्रति एकड़ औसत उपज के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

फसली वर्ष	चावल की पैदावार टनों में	चावल की औसत उपज मन प्रति एकड़ में
१९५६-५७	२२,८५,७२३	६.२१
१९५७-५८	२३,०१,०३५	६.१९
१९५८-५९	२९,८४,४५०	७.७३

*१७-१८—श्री इन्दुभूषण गुप्त (अनुपस्थित)—[स्थगित]

प्रश्नों के स्थान के संबंध में शिकायत

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—प्रध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि १८ प्रश्नों में से ६ प्रश्न चौथे सोमवार को स्थगित कर दिये गये हैं यानी एक-तिहाई प्रश्न और चूंकि असेम्बली स्थगित हो रही है, अतः अब उनके आने की कोई संभावना नहीं है । ये प्रश्न दो हफ्ते पहले आ चुके थे । इसलिये स्थगित कराने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता । इससे मालूम होता है कि विभाग की तरफ से कितनी ढिलाई दिखाई जाती है ।

श्री अध्यक्ष—इसमें से कुछ प्रश्न सरकार ने स्थगित कराये हैं और कुछ सदस्यों ने । गवर्नमेन्ट को और सदस्यों को यह तो नियमों के अनुसार अधिकार है ही कि वे एक बार अपने प्रश्न स्थगित करा सकते हैं ।

श्री राजनारायण द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास श्री राजनारायण जी का एक कामरोको प्रस्ताव भट्ठों के बारे में है कि कोई साहब वहां अनशन कर रहे हैं। वह कोई बात सार्वजनिक महत्व का नहीं है। इसलिये मैंने उसकी इजाजत नहीं दी है।

नियम ५२ तथा ५३ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अन्तर्गत जिन ५ प्रश्नों की सूचना मेरे पास आयी है उनमें से मैं समझता हूं, श्री भजनलाल का महत्व का है। वे आज इस समय हैं नहीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, एक मेरा है, वह ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---लेकिन वह महत्व का नहीं है।

नियम ५३ के अन्तर्गत श्री राजनारायण जी का एक प्रश्न है जिसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं क्योंकि नियम ५३ के अन्तर्गत ऐसे कई मंजूरशुदा प्रश्न हैं जिनके लिये ही समय नहीं मिल रहा है। वे बहुत महत्व के प्रश्न हैं जो कि बाकी हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, मेरा नियम ५२ के अन्तर्गत जो एक श्री कृपाल दत्त पटवारी याने (सब-इन्सपेक्टर) द्वारा एक आदमी श्री कालिका चरण सिंह को जहर देने के बारे में है, जिसे डाक्टर के यहां जाने पर कै कराई गई जिससे वह बच गये, फिर प्रभाव पड़ने पर कै को बदला गया, वह बड़े महत्व का है।

श्री अध्यक्ष---तो ठीक है, यह अदालत में मुकदमा दिया गया होगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मुकदमा नहीं किया गया है, मैं तो चाहता हूं कि मुकदमा हो। उस आदमी को जहर दिया गया जिसने अस्पताल में जाकर कै किया था और जिसका ऐसा बयान भी दर्ज किया गया।

श्री अध्यक्ष---वह आदमी मर तो गया नहीं, वह मुकदमा कर सकता था लेकिन उसने मुकदमा भी नहीं किया है इसलिये मैं नियम ५२ के अन्तर्गत इसके लाने की इजाजत नहीं देता। अगर वह मर गया होता तो फिर मैं इसको महत्व देता। उसने तो मुकदमा भी नहीं किया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---वह मुकदमा कैसे करे। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल दें।

श्री अध्यक्ष---यह प्राइवेट बात है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---प्राइवेट बात नहीं है श्रीमन्, यह तो जनता की जान व सुरक्षा के खतरे में पड़ने की बात है।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधक बोर्ड के लिये मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---मुझे सदन को एक सूचना देनी है। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधक बोर्ड के लिये निम्नलिखित नाम निर्देशन पत्र दिनांक २४-१२-५९ के सायंकाल ५ बजे तक प्राप्त हुए हैं जो दिनांक २६-१२-५९ को सूक्ष्म परीक्षा के उपरान्त ठीक पाये गये हैं---

१---श्री तेजबहादुर सिंह (आजमगढ़)
२---श्री नारायणदत्त तिवारी (नैनीताल)

३—श्री चिरंजीलाल जाटव (एटा)
४—श्री अवधेशकुमार सिन्हा (सीतापुर)
५—श्री अभयराम (इटावा)
६—श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट (नैनीताल)
७—श्री अजीज इमाम (मिर्जापुर)
८—श्री रामसिंह (आगरा)
९—श्री कैलाशप्रकाश (मेरठ)

ये ९ नाम हैं जिनमें से २ चुने जाने हैं। नाम वापस लेने की तारीख ३१ दिसम्बर, १९५९ है और चुनाव ४ जनवरी, १९६० को है, लेकिन उस समय तक सदन शायद बैठेगा नहीं। इसलिये मैं सदन को सूचना दे देता हूं कि अगर आप में से किसी को आपत्ति न हो तो ऐसी अवस्था में पोस्टल बैलट के द्वारा राय ले ली जाय। इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है?

(आवाजें—नहीं है।)

तो फिर ऐसा ही होगा।

बरोल, जिला झांसी, में हरिजन किसानों की झोपड़ियों में आग लगाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वित्त मंत्री का वक्तव्य (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार एक प्रश्न श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी का हरिजनों की झोंपड़ी जला देने के बारे में था, उसमें स्पष्टीकरण कुछ बाकी रह गया था। वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम इस बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जानकारी हासिल करके बतला देंगे। तो उनके पास जानकारी आ गयी हो तो वे बतला दें।

***वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)**—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास अभी इसकी रिपोर्ट आयी है और उसमें यह पता चलता है कि असल में जब जमींदारी खतम हुई तो यह गांव जिसका नाम बरोल है, उसमें ९३६ एकड़ वेस्ट लैंड और १,१२२ एकड़ जंगल, यह सरकार को मिले। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंन्ट ने १,०९७ एकड़ जंगल को हवाले कर दिया जंगलात विभाग के और इसको गजट में छपवा दिया।

श्री अध्यक्ष—बाकी पंचायत को दे दिया?

श्री सैयद अली जहीर—जो बकाया है, वहां बरोल गांव में एक नदी है, फिर बेतवा नदी है तो बीच में एक जजीरा सा हो जाता है। एक बड़ी धारा बेतवा की इस तरफ है और दूसरी धारा उस तरफ है तो जो बीच की जमीन आइलैंड वाली थी उसको जंगल डिक्लेअर कर दिया गया जिसमें से २० एकड़ जमीन पर उन लोगों ने कब्जा करना चाहा था और वहां पर कुछ जंगल काट डाला और खेती शुरू की और कुंआ भी खोदने की कोशिश की, यह तमाम तमाशा उन्होंने किया। जब इस का पता चला तो मामला फारेस्ट आफिसर ने जा कर पकड़ा और इंडियन फारेस्ट ऐक्ट की दफा २६ के मातहत मुकदमा चलाया, उस के बाद वह लोग जमानत पर छोड़े गये। अभी मुकदमा चल रहा है इस जुर्म के लिये, लेकिन उस के बाद भी जहां तक मुझे कल इत्तला मिली है एक आदमी फिर उस जगह पहुंचा है और उसने जंगल से ही कुछ घास और बल्लियां वगैरह काट कर झोपड़ी बनाने की कोशिश की, जब कि उस को भी कोई हक किसी चीज को काटने का नहीं था और न कोई इजाजत ही उसने ली थी। वहां कोई उस के रहने का सवाल भी नहीं था उसने छप्पर बनाना चाहा था,

†२३ दिसम्बर, १९५९ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब डी० एफ० ओ० गये तो उन्होंने देखा कि वह छप्पर बनाने की कोशिश कर रहा है, वह मुकम्मिल भी नहीं हुआ था, वहां सिवा लकड़ी वगैरह काटने के सामान के और कोई घर गृहस्थ का सामान भी नहीं था, सिर्फ कुल्हाड़ी वगैरह और एक दो बर्तन वहां थे। उस से कहा गया कि यह काम तुम हरगिज न करो, यह कानून के खिलाफ है और मुकदमा अभी चल रहा है, फूंसफांस जो था जो जंगल का ही था वह उन्होंने जला दिया यह वाकया है। अब वह खुद गलती महसूस करता है और माफी भी मांगने को तैयार है और न किसी को कोई हैजान है और न बेचैनी है, हमारे माननीय सदस्य अलबत्ता उस को इतना तूमार दे रहे हैं, शायद दो तीन रुपये का फूंस अगर हो तो हो, उस को उन्होंने हटाना शायद इसलिये मुनासिब न समझा क्योंकि वह तो जैसा मैंने बताया एक जजीरा-सा है, एक तरफ बेतवा है, दूसरी तरफ जंगल है और तीसरी तरफ गांव है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस जमीन का खाता नम्बर १४८ है और आजतक नियम ४ के अनुसार उस का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर---नोटिफिकेशन हो चुका है, वह मेरे पास है गजट माननीय सदस्य चाहें तो देख सकते हैं।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---नोटिफिकेशन नहीं हुआ है और उसके विरुद्ध फारेस्ट सेटिलमेंट आफिसर झांसी कब्जा किये हैं, कायदे में कोई हक फारेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं है, वहां खेतों की फसल तक रेवेन्यू विभाग ने कुर्क की है, केवल गांव समाज का उससे सम्बन्ध है।

श्री सैयद अली जहीर---यह इत्तला हमारी इत्तला के विरुद्ध है और सही नहीं है कि फारेस्ट विभाग का कब्जा है, कोई झगड़ा हमारा उन का नहीं है। हमने सेटिलमेन्ट आफिसर मुकर्रर किया है कि वह जंगल के आसपास के लोगों के हुकूक को मालूम करें और उनके मामलात तय करें ताकि सारे मामले डिटरमिन हो जायं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---माननीय मंत्री जी ने बताया कि अभी मुकदमा चल रहा है, जब मुकदमा अभी फैसल नहीं हुआ है तो इस दौरान में वन विभाग ने यह छप्पर या घास जलाई तो क्यों जलाई ?

श्री सैयद अलीजहीर---अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा अर्ज किया कि उसको झोपड़ी कहना तो मुनासिब नहीं है, वह जंगल की घास थी जिसको काटने का उसे कोई अधिकार नहीं था, वह जंगल की घास और बल्लियां थीं, थोड़ा बहुत बनाया था इसलिये उस को जलाने के लिये मजबूर हो गये, कुछ बनी थी कुछ बनाने जा रहा था। ऐसी बात नहीं थी कि बाकायदा कोई झोपड़ी हो और उसमें कोई रह रहा हो या आबाद हो।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में उन अधिकारी से दरयाफ्त किया कि उसने जब मुकदमा चल रहा था तो यह जलाने की कार्यवाही, या गैरकानूनी कार्रवाई क्यों की और कानून अपने हाथ में क्यों लिया ?

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, इस तरह से कानूनशिकनी की अगर ताईद की जायगी तो उससे और ज्यादा कानून शिकनी बढ़ेगी। वहां पर कोई इस किस्म की फीलिंग नहीं है कि किसी का मकान जला दिया गया। मैं यह समझता हूं कि कुछ लोग शायद उनको गलत रास्ता दिखला रहे थे इस वजह से यह बात हुई। लोगों ने खुद अपनी गलती महसूस कर ली और वह बात खत्म हो चुकी है। मुकदमा जो चल रहा है वह तो चलेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--नियमों के अनुसार यह अनिवार्य है कि अगर कोई सरकार की सम्पत्ति नाजायज तरीके से किसी ने अधिकृत कर ली हो तो सरकार उसे ले लेती है और फिर नीलाम होता है, तो इसमें सरकारी अधिकारियों ने नियमों का पालन क्यों नहीं किया और उसे क्यों जला दिया ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरे खयाल में यह सदन समझ गया है कि सूरते हाल क्या है। जंगल में, आप जानते हैं कि, थोड़ा सा ला आफ जंगल भी चलता है। (तालियां तथा शोर) इस तरह की कार्यवाही अगर न होती तो उसमें सरकार का और ज्यादा नुकसान होता और किसी को उससे फायदा होने वाला नहीं था।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार इस बात को समझ रही है कि जो सरकार की ओर से जवाब हो रहा है वह भी जंगल का ही ला है ?

श्री अध्यक्ष---उत्तर तो वह बिलकुल स्पष्ट दे रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वह ला आफ जंगल जो जंगल में चलता है, जंगल तक ही सीमित है या उनके विभाग में भी चलता है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--यहां कोई खतरा नहीं है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैंने स्लिप लिखकर भेज दी थी कि इस सम्बन्ध में भी जानकारी मिलनी चाहिये। क्या सरकार न रेवेन्यू विभाग से भी इस बात की जानकारी की है कि जहां हरिजनों की झोपड़ियां जलाई गईं वह जमीन ग्राम समाज की थी ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, वह बिलकुल ग्राम समाज की नहीं थी। वह जंगल की थी।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आग लगाने के पहले उक्त किसानों ने डी० एफ०ओ० के पैरों पर सिर रखा और प्रार्थना की कि सामान हटा लेने दीजिये। लेकिन उन्होंने सामान नहीं हटाने दिया और उनका २४ सेर आटा, १२ मन गल्ला, १३ चारपाइयां इत्यादि सब सामान जल गया जिसका आज भी ढेर पड़ा है ?

श्री सैयद अली जहीर--जैसा मैंने पहले अर्ज किया, जो इत्तला मेरे पास आई है वह इसके बिलकुल विरुद्ध है। किसी का कोई सामान नहीं जला।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या यह सही है कि वे झोपड़ियां घास-फूस की नहीं थीं बल्कि मिट्टी की थीं, लकड़ी की थीं और उन पर खपरैल भी था ?

श्री सैयद अली जहीर---मैं बार-बार दोहरा रहा हूं कि यह जो वाकयात बयान कर रहे हैं, वे ठीक नहीं हैं।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--अध्यक्ष महोदय, मैं कल गया था वहां पर....

श्री अध्यक्ष--आप जब अपनी जानकारी देते हैं तो इंक्वायरी के लिये तो आप कह सकते हैं लेकिन आप अपनी जानकारी ही देते चले जायं तो यह तो कोई प्रश्न नहीं होता।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी इस सारे वाकये की जांच कराने के लिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर को नियुक्त करें।

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अर्ज किया, इसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और मामला सब-जुडिस है। अगर कोई जुर्म होगा तो सजा मिलेगी। उसमें सब वाकयात पेश कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारा इतना नुकसान हुआ।

श्री गज्जू राम (जिला झांसी)---क्या सरकार को ज्ञात है कि ५ जून, १९५४ को जो सरकार ने नम्बर वन विभाग को दिये हैं गजट में, नम्बर ७ उस गजट में नहीं है?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे पास तो जो गजट की कापी है वह तो १८ अक्तूबर, १९५२ की है और उससे यह मालूम होता है कि यह ऐलान हुआ था कि बरोल में....

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य नम्बर ७ ही के बारे में पूछ रहे हैं।

(वित्त मंत्री को जवाब देने में कुछ विलम्ब होने पर)

मैं समझता हूं तब तक दूसरा सवाल कीजिये।

श्री गज्जूराम---क्या सरकार बतायेगी कि गांव सभा ऐक्ट १५ (सी०) में एस० डी० एम० ने उस जमीन में जो वहां के हरिजनों ने काश्त की थी, उसकी कुर्की की है?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या मंत्री जी के पास इस आशय की शिकायतें आयी हैं कि वन विभाग के अधिकारियों ने पुलिस की मदद से उन किसानों के जानवरों को घरों से निकलवा कर कांजीहौस में बन्द करा दिया और उनके हल वगैरह को नदी में बहवा दिया?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं ऐसी कोई इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---इस हाउस की फीलिंग को जानते हुए और माननीय सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी को देखते हुए जो उन्होंने सदन में दी, मंत्री जी को क्या दिक्कत है जिलाधीश या कमिश्नर से फिर इन्क्वायरी कराने में ताकि जो तथ्य हैं वे सदन के सामने आ जायं?

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, मुकदमा चल रहा है और उसमें अगर इन बातों की जांच न हुई और फिर भी कहा गया कि किसी बात की कमी रह गई तो जांच की जा सकती है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन हरिजनों के मकान जिनको डी० एफ० ओ० ने जलवाया कितने दिनों से वहां बने हुए थे?

श्री सैयद अली जहीर---मकान बनाने का कोई सवाल ही नहीं है। सवाल तो यह है कि इन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया था, उनकी गलती थी और वे पकड़े गये, १३ आदमियों पर मुकदमा चलाया गया। जब मुकदमा चल रहा था तो उस दौरान में एक शख्स ने वहां झोपड़ी बनाने की कोशिश की जिसका यह झगड़ा है और यह किस्सा है---

श्री राजनारायण---एक वैधानिक प्रश्न है, श्रीमन्। इस सदन में मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जंगल का कानून वहां लागू था। तो मैं समझता हूं मंत्री जी स्वतः प्रेरित कर रहे हैं विधान को तोड़ने के लिये और एक प्रकार से यह पद का दुरुपयोग है.....

श्री अध्यक्ष---बगैर उसके भी आप कर लेते हैं।

श्री राजनारायण---हो सकता है यह अवहेलना का प्रश्न हो। इसलिये मैं नोटिस में लाये देता हूं और यह विशेषाधिकार का प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।

श्री अध्यक्ष---खैर, आप देख लीजिये।

श्री सैयद अली जहीर---मैं नम्बर ७ वाला जवाब दे दूं। इसमें यह मालूम होता है कि नम्बर ७ जिसका एरिया है १४०.५५ एकड़, यह १९ मई, १९५४ के गजट में आर्डर था जो कि शाया हुआ ५ जून, १९५४ के गजट में। सेक्शन ४ में इंडियन फ़ारेस्ट ऐक्ट में ऐलान कर दिया गया कि यह फ़ारेस्ट डिपार्टमेंट का है।

श्री गज्जूराम---क्या माननीय मंत्री इस गजट और इसके ऐलान की कापी दिलाने की कृपा करेंगे?

श्री सैयद अली जहीर---गजट की कापी सबको मिल सकती है। तारीख मैंने बतला दी है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि यह नम्बर ७ आज भी लेखपाल के कागजात में मिनजुमला दर्ज है यानी १४० एकड़ वन विभाग का और ८ एकड़ गांव समाज का?

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, एक तरफ़ तो कहा जा रहा है कि नम्बर ७ है ही नहीं लेकिन अब कहा जा रहा है ८ एकड़ खेत दर्ज है और १४० एकड़ वन विभाग में।

श्री अध्यक्ष---श्री सुदामा प्रसाद जी, आप अपना प्रश्न स्पष्ट कर दें।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---मैं यह जानना चाहता हूं कि नियम ४ के अनुसार नम्बर ७ गजट नहीं है, लेकिन पटवारी के कागजात में आज भी १४८ एकड़ में ८ एकड़ गांव समाज में और १४० एकड़ वन विभाग में मिनजुमला दर्ज है और इसका कोई डिमार्केशन नहीं हुआ है और यह मिनजुमला बन्द है?

श्री अध्यक्ष---यह सूचना है, प्रश्न नहीं है।

सर्वश्री रामसेवक यादव, भगौती प्रसाद वर्मा तथा जंगबहादुर वर्मा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत गृह मंत्री का वक्तव्य---(क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष---अब गृह मंत्री जी नियम ५२ के अन्तर्गत राजनारायण जी का जो प्रश्न था उस सम्बन्ध में सदन को सूचना देंगे।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---जो सूचना मुझे मिली है जिलाधीश, बाराबंकी से वह इस प्रकार है। श्री रामसेवक यादव तथा श्री जंगबहादुर वर्मा जी १६ तारीख को गिरफ्तार हुए भारतीय दंड विधान की धारा ३४१ के मातहत और १७ तारीख को जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, नवाबगंज के इजलास में पेश किये गये। जुडीशियल मैजिस्ट्रेट ने १८ तारीख तक के लिये रिमांड दिया और १८ तारीख को फिर १ बजे यह अदालत में उपस्थित किये गये। तब तक चार्ज शीट नहीं आई थी। इसलिये जुडीशियल मैजिस्ट्रेट ने २ जनवरी, १९६० के लिये रिमांड दे दिया था। उसी दिन डेढ़ बजे के करीब श्री राम सेवक यादवत था जंगबहादुर वर्मा जी दोनों की ओर से सम्मिलित जमानतों की दरख्वास्तें पड़ीं और प्रेसाइडिंग आफिसर ने उसे पब्लिक प्रासिक्यूटर के पास उसी दिन भेजा और फिर ५ बज कर १० मिनट पर पब्लिक प्रासिक्यूटर की रिपोर्ट लौट कर आयी। उस वक्त तक अदालत बन्द हो चुकी थी। १९ तारीख को मैजिस्ट्रेट ने जमानत की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया यद्यपि कोर्ट बन्द हो चुकी थी लेकिन जो श्योरिटीज थीं वे १९ तारीख को तस्दीक के लिये अदालत ने भेजीं और २१ तारीख को वे तस्दीक हो कर आ गयीं। जहां तक श्री रामसेवक जी का सम्बन्ध है, २१ तारीख

*२४ दिसम्बर, १९५९ की कार्यवाही से।

को श्री रामसेवक जी जमानत पर छूटगये । श्री जंगबहादुर वर्मा जी की जमानती दरख्वास्त अब तक तस्दीक हो कर आयी नहीं है, यह २५ तारीख की रिपोर्ट है मेरे पास । तब तक वह जेल में ही थे ।

श्री भगौती प्रसाद वर्मा, एम० एल० ए०, १७ तारीख को भारतीय दंड विधान की धारा १४७/३४१ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और फ़तेहपुर के जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के सामने उसी रोज ११.१५ बजे प्रस्तुत किये गये । उन्होंने उनको ३० दिसम्बर तक रिमांड दिया । उनकी ओर से १८ तारीख को १ बजे मैजिस्ट्रेट के इजलास में जमानत की दरख्वास्त पड़ी जिसे जुडीशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने पब्लिक प्रासिक्यूटर के पास रिपोर्ट के लिये उसी दिन भेज दी और १९ तारीख को वह रिपोर्ट आने पर उन्होंने जमानत पर छोड़ने का फ़ैसला किया एक हजार रुपये का पर्सनल बांड और उसी रकम की दो श्योरिटीज़ ले करके । १९ तारीख को श्योरिटीज़ और पर्सनल बांड भरे गये जिसे मैजिस्ट्रेट ने वेरिफ़िकेशन के लिये भेजा । २२ तारीख को वेरिफ़िकेशन की रिपोर्ट आयी और २३ तारीख को श्री भ गौती प्रसाद वर्मा जी छोड़ दिये गये । क्योंकि वेरिफ़िकेशन की रिपोर्ट शाम को आयी थी और उस पर अदालत ने हुक्म देने के बाद जब जेल भेजा तो जेल उस समय बन्द हो चुकी थी इसलिये २३ तारीख को श्री भगौती प्रसाद वर्मा जी छोड़ दिये गये ।

श्री अध्यक्ष—एक आपत्ति उसमें यह थी कि अदालत में कोई भी मैजिस्ट्रेट मौजूद नहीं था, इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसका सम्बन्ध मुझसे ही था । रिपोर्ट में तो है कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट होम मिनिस्टर की विजिट के सम्बन्ध में बहुत व्यस्त थे । यह बात बिलकुल गलत है इसलिये कि १ बजे तक तो कलेक्टर के यहां स्टाफ़ मीटिंग हो रही थी जिसमें यह जुडीशियल मैजिस्ट्रेट मौजूद थे और १ बजे के बाद ये लोग अपने काम पर अदालत में आ गये और शाम तक रहे । अदालत बन्द होने के बाद ही कहीं गये होंगे । इतना मैं कह दूं कि मैं खुद ३, ३.१५ बजे के करीब रवाना हुआ था और एक, आध मिनट ४ बज कर हुए होंगे जब मैं बाराबंकी पहुंचा था । कोई दिन भर रहने की बात नहीं थी । एजुकेशन डिपार्टमेंट की यूथ रैली थी, उसमें उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, लिहाजा कोई स्वागत सत्कार की जरूरत नहीं थी जिस में लोग लगे रहते ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या यह सही है कि श्री रामसेवक जी को और श्री जंगबहादुर जी को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, नवाबगंज ने आरम्भ में जबानी ५–५ सौ रुपये के जाती मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया था, मगर उसका कोई लिखित आर्डर नहीं था और जब इनकी तरफ़ से मुचलके देने की बात हुई तो जो उनके पेशकार आदि होते हैं वे खोजने लगे कि कहीं आर्डर है या नहीं, फिर आर्डर लें किस से, वे सब लोग तो माननीय शिक्षा मंत्री के स्वागतार्थ उस स्कूल में गये थे जहां पर फ़ंक्शन हो रहा था । फिर जो कुछ लिखित कार्यवाही की वह उस स्कूल से ही की, कोर्ट में आये भी नहीं और स्कूल से ही १–१ हजार रुपये के मुचलके और श्योरिटी के लिये लिख कर भेज दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, हो सकता है कि वह ५ बजे के बाद स्कूल में गये हों क्योंकि जो रिपोर्ट हैं उसमें यह है—

"The bail application with the report of the Public Prosecutor was received by the Judicial Magistrate at 5.10 p. m. after the court had closed and bail was granted by him then and there."

तो ५.१० मिनट पर रिपोर्ट आयी पब्लिक प्रासिक्यूटर की । ४ १/२ बजे के करीब मैं वहां पहुंचा और अदालत बन्द होने के बाद मैं समझता हूं कोई जुर्म नहीं था उनका वहां जाना । गये होंगे और उनके सामने दरख्वास्त पेश हुई होगी । यह तो रिपोर्ट में है कि ५ बजकर १० मिनट पर हुई ।

श्री राजनारायण—क्या यह सत्य है कि ढाई बजे के बाद कोई भी मैजिस्ट्रेट अदालत में नहीं था और तमाम मंत्री जी के स्वागत में चले गये थे। इसके सम्बन्ध में बार एसोशियेशन से या अन्य प्रकार से माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, किसी जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है क्योंकि रिपोर्ट मौजूद है। एक बजे मैजिस्ट्रेट मौजूद थे। उनके सामने दरख्वास्त आयी। उन्होंने पब्लिक प्रासिक्यूटर के पास दरख्वास्त को रिपोर्ट के लिये भेजा। रिपोर्ट ५ बजे के बाद आयी। उस पर उन्होंने आदेश दिया। इसलिये इसमें किसी जांच की जरूरत महसूस नहीं होती है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि जिस पब्लिक प्रासिक्यूटर की वे चर्चा कर रहे हैं, वे भी उसी दफ्तर में काम करते थे तो उनके पास कागजात कब गये और उनका दफ्तर कहां है और जुडिशल मैजिस्ट्रेट का दफ्तर कहां है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, दफ्तर का नक्शा तो मुझे मालूम नहीं है। जो रिपोर्ट सामने है वह यह है कि एक बजे जमानत की दरख्वास्त पड़ी जिसको पब्लिक प्रासिक्यूटर के पास रिपोर्ट के लिये भेजा गया ५ बजे के बाद रिपोर्ट आयी और उन्होंने तुरन्त उस पर आदेश जारी किये और जमानत की दरख्वास्त मंजूर की। मैं नहीं समझता कि किस बात की जांच की जाय।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि सदन के माननीय सदस्य बेलेबिल आफ़ेन्स में पकड़े गये और श्योरिटी की रकम इसलिये ज्यादा रखी गयी कि वह न छूट सकें ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आक्षेप है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस समय वे चले और किस समय उनका पहुंचना निश्चित था ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने बता दिया है।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, यह नहीं बताया कि किस समय उनका पहुंचना निश्चित था।

श्री अध्यक्ष—मतलब यह है कि आप जानना चाहते हैं कि उनके पहुंचने का पहले समय क्या था ?

श्री शिवप्रसाद नागर—जी हां।

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो मुझे याद नहीं है। जो यहां के डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा था कि तीन बजे चलना होगा और मैं तीन बज कर दो-चार मिनट पर ही रवाना हुआ और चार बजे के करीब पहुंचा होऊंगा।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को जानकारी है कि इस अदालत ने इस मामले के पूर्व आजतक किसी भी मामले में ५०० रुपये के श्योरिटी और मुचलके के लिये तस्दीक करने के लिये तहसील में नहीं भेजा है जब कि दूसरे लोग डकैती आदि अपराधों में पकड़े गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अदालत ने क्या किया इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एक बजे तक जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की मीटिंग होती रही जब कि कोर्ट में केसेज पेंडिंग रहे, तो वह ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कोर्ट के काम में हर्ज न हुआ करे ?

श्री अध्यक्ष--यह इससे पैदा नहीं होता है । यह तो आम बात है ।

श्री गेंदा सिंह--क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इसी पब्लिक प्रासीक्यूटर ने, जिसने ५ बजे के बाद कागजात भेजे उसने रिमांड के लिये सिफारिश की होगी तो जिस समय रिमांड लिया गया उस समय कौन-सा रीजन दिया गया ? क्या यह दिया गया कि हमारे यहां तफतीश नहीं हो सकी है तो आगे भी मुलजिम को हवालात में रखा जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पुलिस की कोई रिपोर्ट इस समय मेरे पास नहीं है । इन्फारमेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मंगाई थी और जो इन्फारमेशन उन्होंने दी वह सामने मौजूद है ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को जानकारी है कि श्री राम सेवक यादव के संबंध में तस्दीक की कार्यवाही पूरी होकर अदालत में नहीं आई थी जिससे एक हजार रुपया नगद दाखिल हुआ और नगद रुपया दाखिल करके ही वे छोड़े गये हैं ? यह एम० पी० हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना यह है कि १,००० रुपया नकद नहीं बल्कि श्री राम सेवक जी का २०० का एक नैशनल सर्टिफिकेट था और ८०० का एक नैशनल सर्टिफिकेट था ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो बेलेबिल आफेंस (जमानती अपराध) होते हैं उसके सम्बन्ध में यह लिखा हुआ है :

Where.....

श्री अध्यक्ष--यह कहां से आप पढ़ रहे हैं ?

श्री राजनारायण--यह सी० पी० सी० की धारा ४९६ है ।

"Where any person accused of a bailable offence is detained by a Police Officer or appears or is brought before a Court and if such person is prepared to give security for his relcase, Police Officer or the Court shall release him on his bond with or without sureties."

तो क्या सरकार को यह मालूम है कि अगर जमानती अपराध के सिलसिले में कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है और वह तैयार हो जाता है कि हम जमानत पर जाना चाहते हैं तो मैजिस्ट्रेट को हक है कि चाहे उनको जाती मुचलके पर छोड़ दे या उसके साथ जमानत भी ले, तो जब अपराध बेलेबिल है और वह एम० पी० या विधान सभा के सदस्य हैं, उनकी हैसियत इतनी काफी है और २०० रुपया महीना भी पाते हैं, तो मैजिस्ट्रेट को जाती मुचलके पर छोड़ना आवश्यक माना जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--यह तो आप कानूनी राय पूछ रहे हैं । मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं । किसी मैजिस्ट्रेट ने अपना जजमेंट क्या दिया, इसको क्वेश्चन यहां आप नहीं कर सकते ।

श्री राजनारायण--क्या माननीय कमलापति त्रिपाठी, शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी हो गयी थी कि वे बाराबंकी में जायंगे तो जो शिक्षा विभाग की गड़बड़ियां हैं, उनके सम्बन्ध में उनको काले झंडे दिखाये जाने वाले हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह आपके प्रश्न में नहीं है ।

श्री राजनारायण--इसीलिए तो नहीं छोड़े गये ।

श्री अध्यक्ष--जो आपने मूल प्रश्न में नहीं रखा, उसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री राजनारायण--हमारे प्रस्ताव में स्वागत की बात तो है । स्वागत तो कई प्रकार से होता है । (हंसी)

श्री अध्यक्ष--हो सकता है कि आप को काले झंडे का स्वागत पसन्द हो । मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक प्रासीक्यूटर से जो रिपोर्ट मांगी गयी थी, वह उनसे किस बात की रिपोर्ट मांगी गयी थी जब कि चालान के साथ दफाओं का पर्चा दाखिल हो जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह है सूचना, मान्यवर--

"Joint bail application was moved by the counsel of Sri Ramsevak Yadav and Sri Jang Banadur Varma, M. L. A., which was sent by the Presiding Officer to the Public Prosecutor for report."

श्री राजनारायण--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि १९-१२-१९५९ को ए० पी० पी० ने अपनी रिपोर्ट लगा दी कि भगौती प्रसाद जी वर्मा को छोड़ दिया जाय और हमारे वकील अनन्तराम जी जायसवाल, जो उस समय अदालत में मौजूद थे, उनसे कोर्ट ने कहा कि हम लंच के बाद आते हैं और जमानत की मन्जूरी देते हैं । तो कोर्ट के उठने के बाद और लंच के लिये जाने के बाद उसी दिन पी० पी० जाते हैं और वह अदालत से कागजों की फाइल लेते हैं और कागज लेकर दूसरा नोट लिखते हैं और ए० पी० पी० के विरुद्ध लिखते हैं कि ऐसे लोगों को यदि जमानत पर छोड़ा जायगा तो ये ऐसे लोग हैं जो पुनः अदालत के सामने हाजिर होने में गुरेज करेंगे । तो जब एक ओर ए० पी० पी० ने रिहा करने की रपट लगा दी और अदालत ने लंच के बाद उस पर आर्डर करने को कहा तो क्या यह सही है कि ए० पी० पी० की रपट के विरुद्ध पी० पी० ने रपट लगायी कि चूंकि ये अदालत के सामने हाजिर होने में गुरेज करेंगे, इसलिये इनकी एप्लीकेशन मन्जूर न की जाय और इसको तफ्तीश के लिये भेजा जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, जो सूचना मेरे पास थी वह मैंने दे दी । अब वहां अदालत में पी० पी० से क्या-क्या सम्वाद हुआ, इसकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है । उनके लिये रिपोर्ट यह है कि भगौती प्रसाद जी वर्मा १७ तारीख को गिरफ्तार होते हैं और उसी दिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फतेहपुर के सामने पेश किये जाते हैं । उन्होंने ३० दिसम्बर के लिये रिमान्ड दे दिया । उनकी जमानत की एप्लीकेशन १८ तारीख को १ बजे के करीब पड़ती है । उस बेल एप्लीकेशन को पी० पी० के पास रिपोर्ट के लिये भेज दिया और १९ तारीख को वह रिपोर्ट आ गयी । मैजिस्ट्रेट ने एक हजार की पर्सनल बांड और दो उसी रकम की जमानतों पर रिहा करने का आदेश दे दिया । वे मुचलके मैजिस्ट्रेट ने उसी दिन वैरिफिकेशन के लिये उनको भेज दिया और उनके यहां से वैरिफिकेशन होकर वह रिपोर्ट २२ तारीख की शाम को आयी और २३ तारीख को उनको रिहा कर दिया गया ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को यह पता है कि पी० पी० साहब ने ए० पी० पी० की रपट के विरुद्ध जो रपट दी है उसमें उन्होंने क्या लिखा है ?

श्री अध्यक्ष--जब उनके पास डिटेल नहीं है तो चाहे आप १० प्रश्न भी उनसे पूछें आपको उनका जवाब नहीं मिलेगा ।

श्री राजनारायण--तो मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करूंगा कि वे पूरी जानकारी हमको कल दे दें ।

श्री अध्यक्ष--अब इस प्रश्न को अधिक प्रोलांग नहीं किया जा सकता ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उनका बेल का राइट था और बेल के लिये उसी दिन उनकी अप्लीकेशन पड़ चुकी थी तो उनको एक दिन और हिरासत में क्यों रखा गया और क्यों यह सी० आर० पी० सी० के प्राविजन के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने निवेदन किया कि वेरीफिकेशन की रिपोर्ट २२ तारीख को आई और उसी दिन अदालत ने रिहाई का आदेश दिया और वह जेल भेजा गया। यह आदेश जेल में देर से पहुंचा, शाम हो गई थी और जेल बन्द हो चुकी थी। इसलिये प्रातःकाल २३ को किया।

आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--अब माननीय राजनारायण जी ने कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूछा था। तो माननीय मुख्य मंत्री जी इस हफ्ते के कार्यक्रम के बारे में बता दें।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**--अध्यक्ष महोदय, अभी तो दो-तीन बिल एजेंडे पर ही हैं। यानी एक तो जिस पर विचार हो रहा है--अन्तरिम जिला परिषद् का, दूसरा हस्तिनापुर नगर विकास मंडल वाला बिल है, तीसरा केन सेस का बिल है और एक अमेंडमेंट वाला संकल्प है। तो ये चार होंगे और मैं चाहता हूं, जैसा कि माननीय सदस्यों का अधिकांश का ख्याल है, कि वह तिब्बत वाला रिजोल्यूशन उसके बाद ले लिया जाय और कल सदन की बैठक खत्म हो जाय।

एक चीज मैं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शायद पहले दिन जब कि मैं मजबूरन अनुपस्थित था, आपने ऐसा विचार प्रकट किया था कि कानपुर फायरिंग के सम्बन्ध में और गन्ने के सम्बन्ध में यहां कुछ विचार हो जाय। फायरिंग के बाबत श्री लक्ष्मीरमण आचार्य ने आपसे कुछ निवेदन किया था और सम्भवतः आपने कुछ फैसला उस पर कर दिया होगा, इसलिए मैं उस सम्बन्ध में तो कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन यह मेरी दरख्वास्त आपसे जरूर है कि थोड़ा-सा समय एक घंटे का ही सही, कल सदन खत्म हो जाने के बाद यानी ५ बजे के बाद गन्ने के बाबत यदि आप दे दें तो अच्छा ही होगा क्योंकि केन प्राइस के सम्बन्ध में इस सदन में और सदन के बाहर बहुत-सी गलतफहमियां फैल रही हैं या फैलाई गई हैं; मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट का रुख उस सम्बन्ध में स्पष्ट हो जाय तो अच्छा होगा। इसके सिवाय और इस सेशन में कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--हमको इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना है और वह यह कि देखा जाय, माननीय मुख्य मन्त्री जी को विदित होगा कि हम लोगों के पास जो कार्यक्रम भेजा गया था उसमें सदन की बैठक ७ जनवरी तक चलेगी, इस तरह की बात थी और जितने विधेयक सरकार की ओर से प्रस्तुत किये गए वह उसी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किये गए कि ७ तारीख तक सबका समाधान हो जायगा। अब किसी भी प्रकार हो, यह सदन, माननीय मुख्य मन्त्री जी कह रहे हैं, सम्भवतः कल ही तक चलेगा। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमको इस समय विधेयकों पर चर्चा बन्द कर देनी चाहिए। हम चीन का प्रश्न पहले ले लें क्योंकि श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस सम्बन्ध में काफी उत्सुकता है। बाहर की पब्लिक में भी उत्सुकता है और अक्सर बहुत से लोग पूछा भी करते हैं कि पहले ही दिन चीन वाला सवाल आने को था और अब सदन उठने वाला भी है। तो अब इस सम्बन्ध में देर नहीं होनी चाहिए। चीन वाला प्रश्न ले लिया जाय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

और फिर इसके बाद जो विधेयक हों वह चलें और उसमें जितनी दूर तक हो सकेगा उतना उसको हम लोग जल्दी से जल्दी पास करने की कोशिश करेंगे और यदि आवश्यकता महसूस हो तो कल नहीं सदन परसों उठ जाय। एक दिन और बैठ जाय तो क्या आपत्ति होगी। इसलिए आपके द्वारा मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि चीन के मसले को तो अब टालना नहीं चाहिए। उसको अविलम्ब ले लेना चाहिए। और विधेयक के बारे में जैसा वह चाहेंगे उस सम्बन्ध में कोई न कोई व्यवस्था कर लेंगे जो सभी को सन्तोष-प्रद हो।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो राजनारायण जी ने अभी कहा यह स्वाभाविक है कि सारे देश को और इस सदन को भी अपने सीमा-सम्बन्धी झगड़ों को देखते हुए चिन्ता हो, तो मैं ऐसा समझता हूं कि उसको अभी ले लेना चाहिए और उस पर दोनों दिन विवाद हो जैसा कि सबने एक मत से तय किया था कि दोनों दिन आज और कल उस पर विवाद हो, और चीन पर विवाद करने के बाद अगर कोई ऐसे प्रस्ताव हों या बिल हों जिनके कि अगले दो-तीन हफ्ते टलने से कोई नुकसान पहुंचता हो तो उस पर विचार कर लेंगे।

लेकिन मैं यह समझता हूं कि इसी समय से चीन पर बात होनी चाहिये और जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, चीनी वाला मामला भी कम चिन्ता का नहीं है लेकिन इन दोनों मामलों में इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि चीन वाला मामला अधिक चिन्ता की बात है।

श्री अध्यक्ष---आपकी खास चिन्ता तो चीनी वाले मामले में होगी।

श्री गेंदासिंह---चीनी वाले मामले को भी मैं खास चिन्ता की बात समझता हूं और उसमें भी एक घंटा जो समय मांगा गया है उसमें तो सरकार केवल अपनी बात ही कह पायेगी, सदस्यों की बात वह सुन नहीं सकती। आपने जो उसके लिये ढाई घंटे का समय निश्चित किया था उससे कम नहीं होना चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, चीन का जो प्रश्न है यह बहुत महत्वपूर्ण है और माननीय गेंदासिंह जी ने जो बात कही है, उसका मैं समर्थन करता हूं कि आज ही हम इसको ले लें और बाकी जो बिल्स हैं उसके बारे में माननीय मंत्री जी हम लोगों से बात कर लें। जो बिल्स विशेष महत्व के हैं उनको थोड़े से समय में भी पास करने को हम लोग तैयार हो जायंगे और जो महत्व के नहीं हैं उनको अगले सेशन के लिये टाला जा सकता है। इस सब का विचार हम लोगों को आपस की बात से किया जा सकता है। लेकिन चीन वाले मामले में जो पलटा आया है उसको देखते हुये अब इसको टालना अधिक अच्छा न होगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसको आज से ही प्रारम्भ किया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय सदन के नेता से प्रार्थना करूंगा और विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे प्रधान मंत्री ने हाल ही में यह शब्द कहे हैं कि चीन का ईश्यू डेंजरस ईश्यू है। अब जो ईश्यू राष्ट्र भर के लिये डेंजरस है उसको इतना महत्व दिया जाना चाहिये कि उस पर विवाद के लिये पूरे दो दिन हों और बाकी विधेयकों की व्यवस्था क्या हो इस संबंध में माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल से मिल कर तय कर लें और उस हिसाब से काम हो जायगा। लेकिन चीन वाले मामले के लिये पूरे दो दिन रहें, यही मैं चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मुझे भी सुन लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा । राजनारायण जी अपनी बात कह चुके हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---कानपुर के संबंध में मेरी बात आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष---फैसला मैं करूंगा । आप कह चुके हैं और मैं सुन चुका हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---लेकिन यह जो वाद-विवाद हुआ है . . . .

श्री अध्यक्ष---यह वादविवाद नहीं हुआ है, जो फैसला मैं दूंगा वह होगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आप मेरी बात सुनने के बाद फैसला दें ।

श्री अध्यक्ष---मैं सुन चुका हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---इसके माने यह हुए कि आप बिना सुने ही फैसला दे देंगे ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---अध्यक्ष महोदय, २८ तारीख इस चीन संबंधी विवाद के लिये इसीलिये निश्चित की गयी थी कि २४ तारीख को पूरा समय इस पर विवाद के लिये नहीं मिल सकता था और २८ तारीख को जो कार्यक्रम लाया गया है वह इतना ज्यादा है कि दिन भर विवाद कर के भी हम उसे पास नहीं कर सकते बशर्ते कि पूरा सदन यह निश्चय कर के ही न बैठ जाय कि हम को इसे पास करना है और ऐसी हालत में तो हम १० मिनट में ही इस सब को पास कर सकते हैं । तो मेरी दरख्वास्त है आप के द्वारा नेता सदन से कि ऐसे बिल जो अत्यन्त अनिवार्य हैं उन के लिये आज कुछ समय निकल जाय तो मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं है, बाकी आज का पूरा समय और कल का दिन भर, पुरानी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार इस चीन संबंधी विवाद के लिये होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---इस संबंध में काफी बातचीत हो चुकी है . . .

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, एक गरीब सदस्य का निवेदन भी है . . . .

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, कृपा कर हठ न करें । मेरे ऊपर ही आपकी कृपा हर वक्त सवार रहती है । यह क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर बैठें ।

इस संबंध में चर्चा पहले भी हो चुकी है । मैं चाहता था कि आपस में बातचीत होकर कोई रास्ता निकल आता जिससे कि प्रस्ताव आ सकता लेकिन वह नामुमकिन रहा । जो भी बातचीत होनी चाहिये आप सब लोगों में, पार्टियों के बीच में, वह मैं चाहता हूं कि साफ खुले हृदय से होनी चाहिये । उसमें फिर आपस में कोई मतभेद नहीं होना चाहिये । जो कुछ भी आप तय करें वह सच्चाई के साथ होना चाहिये । मैंने उस समय यह देखा और यह हो सकता है कि अगर चीन के मामले पर पहले बहस हो जायेगी तो फिर सिर्फ एक ही बिल के ऊपर ४ रोज तक भी बहस चल सकती है । तो ऐसी अवस्था में सदन का कोई समय किसी कार्यक्रम के लिये मैं मुकर्रर नहीं कर सकता हूं । जब तक आप सब लोग कुछ तय नहीं कर लेते, यह ठीक नहीं होगा कि चीन वाला प्रस्ताव पहले ले लिया जाय और बिल्स बाद में लिये जायं । नियम ५३ के अनुसार बहस के लिये समय मुकर्रर होता है । यह हो सकता है कि बिल्स कल ले लिये जायं और बहस आज हो जाय उस प्रस्ताव पर । तो इसके लिये भी पहले आपसी निश्चय

[श्री अध्यक्ष]

होना चाहिये । आप लोग नेता सदन से बात कर लें और फिर जो निश्चय हो वह मुझे बता दिया जाय । उसके बाद यह चीज हो सकती है । वैसे पहले बिल पर ही बहस होगी और बिल्स हो पहले लिये जायेंगे । आप लोग दोपहर में यह तय कर लें और मुझे बता दें कि किस वक्त से प्रस्ताव पर बहस शुरू हो । आप नेता सदन से बातचीत करके तय कर लें और फिर जो फैसला मेरे सामने आयेगा उसे मैं स्वीकार कर लूंगा और अगर नहीं आता है तो स्वीकार नहीं करूंगा । फिर जो कार्यक्रम है वह नियमानुसार ही चलेगा ।

श्री गेंदासिंह--श्रीमन्, मैं खुले दिल से ही कहना चाहता हूं कि ३१ तारीख को सदन बैठ जाय और . . . . . .

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसके लिये भी आप दोपहर में बातचीत कर लें और फिर जो कुछ तय हो वह आप मुझे बता दें ।

श्री गेंदासिंह--श्रीमन्, चीन के मसले पर आज ही पहले बहस शुरू कर दी जाय और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि ३१ तारीख को भी यह सदन बैठ जाय । उस दिन जो भी बिल्स जरूरी हों वह पास कर लिये जायं । हम उनको पास कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--आप उसके लिये भी पहले बातचीत कर लें । अब श्री गौरीशंकर राय अपना भाषण जारी रखेंगे ।

*उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) (विधेयक) १९५९ (क्रमागत)†

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--अध्यक्ष महोदय, अन्तरिम जिला परिषद् के बारे में वार्ता चल रही है तो मैं इस समय इस संबंध में केवल एक ही बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि सरकार कृपा करके यह बता दे कि इस तरह से यह टालने की तिथि कब तक चलती रहेगी और वह कब तक टालती रहेगी इस चीज को ? वह कौन सी तारीख होगी जब तक कि वह इनका इलेक्शन करा लेगी ? और मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है, अगर सरकार यह कह देती है कि फिर इसके बाद तारीख नहीं बढ़ाई जायेगी और सरकार इसको जंगल के कानून की तरह नहीं बरतेगी ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी संक्षेप में माननीय स्वायत्त मंत्री महोदय से यही पूछना है कि जिस संशोधन विधेयक को आज सदन के सामने लाया गया है और चुनाव को टाला जा रहा है यह कब तक होता रहेगा ? पहले एक आर्डिनेंस लाये, फिर उसके जरिये जुलाई में एक विधेयक इस सदन में लाया गया और अब यह विधेयक हमारे सामने है । मैं स्वायत्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में जो बिल इस समय पेश है, वह क्यों नहीं लाया गया ? आप देखें कि ३० जुलाई, १९५८ को एक अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक आता है और एक साल बाद फिर दूसरा विधेयक हमारे सामने लाया जाता है । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस तरह से चुनाव को क्यों टाला जा रहा है ? उन्होंने अपने पिछले भाषण में इस बात को कहा था कि हम शक्ति का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं ताकि जो गांव के लोग हैं उनमें जनजीवन जागृत हो

---

*२२ दिसम्बर, १९५९ की कार्यवाही में छपा है ।

†२४ दिसम्बर, १९५९ की कार्यवाही से ।

सके और वे अपने कार्यभार को स्वयं संभाल सकें, इन तमाम बातों पर बोलते हुए उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि हम शीघ्रातिशीघ्र इसमें चुनाव करायेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि ३० जुलाई, १९५९ को एक बिल लाया जाता है और उसके तुरन्त बाद फिर ५ अगस्त को दूसरा विधेयक लाया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता है और फिर १ साल का आप समय क्यों ले रहे हैं? ६ महीने का ही क्यों नहीं लिया जा रहा है? मैं चाहता हूं कि ६ महीने का समय मांगें क्योंकि इसका संबंध गांव के ४ करोड़ लोगों से है, उससे अधिक न टालें। वैसे मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करता और फिर विचित्रनारायण शर्मा जी की नीयत पर शक करना गलत बात होगी लेकिन इतना अवश्य चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराये जावें।

दूसरी बात यह है कि जिला मैजिस्ट्रेट आज जिला अन्तरिम परिषद् के अध्यक्ष हैं। उनकी ट्रेनिंग जनतंत्रीय ट्रेनिंग नहीं है। आज तृतीय पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट हो रहा है तो इन जिला मैजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में प्लान का बनना डेमोक्रेटिक नहीं होगा। यह एक बड़ा अहम सवाल है कि आज जिलाधीश जिलों में तानाशाह बनकर बैठा हुआ है और मुझे डर है कि वन मंत्री के उस भाषण के बाद जिसमें उन्होंने "ला आफ जंगिल" कहा है इन तानाशाहों को और अधिक बल मिलेगा और ये सभी अफसर अपनी कुर्सियों का नाजायज फायदा उठावेंगे। उनको वन मंत्री के भाषण से प्रोत्साहन मिलेगा। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि १ साल का समय न लें, ६ महीने का समय पर्याप्त है। मैं इस बात के समर्थन में तो हूं कि समय बढ़ाया जाय लेकिन एक बार बढ़ाया जाय और ६ महीने के लिये बढ़ाया जाय। यह न हो कि फिर विधेयक बनाया जाय और फिर टाइम बढ़ाया जाय। यों तो उनकी थम्पिंग मैजारिटी है वह जो चाहेंगे करेंगे। यह दूसरी बात थी कि एक दिन हमने थोड़ी देर के लिये सरकार को एक अमेंडमेंट पर हरा दिया था, लेकिन उनको जनता की भावना को समझना चाहिये और संविधान की स्पिरिट को समझना चाहिये। बारबार समय बढ़ाना उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपील करता हूं कि माननीय मंत्री जी ६ महीने वाली मेरी मांग को स्वीकार करें।

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मेरी प्रार्थना यह है कि आप हर पार्टी के एक-एक आदमी को बोलने दीजिये। इतनी जल्दी करके क्यों हम पर अविश्वास करते हैं?

श्री अध्यक्ष---इसी विचार से कि जल्दी कार्य समाप्त हो, क्लोजर का सवाल लिया जाता है।

(घंटी बन्द होने के उपरान्त)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष---इस विधेयक में सिर्फ अन्तरिम जिला परिषद का समय बढ़ाने का सवाल है। प्रवर समिति के लिये ३ महीने का समय बढ़ाने का प्रस्ताव आप पास ही कर चुके हैं इसलिये इसमें कोई ज्यादा व्याख्यान की जरूरत नहीं है। दो-तीन व्याख्यान हो ही चुके हैं।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---११२,

विपक्ष में---१५।)

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, जब मैं वाक-आउट करता हूं तो मेरे साथ कोई नहीं जाता.....

श्री अध्यक्ष---आप अपना स्थान ग्रहण करें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---श्रीमन्, जो बहस इस विधेयक पर हुई, मैं समझता हूं, वह कतई अनावश्यक थी। यह सारे आक्षेप, यह सारे प्रश्न पूछे गये थे जिस समय प्रवर समिति के लिये मैंने जिला परिषद् विधेयक इस सदन के अन्दर उपस्थित किया था। क्यों देर हुई थी इसका भी मैंने खुलासा दिया और एक तरह से खेद भी प्रकट किया था। जब प्रवर समिति के लिये ३ महीने समय बढ़ा दिया गया है उसके बाद मेरे से यह आशा करना कि सिर्फ ६ महीने की मियाद के अन्दर मैं उस बिल को दोनों सदनों से पास कराकर चुनाव भी करा सकूं, मैं समझता हूं कि नामुमकिन बात है। इसलिये ऐसे हार्मलेस बिल के लिये भी अगर समय नष्ट किया जाय इस सदन के अन्दर, जब कि सभी माननीय सदस्य चीन और चीन के मामले को इतना अधिक महत्व दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों का ऐसा कहना कोरी बातें मालूम होती हैं। मैं भी सदन का समय अब अधिक नहीं लूंगा और मैं आशा करता हूं कि इतने आवश्यक बिल पर सदन का समय नष्ट न किया जायगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९५९, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा १ का संशोधन।

२---उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की धारा १ की उपधारा (३) में अंक "१९५९" के स्थान पर अंक "१९६०" रख दिये जायं।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---मैं अपना संशोधन उपस्थित करना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष---दूसरा संशोधन श्री कैलाशप्रकाश का है जिसमें उन्होंने 'कलेक्टर" के स्थान पर "अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति" रखने की मांग की है। यह इस विधेयक में बढ़ाने की बात है। यह उसके स्कोप को बढ़ाता है। इसलिये यह अवैधानिक है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् संशोधन विधेयक, १९५९

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ को कतिपय प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के लिये,

विधेयक

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद अधिनियम, १९५८, की अवधि को, जो ३१ दिसम्बर, १९५९, को समाप्त होने वाली है, बढ़ाने के निमित्त उसमें संशोधन करना इष्टकर है;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त शीर्षनाम १---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९५९, कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९५९ (Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad (Amendment) Bill, 1959) जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। बहुत थोड़े समय में यह निवेदन करूंगा कि माननीय विचित्रनारायण जी को दूसरों पर लांछन नहीं लगाना चाहिये था। उहोंने बहुत ही तैश दिखाया और हम लोग जो उनसे कम उम्र के हैं उनको भी तेजी में बात करना आता है, उनमें भी गुस्सा है। यह सरकार जनतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। श्रीमन्, मैं तो अब भी यही समझता हूं कि इन जिला बोर्ड्स का चुनाव नहीं होगा। मैं इस तरह का चार्ज लगाता हूं कि सन् ४८ के चुनाव द्वारा चुने हुए बोर्ड का परिवर्तित स्वरूप सड़ी गली जिला परिषदों का जो संचालन किया जा रहा है और जो बाकायदा सन् ४८ के पुराने मेम्बरों को ही नामिनेट करके उनमें रखा जा रहा है, यह भी एक कारण है चीन के हमले का। क्योंकि जिस देश में जनतंत्र सूख जायगा, जहां की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति सरकार नहीं कर पायेगी, जहां की जनता दरिद्रता में कराहती रहेगी, ऐसी स्थिति में ही कम्युनिस्टिक आक्रमण होने का खतरा होता है और मैं समझता हूं कि सरकार उसके लिये निमंत्रण देती है। इस संबंध में मैं बाद में कहूंगा। इसलिये यह कहना कि विवाद करके बिल को पास करने में विलम्ब किया जा रहा है, यह सरकार की तानाशाही मनोवृत्ति का परिचायक है। मैं तो इस आदरणीय सदन में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री के ऊपर चार्ज लगाता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में उन्होंने विलम्ब कराया है। सदन ने कहा था कि डाइरेक्ट चुनाव होगा, सेलेक्ट कमेटी में पास हुआ कि डाइरेक्ट चुनाव होगा लेकिन सरकार द्वारा सेलेक्ट कमेटी में उस पास हुये प्रस्ताव को रद्द कराने की कोशिश की गयी।

श्री अध्यक्ष---सेलेक्ट कमेटी का जिक्र यहां नहीं आना चाहिये।

श्री राजनारायण---एक मर्तबा सरकार ने सदन में कहा है कि सेलेक्ट कमेटी में यह बात नहीं आयी और सरकार डाइरेक्ट चुनाव को फिर से बदलवाना चाहती है, तो यह तो एक बहुत बड़ी हत्या है।

श्री अध्यक्ष---सेलेक्ट कमेटी का मामला बहुत गुप्त रहता है। उसका जिक्र यहां नहीं आना चाहिये।

श्री राजनारायण---मैं समझता हूं कि माननीय विचित्रनारायण शर्मा जी अपनी वाक्चातुरी से हमको भुलावा देना चाहते हैं लेकिन हम उनकी वाक्चातुरी में भूलने वाले नहीं

[श्री राजनारायण]

हैं। कहने के लिये वह जो कुछ भी कहें लेकिन मर्यादा पर वह नहीं जाते। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह विधेयक पूर्णतः तानाशाही मनोवृत्ति का द्योतक है और इसका समय बढ़ाने के संबंध में जितनी निन्दा होनी चाहिये, वह होनी चाहिये। और, श्रीमन्, देखा जाय तो इस तरह से इस सदन का बार बार अपमान होता है कि सन् ४८ के चुने हुये जितने मेम्बर हैं, उनमें से ही इन जिला परिषदों में बैठते हैं, जिलाधीश वहां आता है और मनमाने ढंग से वहां कार्यवाही होती है। इसका कारण यह है कि सरकार की मैजारिटी है जिसकी वजह से वह जो चाहती है वह करती रहती है। पहले यह कहा गया कि गरमी के पहले चुनाव होगा, फिर तय हुआ कि गरमी के बाद चुनाव होगा और अब फिर अगले दिसम्बर की बात की जा रही है। श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले भविष्यवाणी की थी, वैसे ही आज भी भविष्य-वाणी करता हूं कि इन जिला परिषदों का चुनाव ३१ दिसम्बर, सन् ६१ तक भी नहीं हो सकेगा क्योंकि ये समझते हैं कि अगर सन् ६२ के पहले चुनाव हुआ तो सरकारी पक्ष वाले करारी हार खायेंगे और उसका असर बड़ा बुरा होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि सन् ६२ के पहले ये चुनाव होने वाले नहीं हैं। सरकार की यही राय रही है। अतः मैं समझता हूं कि यह संकुचित मनोवृत्ति, तानाशाही, अधिनायकवादी और प्रतिक्रियावादी मनोवृत्ति की ही परिचायक है। इन शब्दों के साथ मैं साल भर के लिये समय बढ़ाने का जो विधेयक पास कराने का प्रस्ताव किया है, उसका विरोध करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये जो थोड़ा सा मौका दिया है इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक जो अन्तिम चरण में पास होने के लिये रखा गया है, इसका मैं थोड़े शब्दों में ही विरोध करता हूं। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा यह विधेयक हमको अभिशाप के रूप में मिल रहा है और वह इस रूप में कि उनके विचित्र मस्तिष्क से विचित्र प्रकार की चीजें निकला करती हैं। जब से उन्होंने अपने विभाग को ग्रहण किया है तभी से न मालूम कितने प्रकार के विधेयक हमारे सामने लाये। पहले तो एक जिला परिषद् विधेयक लाये, और स्वयं ही उसकी अंतिम क्रिया कर दी। इसी दरमियान वे एक अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक लाये और यह कह कर लाये कि यह अंतरिम काल के लिये लाया गया है। और वह अन्तरिम काल पहले एक साल का बताया था और उसके बाद जो जिला परिषद् विधेयक लाये तो उस के लिये भी कहा कि इस को शीघ्र ही पास किया जायगा। मुझे उनके शब्द याद हैं, उन्होंने कहा था कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि ३ मास के भीतर सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी और अब वह कहते हैं कि इस अवधि में सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकेगी। मुझे स्वयं मंत्री महोदय के साथ सेलेक्ट कमेटियों में रहने का मौका हुआ है, जो विशेष अंश वादविवाद के आते हैं उनमें सदस्यों द्वारा कम और मंत्रियों द्वारा अधिक बाधा पड़ती है और उसके कार्यों में मंत्रियों द्वारा यदाकदा दखल होता है। यह भी अवधि जो बढ़ाई गई है वह भी सरकार के अवरोधों के कारण है, कोई अपराध करे और कोई फल भोगे, यह उन्हीं का अपराध है, विलम्ब वह करते हैं और नतीजा यह होता है कि कार्यकाल बढ़ाया जाता है। मैं चेतावनी देता हूं कि ३१ दिसम्बर, ६१ तक वह इसको नहीं करायेंगे और टालेंगे और जब तक कि वह विधान सभा के अगले चुनाव का फल न देख लेंगे क्योंकि वह जानते हैं कि उन का चुनाव पूर्वाभास होगा.....

श्री अध्यक्ष---आप फिर दोहरा रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक जो है उसकी अवधि अधिक बढ़ाई गई है, कलक्टरों को अधिकार दिये गये हैं, इन अधिकारियों और ए०डी०एम० प्लानिंग को प्रजातंत्र युग में इस प्रकार अधिकार देना अनुचित है, यह प्रजातांत्रिक युग का नया नियम सरकार की दृष्टि में हो सकता है। दस साल से इसी तरह से उसी पुराने बोर्ड की पुनरावृत्ति हो रही है। जो अध्यक्ष अन्याय करते थे उनकी

जगह कलेक्टर हो गया और उपाध्यक्ष की जगह अब भी वही लोग मौजूद हैं, कलेक्टर भी अपनी पावर उन्हीं को डेलीगेट किये रहते हैं और वही चीजें अब भी चल रही हैं। इस तरह से अवधि बढ़ती चली जाती है।

श्री अध्यक्ष—आपके २ मिनट के ४ मिनट हो गये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—कहने का मौका तो दीजिये दो चार मिनट की बात नहीं है, बोलने का यह विषय है, इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र का शोषण हो रहा है और इस प्रकार अन्धेर मचा है।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के विरोध में ज्यादा नहीं कहूंगा। इस प्रवर समिति का मैं भी सदस्य हूं जिसका कि जिक्र हुआ। मुझे बड़ा दुख हुआ कि माननीय मंत्री जी ने अपना वक्तव्य देते समय इस बात की शरण ली कि समय बढ़ाने का प्रस्ताव सदन ने पास किया है इसलिये इसका अब विरोध नहीं होना चाहिये। इसका मतलब यह हुआ कि आदरणीय सदन के सदस्य समझ जायं कि सेलेक्ट कमेटी ने जो कुछ किया है उससे सबकी पूर्ति हो गई कि उसकी कार्यवाही में अभी कुछ कमी है। मैं, अध्यक्ष महोदय, सेलेक्ट कमेटी की बात यहां नहीं कहूंगा। मुझे केवल यह कहना है कि ढाई मास के बाद सेलेक्ट कमेटी की पहली बैठक बुलाई गई और तीन मास में रिपोर्ट देनी चाहिये थी लेकिन मंत्री महोदय ने पहला आमंत्रण ढाई मास बाद भेजा है। अब सेलेक्ट कमेटी की शरण में जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि प्राइवेट बातचीत में माननीय मंत्री जी इस बात को कह चुके हैं कि डाइरेक्ट चुनाव होगा तो सन् ६२ के बाद ही संभव हो सकता है। यह उनकी निजी राय है। श्रीमन्, अगर सेलेक्ट कमेटी को पहले बुला लिया जाता तो रिपोर्ट सदन में आ जाती। मेरा चार्ज है कि पहला आमंत्रण जो हम लोगों को मिला वह ढाई महीने के बाद मिला। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मेरा आक्षेप तो यह था कि बेमौके जो बात कही जाती है वह गलत है। सही बात भी बेमौके कही जाय तो वह गलत है। जिस समय प्रवर समिति के लिये समय बढ़ाने की बात कही गई थी उस समय ये सब बातें कही जातीं, लेकिन मौका चूक जाने के बाद फिर रोने से क्या फ़ायदा? उस वक्त सदन एक बात तय कर दे और फिर चाहे कि मैं उसका उल्टा कर दूं तो यह कैसे हो सकता है? जब विधान सभा के दूसरे रूल्स थे तो मिनिस्टर इंचार्ज सलेक्ट कमेटी के अन्दर बिल पाइलेट करने के लिये इंचार्ज होता था लेकिन अब मैं तो हूं नहीं। मैं तो सिर्फ़ प्रार्थना कर सकता हूं। मेरी वजह से प्रवर समिति में कोई देर नहीं हुई। मेरी तो रिक्वेस्ट रही है कि पहले हो जाय लेकिन लोगों को इधर-उधर जाना था। किसी को बम्बई में मीटिंग थी और किसी को कहीं और काम था। उसके लिये मैं कैसे दोषी हो सकता हूं? इसमें मिनिस्टर का कोई दोष नहीं है। केवल सदस्यों की कन्वीनियेंस का ही खयाल रहा और वह भी किसी दल विशेष के सदस्यों का नहीं बल्कि सभी की कनवीनियेंस का खयाल रखा गया और जो कुछ तय हुआ वह करीब-करीब यूनेनीमसली ही तय हुआ है। दूसरी बात डेमोक्रेसी और जनता की बार-बार कही जाती है .....

श्री अध्यक्ष—उनकी शंका तो यही है कि आप सन् ६२ तक चुनाव बिलकुल नहीं कराना चाहते हैं, इसके लिये आप जवाब दें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, जो मुझसे देरी हुई थी उसके लिये तो मैंने खेद प्रकट किया था। अब तो चीज प्रवर समिति के हाथ में है। मैं जिस समय विधेयक लाऊं और उसके बाद फ़िर मेरी तरफ़ से देरी हो तो मैं दोषी हूं और सरकार दोषी है। लेकिन

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसमें मुझसे आश्वासन मांगना और मुझसे आशा करना कहां तक उचित है ? वह मैं कैसे दे सकता हूं ?

दूसरी बात डेमोक्रेसी और जनता का ठेका कुछ लोगों ने लिया है । वे किसी दूसरे मौके पर कहते तो शायद ठीक होता लेकिन ऐसे मामले में जहां कि कुछ लोगों को छोड़कर प्रायः सारा हाउस एक राय का हो इस तरह की बात करना कहां तक उचित है ? तो यह बेवक्त की रागनी, डेमोक्रेसी के नाम पर इस विषय में देरी करना और अड़ंगा लगाना, मैं समझता हूं कि सिवाय इस महत्व के प्रश्न की अपेक्षा करने के और कुछ नहीं है । इन शब्दों के साथ, मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९५९ (Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad (Amendment) Bill, 1959), जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल (संशोधन) विधेयक, १९५९

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९५९ (The Hastinapur Town Development Board (Amendment) Bill, 1959) पर, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय ।

श्रीमन्, यह विधेयक भी इतना हार्मलेस, लेकिन जरूरी है, कि मैं समझता हूं कि सब लोग बिना ज्यादा समय नष्ट किये हुये इसको शीघ्रातिशीघ्र पारित कर देंगे । हस्तिनापुर में एक बड़ी भारी कालोनी बसाने का विचार किया गया था और बहुत-सा रुपया केन्द्रीय सरकार ने वहां पर खर्च भी किया । उसके बाद वहां एक विकास बोर्ड बनाया गया था । अब सेंट्रल गवर्नमेन्ट चाहती है कि उसको हम ले लें और वे वहां का प्रबंध खत्म कर दें । इसलिये इस सरकार को लेना पड़ गया । उस बोर्ड की मियाद खत्म हो रही है इसलिये उसकी लाइफ ऐक्सटेंड करने के लिये यह विधेयक लाया गया है ताकि काम की देख-रेख हो सके । बस इतना ही इसका मंशा है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, चूंकि चीन पर विवाद आवश्यक है, इसलिये मैं अपना संशोधन पेश ही नहीं करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९५९ (The Hastinapur Town Development Board (Amendment) Bill, 1959) पर, जैसाकि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २

उ० प्र० अधिनियम संख्या १४, १९५५ ई० की धारा १ का संशोधन ।

२—हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम, १९५४, की धारा १ की उपधारा (३) में अंक "१९५९" के स्थान पर अंक "१९६२" रख दिये जायं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की पंक्ति २ में अंक "१९६२" के स्थान पर अंक "१९६०" रख दिया जावे ।

---

†२२ दिसम्बर, १९५९ की कार्यवाही में छपा है ।

मुझे इतना ही कहना है कि यद्यपि इस बिल में कोई विशेष विवाद की बात नहीं है लेकिन जो अवधि बढ़ाने का कारण बताया गया है वह उपयुक्त नहीं है और हमेशा ही जिनके सम्बन्ध में अवधि बढ़ाने की बात सरकार कहती है उसका पूरा-पूरा विवरण सरकार को रखना चाहिये। तीन साल की अवधि बढ़ाने के लिये कोई समुचित कारण नहीं है। इसकी अवधि केवल १ साल के लिये ही बढ़ायी जाय। जो केवल एक धारा के परिवर्तन की बात कही जाती है, सचमुच इस विधेयक में और बहुत सी ऐसी धारायें हैं जिनके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन चूंकि सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया गया इसलिये उस सम्बन्ध में अब कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसकी अवधि १ साल के लिये ही बढ़ायी जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं नहीं समझ सका कि इससे क्या लाभ होगा क्योंकि साल भर के बाद फिर इस सदन का समय बरबाद किया जायगा, बिना बात। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मंत्री जी इसलिये नहीं समझ सके कि उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। अगर वह कोशिश करते तो वह पायेंगे कि इसको सदन स्वीकार नहीं करता है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, उनको समझने के लिये उनके जैसा ही दिमाग चाहिये, वह तो मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ की पंक्ति २ में अंक "१९६२" के स्थान पर "१९६०" रख दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम, १९५४ का प्रचलन बनाये रखने की व्यवस्था करने के लिये — उ०प्र० अधिनियम संख्या १४, १९५५ ई०।

विधेयक

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम, १९५४,३१ दिसम्बर, १९५९ की समाप्ति पर प्रभावी न रह जायेगा; — उ०प्र० अधिनियम संख्या १४, १९५५ ई०।

और उक्त अधिनियम के प्रचलन को ३१ दिसम्बर, १९६२ तक बनाये रखने की व्यवस्था करना आवश्यक है;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९५९, जैसाकि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९५९, [The Hastinapur Town Development Board (Amendment) Bill, 1959] जैसाकि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५९

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५९, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में बहुत काफी बातें हो चुकी हैं । उनसे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है । मुझे आशा है कि यह सदन इसे पारित करेगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५९, को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे, जिसे अपनी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो । वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत कर देवे ।

(इस समय १२ बज कर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुये ।)

श्रीमन्, आप देखें कि जो यह विधेयक हमारे सामने है इससे पहले जो एक विधेयक हम पास कर चुके हैं उसके ही कांसिक्वेंशल रूप में यह पेश किया गया है और अब किस प्रकार से गन्ना उत्पादन हो, उसके उपकर किस प्रकार वसूल किये जायं, इसके सम्बन्ध में यह विधेयक हमारे सामने है और विशेषतौर से इसमें जो बातें बतलाई गयी हैं वे वही हैं जो पहिले विधेयक में थीं । मैं यह कहना चाहता हूं कि बिक्री की वसूलयाबी में बहुत से तरीके जो दिखाये गये हैं वे इसके अन्दर हैं और ये उपकर की वसूलयाबी के तरीके मेरी समझ में बहुत ही अमान्य हैं क्योंकि आप देखें कि खंड ३ में इस प्रकार के परिवर्तन हैं जो पहले किये जा चुके हैं । इसमें जहां भी शब्द "फैक्टरी" आया हो, उसके स्थान पर शब्द फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई रख दिये जायं और खंड ४ में केवल प्रतिकर लगाने के लिये कुछ स्केल बना दिये गये हैं और यह कहा गया है "राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के भूगृहादि (Premises) में प्रयोग, उपभोग अथवा बिक्री के निमित्त लाये गये गन्ने पर पच्चीस नये पैसे प्रतिमन से अनधिक उपकर (cess) लगा सकती है ।" तो अब यह जो सेस लगाने की बात है यह २५ नये पैसे तक लगाया जा सकता है और यह नये प्रकार से उन स्थानों पर लगेगा जहां गुड़, राब और खंडसारी शक्कर की उत्पत्ति होगी । २५ नये पैसे प्रति मन तक टैक्स लगाने की जो बात कही गयी है यह एक नये रूप में हमारे सामने आयी है । इससे ठीक पहले हमारे उद्योग मंत्री की तरफ से यह कहा गया था कि गजट की विज्ञप्ति में अभी ९ नये पैसे ही हमने लिये हैं, लेकिन यह कभी भी माना नहीं जा सकेगा कि ९ नये पैसे ही हमेशा बना रहेगा और २५ नये पैसे तक क्यों नहीं बढ़ाया जायगा । इसके बाद एक और सूचना उन्होंने दी थी कि मिल एरिया में गन्ने की कीमत में सरकार ने कुछ वृद्धि भी की है । लेकिन उन क्षेत्रों में जहां गुड़, राब या खांडसारी शकर बनाने वाली इकाइयां होंगी वहां गन्ने की कोई कीमत निर्धारित नहीं की गयी । हो सकता है कि यहां भी गन्ना उत्पादकों को उसी प्रकार से

*२३ दिसम्बर, १९५९ को कार्यवाही में छपा है ।

दिक्कत हो और यह भी देखा गया है कि इन फैक्टरियों में केवल उतना ही गन्ना पेरने के लिये नहीं आयेगा जो उनको एसाइन्ड होगा बल्कि और किसानों द्वारा भी वहां गन्ना लाया जायगा। तो दूसरे किसानों द्वारा लाये हुये गन्ने की कीमत निर्धारित करना जरूरी था और इसको हमारे उद्योग मंत्री ने भी स्वीकार किया कि यह बात विचारणीय है। मैं चाहता था कि इसी विधेयक में इसके सम्बन्ध में कोई धारा होती।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जो २५ नये पैसे प्रति मन की बात है इसमें सरकार ने यह प्रतिबन्ध १ में यह अधिकार दे रखा है कि इसकी भिन्न-भिन्न दरें नियत की जा सकेंगी। प्रतिबन्ध २ में यह अधिकार दिया गया है कि इसमें जहां कहीं भी अधिकारी चाहे इस कर से छूट भी दे सकता है। मेरा कहना इस सम्बन्ध में यह है कि अधिकारी कभी-कभी उस स्थान की आवश्यकता को देख कर छूट नहीं देते हैं बल्कि अपने निजी रसूकों और अन्य छिपे हुये कारणों के आधार पर देते हैं। इसलिये ऐसे अधिकार खुले आम दे देना खतरे से खाली नहीं है।

इसके अतिरिक्त जो एक परिवर्तन खंड (२) में किया गया है कि जहां-जहां "फैक्टरी" शब्द है वहां वहां "गुड़, राब या खांडसारी शकर बनाने वाली इकाई" हो, तो यह तो उसी का कांसीक्वेन्सल है जो हम पहले विधेयक में पास कर चुके हैं।

अब खंड ५ जो धारा ३ के बारे में है, ३ (क) से (घ) तक कई उपखंडों में इसको बढ़ाया गया है। यह हमने एक बड़ा भारी अन्याय सा किया है। इन उपधाराओं को बढ़ा कर एक बात तो यह कही गयी है कि गुड़ और राब बनाने वालों को लाइसेंस दिये जायेंगे और जब कोई लाइसेंस लेगा तो उसका नवीकरण, रेन्युअल भी हुआ करेगा। यह भी कहा गया है कि किन हालतों में वह लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा। और आगे चल कर शक्कर आयुक्त को कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं। पेश्तर इसके कि मैं खंड ६ पर जाऊं मैं उसको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। इसमें कुछ अधिकार दिये हुये हैं। जिसमें कहा गया है कि "कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा ३२ में किसी बात के होते हुये भी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के लिये, जिसे राज्य सरकार ने एतदर्थ विशेष रूप से अधिकृत किया हो इस अधिनियम या तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम के अधीन किसी वाद का परीक्षण करते समय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में अभिशस्त किसी भी व्यक्ति पर पांच हजार रुपये से अधिक जुर्माने का दंडादेश देना वैध होगा।" इसी के साथ-साथ दफा ५ में कहा गया है कि "इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर गन्ना आयुक्त, अथवा आयुक्त की पूर्व सहमति से जिला मजिस्ट्रेट राजीनामे के शुल्क के रूप में अधिक से अधिक पांच हजार रुपये लेकर उक्त अपराध के सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर राजीनामा कर सकता है।" इसी तरह से ४ में बताया गया है कि "यदि कोई व्यक्ति धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन लगाया गया उपकर अदा न करे, अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित किसी नियम का उल्लंघन करे तो धारा ३ की उपधारा (५) के अधीन उसकी अदायगी की उत्तरवादिता पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े हुये, वह छ महीने तक के कारावास या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों ही दंड का भागी होगा और यदि उल्लंघन निरन्तर होता रहे तो उसे प्रत्येक उस दिन के लिये, जब तक उल्लंघन जारी रहे, एक हजार रुपये से अनधिक का अतिरिक्त अर्थ-दंड दिया जा सकता है।"

इसका अर्थ यह निकला कि उपकर को कोई अदा न करे या किसी नियम का उल्लंघन करे तो अधिकारी को उसको सजा या जुर्माना करने का तथा दोनों सजाओं को देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो ऐसी हालत में इसको उन लोगों के ऊपर लागू करना जो छोटी-छोटी फैक्टरी गुड़, राब तथा खंडसारी के लिये चलायेंगे, ठीक नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सभी विषय ऐसे हैं जिन पर ठंडे दिल से विवाद करने की आवश्यकता है और यह देखना कि इन इकाइयों को दिक्कत न हो जो कायम होंगी, जो मिल एरिया के अन्तर्गत नहीं है बल्कि उन स्थानों में हैं जहां कि यह फैक्टरी हमेशा कायम कर सकते हैं चाहे वह सहकारी आधार पर हों या व्यक्तिगत आधार पर हों, उन पर भी यह ऐक्ट लागू किया जायगा।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

अब मैं ३ (क) की ओर ध्यान दिलाता हूं जो इस प्रकार है कि:--

"३ (क)---गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली कोई इकाई सिवाय उस इकाई के जिसने उत्तर प्रदेश शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने का आदेश, १९५९ के अधीन लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो, शक्कर आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त किये बिना गुड़ या राब बनाने से सम्बद्ध कोई प्रक्रिया न करेगी न हाथ में लेगी।"

इसके माने यह हैं कि यह कानून इस रूप में है कि बिना लाइसेंस लिये कोई व्यक्ति गुड़, राब या खंडसारी शक्कर का उत्पादन नहीं कर सकेगा और उसके लिये लाइसेंस लेना अनिवार्य है और उसका एक तरीका होता है। फार्म वगैरह भरने पड़ते हैं। ग्रामीण जनता के लिये जो अनपढ़ है, फार्मों के भरने और खानापूरी करने में कुछ खामी रह जाने पर उनका मामला रिजेक्ट हो सकता है। यह दिक्कत इनको हो सकती है। अभी तक तो लाइसेंस बड़े-बड़े उद्योगपति ही लेते थे जो पढ़े-लिखे होते हैं। लेकिन अब यह उन पर भी लागू होने जा रहा है जो लोग अनपढ़ हैं। इसलिये इनको बड़ी दिक्कत होगी। फिर खंड ३ (ख) में कहा गया है कि "धारा ३ (क) के अधीन दिया गया लाइसेंस प्रतिवर्ष १ अक्तूबर से प्रारम्भ होने वाले बारह मास के अवधि के लिये वैध होगा, किन्तु उक्त अवधि के व्यतीत हो जाने के कम से कम ३० दिन पूर्व प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर तथा ऐसे शुल्क जो नियत किये जायं दिये जाने की शर्त के अधीन रहते हुये, उसका नवीकरण समय-समय पर ऐसी अवधि के लिये किया जा सकता है जो एक अक्तूबर से प्रारम्भ होकर १२ मास से अधिक की न हो।"

बिक्री-कर के बारे में जो विधेयक हमारे सामने था उस समय भी हम लोगों ने कुछ दिक्कतें रखी थीं। किस प्रकार बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस लेने, नवीकरण करने और रद्द करने के असीम अधिकार उन अधिकारियों को दिये गये हैं। परिणाम यह होता है कि बहुत-सी अशिक्षित जनता या कम होशियार जनता भय ग्रसित हो जाती है और उन पर वे एक प्रकार से निरंकुश शासन करते हैं। ठीक वही चीज इसमें दिखायी पड़ती है। ग्रामों में एक नये प्रकार का भय पहुंचेगा और ग्रामीण इससे परेशान किये जायेंगे। लाइसेंस के नवीकरण की बात जब भी किसान के सामने आती है वह परेशान किया जाता है। शायद इसकी नवीकरण की अवधि एक साल रखी जाय। तो उनको हर साल केन्द्र में अपने ग्रामीण क्षेत्रों से आना पड़ेगा। वह दफ्तर में आयेंगे और नवीकरण का सारा भुगतान अदा करेंगे जो कि दफ्तर से लगा कर उच्चाधिकारी तक दर्जा ब दर्जा बंधा हुआ है। इस सिलसिले में उदाहरण रूप में कह देना चाहता हूं कि मिठाई बेचने वालों के लिये कुछ नियम हैं कि वह लाइसेंस लें; यह कहा गया कि एफीडेविट या ऐप्लीकेशन पर उनको लाइसेंस मिल जाता है। २० आने लाइसेंस फीस कागज में भले ही हो लेकिन अन्त तक उनके दस-बारह रुपये खर्च हो जाते हैं क्योंकि हर जगह बंधा हुआ है---चपरासी को, क्लर्क को, लिखने वाले को, लाइसेंस देने वाले को। वह अपना हिस्सा मांगता है। इस लिये इन लाइसेंसों का प्राप्त कर लेना इतना आसान नहीं है जितना कागज में दिखाई देता है। व्यावहारिक रूप में जितनी फीस है उससे कहीं ज्यादा किसान को देना पड़ेगा। इसके साथ जो लाइसेंस निलम्बन और रद्द करने की जो शर्तें हैं उनमें और भी भय की बातें हैं। "शक्कर आयुक्त इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के किसी उपबन्ध या लाइसेंस की किसी शर्त के उल्लंघन की दशा में इस अधिनियम के अधीन दिया गया या नवीकृत लाइसेंस निलम्बित या रद्द कर सकता है या उसका नवीकरण करने से इनकार कर सकता है।" किसी भी नियम के उल्लंघन की दशा में उसको अधिकार है कि नियम ला दें और बाध्य करें। यह बहुत व्यापक अधिकार है। अगर कोई भी अधिकारी किसी किसान को परेशान करना चाहे तो वह भली भांति कर सकता है। यह कहना कि किसी शर्त का उल्लंघन हुआ है या नहीं इस सम्बन्ध में एक लम्बी रस्सी इन अधिकारियों को दे दी गयी है। इस प्रकार के अस्पष्ट अधिकारों को हाईकोर्ट कभी-कभी नल ऐंड वायड कर देती है। शक्कर आयुक्त को जो अधिकार दिये गये हैं, वह बड़े व्यापक अधिकार हैं।

"(क) किसी गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के स्वामी से ऐसे अभिलेख, तथ्य लेख (Data) या सूचना जो नियत की जाय, रखने, देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है," अब गुड़ और खांडसारी इत्यादि बनाने वाली इकाई को, जो कि हो सकता है कि किसी-किसी जगह बहुत छोटी हो उसको इस प्रकार के सभी रेकर्ड और अभिलेख वगैरह रखने के लिये बाध्य करने के मानी यह होते हैं कि उन्हें विशेषतौर से कुछ पढ़े लिखे आदमी क्लर्क वगैरह के रूप में रखने पड़ेंगे क्योंकि बगैर उसके वह यह सब लिखा-पढ़ा और खानापूर्ति कर नहीं पायेंगे। मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखूं कि तेल के कोल्हुओं पर सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने लाइसेंस लगाया। उन पर जो फीस मुकर्रर की है वह इतनी ज्यादा है कि अगर सही तौर से वह तेल के कोल्हू रखने वाले उसका रेकर्ड रखें तो उनको कभी उसका लाभ न हो। होता यह है कि वह उस कानून का उल्लंघन करने के लिये दिन भर की आमदनी में केवल उतना ही दिखाते हैं जिससे उनका परता पड़ जाय और इंट्री करने में बिलकुल जालसाजी का काम करते हैं। उसमें पूरी पूरी आमदनी जितनी होती है कभी नहीं लिखते। अगर लिखें तो उन्हें कोई परता ही न पड़े। तो इससे लोगों में बेईमानी की प्रवृत्ति बढ़ती है और वह उस कानून का उल्लंघन करने लगते हैं। और मैं आपको यह भी बताऊं कि यह उल्लंघन करने के रास्ते भी वही आपके अधिकारी ही उनको बताते हैं, वही इंसपेक्टरान ही जाकर उनको बताते हैं कि इस प्रकार से तुम उल्लंघन कर सकते हो और फिर वे उन्हीं के बताये हुए रास्ते को अपनाते हैं। तो यह जितनी भी धारायें हैं (क) से (घ) तक इन सबमें जो बाध्यता डाली गई है और किसी अंश के पूरा न होने पर जो सजा धारा ४ में रखी गई है उसको देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यह एक नया बोझ उस क्षेत्र में उद्योग चलाने वालों के ऊपर पड़ेगा। होना तो यह चाहिये था कि इसके लिये बहुत सरल तरीके के नियम और उपनियम बनाये जाते और उनको हर तरह की सुविधा दी जाती ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न होती। ऐसे तो हम किसी प्रकार के उपकर को लगाने के पक्ष में नहीं हैं लेकिन जिस प्रकार का बिल है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि इन छोटे-छोटे उत्पादकों को सहानुभूति की दृष्टि से देखना चाहिये और सरकार को स्वयं ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में लाइसेंस के नवीकरण के तरीके उनके निलम्बन के तरीके, रद्द करने के तरीके सरल से सरल बनाये जायं और उनको अपने स्थान पर ही इन चीजों को उपलब्ध कराया जाय जिससे .....

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं। माननीय मोतीलाल जी जो बोल रहे हैं वह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि यह कब तक बोलेंगे ?

श्री अधिष्ठाता---यह तो माननीय सदस्य जानें। कोई टाइम लिमिट तो है नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---वक्ता जी ने जो बीच में मेरा समय ले लिया है उसका आप ध्यान रखेंगे।

श्री अधिष्ठाता---जब कोई टाइम लिमिट नहीं है तब उसका क्या सवाल पैदा होता है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---वह स्वयं सुनना चाहते नहीं हैं और दूसरों को टोकते रहते हैं।

तो इस प्रकार से हमने जो इस विधेयक के मुताबिक कुछ अधिकार बढ़ाने की कोशिश की है उन अधिकारों को बरतते हुए देखकर हम पहले ही से सशंकित हैं और हमें यह कहना पड़ेगा कि यह बहुत सी बातें हमें अमान्य हैं और इनके अमान्य होने के कारण यह आवश्यक है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जहां इसके ऊपर ठंडे दिल से विचार हो सके। मैंने जो प्रस्ताव रखा है प्रवर समिति का उसका समय केवल आठ दिन का रखा है। यह समय कोई अधिक नहीं है। आठ दिन में कोई विशेष आफत नहीं आ जायेगी। हां, यह हो सकता है, सरकार कह सकती है कि इसकी अवधि बढ़ाने से उनके अध्या-

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

देश की अवधि खत्म हो जाती है। लेकिन अध्यादेश खत्म होने की चिन्ता उन्हें क्या है जब कि वह सत्र को ही खत्म कर रहे हैं। और मेरा तो खयाल है कि हाउस के उठने के बाद और भी अध्यादेश जारी होंगे क्योंकि ज्यादातर काम यह सरकार उन्हीं अध्यादेशों से ही करना चाहती है। यहां हाउस के सामने लाकर उसकी स्वीकृति लेकर सरकार कोई काम नहीं कराना चाहती। इसलिये उसकी चिन्ता उसको क्यों है? मैं ऐसा समझता हूं कि जब यह प्रवर समिति में जायगा तो इस पर वहां ठंडे दिल से विचार होगा।

मैं एक प्रार्थना आपसे और कर दूं कि अभी गन्ने के सम्बन्ध में एक दूसरा बिल पास हुआ है। उसमें देखा जाय कि एक प्रमुख संशोधन हाउस के द्वारा किया गया है। उसमें ७ बेलों के कोल्हुओं वाली जो कड़वा, तीखा और खटकनेवाली बात थी उसको हटा दिया गया है। उसको देखते हुये सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इसमें एक संशोधन सरकार स्वतः अपनी तरफ से लाये और उसको यहां पर स्वीकार करे। इसके लिये कहीं ऐसा न हो कि फिर उसी बात की पुनरावत्ति हो। मैं चाहता हूं कि मैंने जो संशोधन प्रवर समिति में जाने के लिये पेश किया है उसको यह सदन स्वीकार करे।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---प्रधिष्ठाता महोदय, दुर्भाग्य से अभी कुछ से किंड पहले मुख्य मंत्री जी यहां से चले गये। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता था जिसका उत्तर शायद बहुमुगा जी न दे सकें। मैं यह पूछना चाहता था कि वह कितना समय इस विधेयक के लिये चाहते हैं कि इतने मिनट में यह विधेयक पास हो जाय। मैं उतने ही मिनट में अपनी बात कह देता जितने मिनट में वह इसे पास कराना चाहते। इसी शर्त पर वह चीन पर बहस करना चाहते हैं तो हम भी वैसा ही करने के लिये तैयार हैं। इस समय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं तो मैं थोड़े ही में अपनी बात समाप्त कर देना चाहूंगा। मेरा प्रस्ताव यह है कि "सदन यह निश्चय करता है कि उक्त विधेयक को जनमत जानने के लिये अगले तीन महीने तक घुमाया जाय।"

जनता में जाने के लिये मैं इसलिये कहता हूं कि मुझे यह मालूम है कि यह विधेयक देश की जनता के विरुद्ध है। सरकार को इसके सम्बन्ध में अगर जनता की राय जानने का मौका मिलेगा तो, मुझे ऐसी आशा तो नहीं है कि वह उसका आदर करेगी, लेकिन फिर भी इतना तो जरूर होगा कि शायद उसका मत जानने के बाद वह कुछ बदले। मैं ऐसा समझता हूं कि देश के चीनी उद्योगपतियों की तरफदारी का यह विधेयक है और देश में जो छोटे उद्योग-धन्धे वाले लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाने वाला है। देश के अन्दर जो बेरोजगारी का मसला है उसको यह और पेचीदा बनाने वाला है। देश में जो आज करप्शन और भ्रष्टाचार है, बड़े लोगों का साथ देने वाले जो बड़े-बड़े अधिकार वाले बड़े अधिकारी हैं उनको यह और भ्रष्ट करने का यत्न करेगा। छोटे उद्योग-धन्धे वालों को परेशान करने का यह जरिया बनेगा।

हमारा तजुर्बा अभी तक यह है कि कभी भी और किसी भी दुनिया के कोने में कच्चे माल पर सेस लगाने का तरीका नहीं है। यह हिन्दुस्तान ही ऐसा है और हिन्दुस्तान में भी यह हमारा उत्तर प्रदेश प्रान्त ऐसा है जहां पर सेस लगाया गया है। हिन्दुस्तान में ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर सेस नहीं लगा है और लगा भी है तो वह बहुत थोड़ा लगा है। जो रकम सेस की वसूल की गई है उसके लिये जो वायदा वसूल करने के समय किया गया था उसमें उसको खर्च नहीं किया गया है। यह उसी का दुष्परिणाम है कि गन्ने की उपज घट रही है और उस उपज घटने का ही यह नतीजा है कि किसान को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही जिन कामों के लिये यह सेस लगाया गया था वह काम पूरे नहीं हुये। इन सब बातों को देखते हुये मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक को जनमत के लिये भेजा जाना चाहिये। जितना कम से कम समय इसके लिये जरूरी हो वह सरकार इसके लिये रख दे। तब सरकार को पूरी जानकारी हो जायगी। जब तक सरकार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिल-मालिकों के सामने अपनी घुटने टेकने की नीति को नहीं छोड़ेगी तब तक किसानों का भला होने वाला नहीं है। चीन के मसले पर बहस करने के लिये सरकार हमसे सौदा करना चाहती है कि हम पहले इसको पास कर दें तब चीन के मसले पर बहस हो। सरकार समझती है कि इधर के लोग देशभक्त हैं तो वह चीन पर बहस करने के उद्देश्य से इसको जल्दी पास कर देंगे, मगर सरकार अपनी नीति मिल-मालिकों के सामने घुटना टेकने की छोड़ना नहीं चाहती है। हमसे कहती है कि इस विधेयक को पास करके चीन पर बहस करो, इसलिये मैं सोचता हूं कि देश-भक्ति का जितना बेजा फायदा उठाना चाहते हों, वह उठायें। मैं भी देशभक्तों में से हूं और इसलिये मैं अपनी बात बिलकुल संक्षेप में, जितनी कम से कम में कही जा सकती है, कह करके चाहता हूं कि अगर सरकार को इस समय देश की चिन्ता ज्यादा है तो सरकार इसको जनमत जानने के लिये भेज दे और बाद में निश्चिन्त हो कर इस पर विचार करे और इसको पास करे।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कि यह जनमत के लिये घुमाया जाय, सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि सदन की स्थिति इस समय ऐसी ही है और यह सोचता हूं ....

श्री अधिष्ठाता--आप अपना प्रस्ताव पेश नहीं कर रहे हैं ?

श्री ब्रजनारायण तिवारी--जी नहीं, मैं श्री गेंदासिंह जी के प्रस्ताव की ही ताईद करता हूं। मैं सोचता हूं कि अगर देश में किसी व्यक्ति को जिन्दा रहने का हक न हो तो मुश्किल होगा कि उसमें कुछ राष्ट्रीयता की भावना भरी जा सके। मैं समझता हूं कि एक नया अधिकार इस विधेयक द्वारा केन कमिश्नर को दिया जा रहा है मिल मालिकों के हक में। जब कोई आदमी गुड़ या खंडसारी बनाने के लिये लाइसेंस के लिये दरख्वास्त दें तो केन कमिश्नर इस बात को देखेगा कि मिल के लिये पूरे साजन चलने लायक गन्ना उस क्षेत्र में है या नहीं। अगर वह देखेगा कि उस मिल को पूरे साजन चलाने लायक गन्ना उस क्षेत्र में नहीं है तो वह उन गुड़ या खांडसारी बनाने वालों को कोई सुविधा या लाइसेंस नहीं देगा। यह विधेयक उन गुड़ या खंडसारी बनाने वालों के अधिकारों को छीन रहा है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इस विधेयक के खंड ५ में जो अधिकार दिये गये हैं लाइसेंस देने के बारे में वह एक प्रकार से इस देश के उन लोगों में जो इस देश के वास्तव में निवासी हैं, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिये कुछ किया है और राष्ट्र के लिये जिनमें कुछ प्रेम है, एक द्वेष, घृणा और निराशा का प्रचार करेंगे और इसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी। अधिष्ठाता महोदय, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि हमारे बहुगुणा जी या हमारी सरकार क्यों नहीं इन किसानों के लिये कोई एक कोर्ट निश्चित करती। जब कोई लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र देगा और केन कमिशनर उसको अस्वीकृत कर देगा तो विधेयक में है कि उसकी अपील राज्य सरकार में होगी। मैं समझता हूं कि इस अपील के लिये कोई कोर्ट होना चाहिये जहां वे अपनी दरख्वास्त पेश कर सकें। इसमें इसका प्रावधान नहीं है। साथ ही साल भर के लिये जो लाइसेंस लेगा अगर वह ३० दिन के पहले प्रार्थना-पत्र नहीं देता है तो उस पर लेट फीस लग जायगी। किसी तरह से अगर उसका लाइसेंस जब्त हो जाय तो उसका तो शुल्क जमा है उसकी वापसी के लिये उस पर सवा रुपये की फीस लगायी गयी है। इस के बाद जो सब से बड़ा अधिकार केन कमिश्नर को दिया जा रहा है वह यह कि जब उसे संदेह हो कि कोई लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वह उसकी भट्ठी बिगाड़ सकता है, उसकी कड़ाही उठा ले जा सकता है या उसका और कोई पुर्जा ले जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का अधिकार केन कमिशनर को देना व्यक्ति के बुनियादी अधिकारों पर कुठाराघात करना होगा और इस प्रकार के अधिकार उसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

नहीं मिलने चाहिये। इस तरह से यह मैं जरूर चाहूंगा कि इस बिल को जल्दबाजी में न पास किया जाय और इसको जनमत के लिये घुमाया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री मोतीलाल अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह जो उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ है उसके ज्ञापन में लिखा हुआ है, मैं उसे पढ़ देना चाहता हूं, कि '१९५७ में सफेद चीनी पर भारी उत्पादन शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप चीनी की फैक्टरियों के सुरक्षित और अभ्यर्पित क्षेत्रों में विद्युत चालित कोल्हुओं, बेलनों तथा केन्द्रापगों की संख्या अनियमित रूप से बढ़ गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो गन्ने की पूर्ति चीनी की फैक्टरियों को न होकर बड़ी खंडसारी इकाइयों को होने लगी जिसके कारण फैक्टरियों की पेराई में कमी हो गई और दूसरी ओर गन्ना उत्पादन करने वाले एक बड़े क्षेत्र में उसके उपयोग के लिये कोई समुचित साधन न रह गया।' यह जो माननीय मंत्री जी की ओर से ज्ञापन दिया गया है यह बिलकुल गलत है।

गन्ने के क्षेत्र में, श्रीमन्, एक दर्दनाक इतिहास है। गन्ना किसान गन्ना फैक्टरियों को क्यों नहीं देता है प्रश्न यह नहीं है जिसे माननीय मंत्री जी ने इसमें रखा है, बल्कि प्रश्न यह है कि गन्ना लिया नहीं जाता है और श्रीमन्, इसी सदन में यह बताया गया कि रिजर्व एरिया का केवल ३३ फीसदी गन्ना मिलों में लिया गया। बाकी ६७ फीसदी गन्ना कहां जाता है, इसका कोई उत्तर माननीय मंत्री जी के पास नहीं है। यह दलील दी जाती है कि खंडसारी की वजह से गन्ना मिलों में नहीं पहुंच पाता है और इतनी बड़ी मशीन ठप पड़ी रहती है। पिछली बार भी १५ दिसम्बर को गन्ना किसानों ने हड़ताल की थी और दो रुपये मन के भाव के लिये अपनी मांग की थी।

आज क्या हो रहा है? आज श्रीमन्, नये-नये अधिकारी बनाकर तमाम अधिकार दिये जा रहे हैं। इससे यह साफ जाहिर है कि यह विधेयक उन पूंजीपतियों के लाभ के लिये ही लाया जा रहा है। उनके फायदे के लिये ही ऐसा करना उचित समझा गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि रिजर्व एरिया का बाकी गन्ना क्यों नहीं लिया जाता? इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। यह सरकार दो रुपये मन के भाव नहीं देती है, ठीक से इन्तजाम नहीं करती है और किसानों का कोई खयाल इस सरकार को नहीं है। किसान के फायदे का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज गांधी जी के सिद्धान्तों को क्यों यह सरकार भुलाये हुये है। गांधी जी गृह उद्योगों को बढ़ावा देते थे और चाहते थे कि गृह उद्योग अधिक से अधिक पनपें। केन्द्रीय सरकार भी इस उद्योग को बढ़ाना चाहती है। तो माननीय मंत्री जी का यह कहना कि खांडसारी की वजह से गन्ना मिलों तक नहीं पहुंच रहा है और इसी कारण यह किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। यह सत्य से परे है। इसका मुख्य कारण यह है कि रिजर्व एरिया का बहुत-सा गन्ना नहीं लिया जाता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, श्रीमन्, कि इतने अधिकार जो शक्कर आयुक्त को दिये जा रहे हैं, वे बहुत ज्यादा हैं। लाइसेन्स जारी करने के लिये जो अधिकार दिये गये हैं वे भी ठीक नहीं हैं। अगर कहीं भी कुछ अनियमितता हो गयी, फार्म भरने में कुछ देर हो गयी, कुछ गलती रह गयी, तो नतीजा यह होगा कि वह उसको बिलकुल सस्पेन्ड कर देगा और उससे बड़ा नुकसान लाइसेन्स पाने वाले व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको ध्यान में रखें, यह बहुत ज्यादा अधिकार वह अपने अधिकारी को देने जा रहे हैं। यह नहीं देना चाहिये। यह सेलटैक्स से भी बढ़ कर है। जिस समय सेलटैक्स बिल चल रहा था उस समय यह बात आई थी कि लाइसेन्स के नवीनीकरण की जो प्रणाली है वह दोषपूर्ण है। यह जो खंडसारी बनाने वाले लोग होंगे उनको इससे बड़ी असुविधा होगी।

फिर, श्रीमन्, आप देखें, माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि ११०० कुछ क्रैशर्स ऐसे हैं जो इससे प्रभावित होंगे और ७६ या ६९ ऐसे हैं जिन्होंने दरखास्तें दी हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे जिले में भी काफी गन्ना रिजर्व एरिया का है। फिर मिल-मालिक क्यों उसे नहीं लेते हैं? और नतीजा क्या होता है? पूर्वी जिलों में एक हौवा सा खड़ा हो गया है और उससे डर कर केन कमिश्नर के यहां हजारों दरख्वास्तें किसानों की पड़ी हैं लेकिन उनको भी लाइसेंस नहीं दिया जाता। यह गन्ना किसानों के हकों पर कुठाराघात करने वाला विधेयक है। माननीय गेंदा सिंह जी ने बड़े सुन्दर शब्दों में इसकी व्याख्या की है। मेरे पास शब्द नहीं हैं कि किन शब्दों में इसकी निन्दा करूं। यह पूंजीवाद को बढ़ाने के लिये और पूंजीपरस्त बनने के लिये लाया गया है। मुझे शक है कि इस साल १५ दिसम्बर से जो किसानों की हड़ताल से पूंजीपतियों का नुकसान हुआ है उसी के फलस्वरूप यह विधेयक लाया गया है। मुझे डर है कि अगले साल सरकार कोई नया जबर्दस्त टैक्स लायेगी जिससे मिल-मालिक फले फूलें। लेकिन मैं सरकार से कह देना चाहता हूं कि जब तक उत्तर प्रदेश के किसान जिन्दा हैं ऐसे छोटे-मोटे विधेयकों से उनको दबाया नहीं जा सकता, लाठियां चलें, गोलियां चलें पर उनकी हिम्मत को इस तरह से कुचला नहीं जा सकता। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मोतीलाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जब मैंने प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा था उस वक्त अध्यादेश पर विचार हो रहा था। उस समय से लेकर अब तक इस विधेयक पर काफी वाद-विवाद हो चुका है इसलिये अब सदन का अधिक समय लेना उचित नहीं है, लेकिन एक आध मिनट में एक आध बात माननीय मंत्री जी के ध्यान के लिये कहना चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि सरकार को एक निश्चित नीति तय करनी पड़ेगी और गुड़, खांडसारी और राब के लिये कोई न कोई एरिया सुरक्षित करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी इन-इफिशिएंसी होगी अगर जिला किसी उसूल के किसी एरिया को रिजर्व्ड एरिया मानते रहें और फैक्टरी के लिये तो रिजर्व्ड एरिया रखें लेकिन गुड़, खांडसारी और राब के लिये कोई सुरक्षित एरिया न रहे। आज वह समय आ चुका है जब कि सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति निश्चित कर ले और कुछ एरियाज तय हो जांय जिनमें हमें फैक्टरीज को नहीं लगने देना है। जब हमारी नीति है कि फैक्टरी भी रहें और गुड़, खांडसारी और राब भी, जो पोटेंशल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी स्थान देना है तो फिर ऐसे कुछ एरियाज की जानकारी करके निश्चित कर दिया जाय कि उनमें फैक्टरीज न लगें। वह केवल गुड़, खांडसारी और राब के लिये सुरक्षित रहें।

दूसरा संकेत मेरा उद्योग विभाग की ओर है कि उनका ऐप्रोच हमेशा इस बात पर आधारित रहा है कि फैक्टरी का हित किस में है। मेरा खयाल है कि जो केन कमिश्नर का पद है अगर उसका नाम फैक्टरी शुगर केन कमिश्नर रखा जाय तो अच्छा हो क्योंकि उनका एकमात्र ध्यान गन्ने का और गन्ने का भी मिलों से जहां तक सम्बन्ध है वहीं तक रहता है। मैं चाहूंगा कि गुड़, खांडसारी और राब का एक कमिश्नर अलग हो जिससे वह अपना ध्यान विशेष रूप से इसी कार्य के लिये दे। अगर हम एक आफिसर को इसकी जिम्मेदारी दें कि वह गुड़, राब और खांडसारी का काम देखे तो उनका ऐप्रोच बिल्कुल अलग होगा और वह इस ओर कदम उठा सकेगा। तो मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अब वह समय आ चुका है कि जब इस तरह की नीति आप अख्तियार करें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो जैसी हाचपाच पालिसी चल रही है उससे इसका संरक्षण नहीं हो पावेगा, जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाते हैं उसी तरह से बड़ी फैक्टरियों के साथ उनके पिसने की ज्यादा सम्भावना मालूम होती है।

श्रीमन्, आखिरी और जिस तीसरी बात की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि अब तक जो विभाग डील करता था वह केवल ६०-७० फैक्टरियों को डील करता था, लेकिन अब कई हजार इकाइयों से डील करना पड़ेगा जिनकी तादाद १०-५ हजार

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

भी हो सकती है। यह लोग बड़े कन्जर्वेटिव हैं और इनके पास जानकारी के साधन भी बहुत कम हैं और ज्ञान भी कम है। फैक्टरियां तो हमारे डिस्कशन से भी लाभ उठा सकती हैं लेकिन गांव के स्तर पर जो बे-पढ़े-लिखे लोग हैं उनको बड़ी परेशानी होगी आपकी बातों और आपके कानून को जानने में। इसलिये आप का जो कानून बने उसकी विज्ञप्ति गजट में समय से निकले। गजट में एक विज्ञप्ति आज निकाल कर कल से उसका निफाज किया जा सकता है और उसके पालन न करने वाले का प्रासीक्यूशन हो सकता है। इस सम्बन्ध में एक दुर्व्यवस्था की ओर और मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह कि अगर आज कोई विज्ञप्ति यहां से इश्यू होती है तो वह छापेखाने से एक हफ्ते के बाद उन लोगों के पास पहुंचती है जिनके पास कि उसे जल्दी पहुंचना चाहिये। यह डिले एक एक रोज बढ़कर अब एक हफ्ते तक पहुंच गई है, इससे बड़ा अनिष्ट हो जाता है। इसलिये जब आप छोटी २ इकाइयों से डील करने जा रहे हैं तो इस ओर आपका विशेष ध्यान रहना चाहिये कि जो विज्ञप्ति निकले वह समय से निकले और इस तरह से निकले कि उन तक जल्दी ही पहुंच सके।

इसमें एक प्राविजन और है और वह यह कि अगर लाइसेन्स रिफ्यूज होगा तो उसकी अपील सरकार के पास की जा सकती है। इसलिये कहीं ऐसा न हो इतनी तमाम इकाइयों से जो अपीलें आयें वह कहीं सीजन भर सरकार के पास ही न पड़ी रहें। इसका परिणाम यह होगा कि जब तक उसकी अपील यहां से निश्चित होगी वह आदमी समाप्त हो चुका होगा। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे मामलों में खासतौर से एक्सपीडिएन्सी बर्तनी पड़ेगी और अगर उसमें डिले हुई तो उस अपील का पर्पज ही नष्ट हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रस्ताव के बारे में अपना निवेदन समाप्त करता हूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले श्री गेंदासिंह जी के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने संक्षेप में अपनी बातों को रखा। शेष भाइयों के सुझावों पर भी मैं विचार करूंगा और मैं सिर्फ दो तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि २५ पैसे के कर के बारे में जो गलतफहमी है वह दूर हो जानी चाहिये। इसमें सिर्फ २५ पैसे तक टैक्स लगाने का अधिकार रखा गया है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह पूरा-पूरा टैक्स कभी भी खंडसारी पर आने वाला नहीं है। इसको इसलिये रखना पड़ा क्योंकि साथ में कुछ फैक्टरियां भी हैं बड़ी-बड़ी, लेकिन उनके अनुपात में इन पर बहुत कम टैक्स लगेगा। आज फैक्टरीज पर ३ आना टैक्स पड़ता है, ९ पैसा सल्फिटेशन प्लान्ट पर है, लेकिन बाक़ी यूनिट्स (क्रशर्स) पर ४ पैसा है। जहां तक किसानों के गन्ने के दाम का सम्बन्ध है जो खंडसारी को गन्ना देते हैं, उसके बारे में मैं कह चुका हूं कि इस सम्बन्ध में हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम सफलता प्राप्त नहीं कर सके।

इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि यह उपकर जो लगते हैं यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं दूसरी स्टेट में नहीं हैं। माननीय गेंदा सिंह जी ने यह बात कही। चीनी के मामले में गेंदासिंह जी जो कहते हैं उस पर फौरन विश्वास करने को जी चाहता है लेकिन इस वक्त वाकयात ऐसे हैं जिनकी बिना पर कहना पड़ता है कि शायद गेंदासिंह जी को ठीक-ठीक सूचना नहीं मिल पाई। उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, मद्रास, आंध्र, पंजाब, मैसूर, इन सभी जगह जो फैक्टरियां हैं, वहां चीनी सेस की जो दर हैं वह अलग-अलग हैं। यह बात अलग है कि कहीं ३ आने है, जैसे हमारे यहां और कहीं कम है। लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में कई जगहों पर है। हां, मैं यह स्वीकार करता हूं---और इसे स्वीकार करने में मुझे कोई कोताही नहीं है---कि, केन सेस का सारा पैसा सिर्फ केन के डवलपमेंट में नहीं जाता। यह बात इस माने में सही है कि इस पैसे से कर्मचारी भी रखे जाते हैं और दूसरी व्यवस्थायें भी की जाती हैं, जिन्हें अगर सीधे डवलपमेंट के कार्य न माना जाय तो उनकी बात ठीक हो सकती है। जगदीश शरण जी को मैं राय देता हूं कि चीनी क्रशर्स वाले जून-जुलाई में अर्जियां डाल दें क्योंकि अक्तूबर में क्रशिंग शुरू होने की बात

आती है। इससे उनके ऊपर विचार के लिये काफी समय मिल जायगा और अगर वे ५ अक्तूबर को अर्जियां देते हैं तो मुश्किल हो जायगी। जैसा उन्होंने कहा कि सरकार को विज्ञप्तियों को उन लोगों तक पहुंचाने में मुश्किल होगी, आज समय आ गया है, यह मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि खंडसारी और गुड़ उद्योग में लगे हुये लोगों को अपना एक मजबूत, विशाल संगठन बनाने की आवश्यकता है जिससे नियमों का पालन कराने में, ठीक से काम करने में और भ्रष्टाचार रोकने में सहायता मिले।

एक बात जगदीशशरण जी ने यह भी कही कि गजट देर से पहुंचता है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गजट को रीजनेबिल समय में पहुंचाने का हमेशा खयाल रखा जायगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि इधर से हुकुम निकले और उधर फांसी पर लटका दिया। जहां तक उनका यह कहना है कि गुड़ और राब के लिये अलग इलाके बना दिये जावें, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पहले पैर थे, फिर घोड़ा हुआ, रेल और इंजिन हुये और अब एटामिक जमाना आ गया, इसलिये मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि गुड़ और खंडसारी हमेशा हमारे आर्थिक ढांचे का अंग रहेगा। हां, कुछ समय तक जरूर रहेगा।

उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी हम रख दें। गुड़ डवलपमेंट का काम हमारा उद्योग विभाग देखता है। इस सुझाव पर हम विचार करेंगे कि खंडसारी और गुड़ की तरक्की के लिये क्या-क्या बातें हो सकती हैं। और जगदीश शरण जी या दूसरे माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे उन पर हम अवश्य विचार करेंगे। हमारे उद्योग विभाग में इस समय एक डिप्टी डाइरेक्टर गुड़ के काम को देखते हैं। अच्छे कोल्हुओं और भट्ठियों इत्यादि का काम वे देखते हैं। जैसा उनको मालूम है, प्लानिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी इस काम का एक विंग बना हुआ है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि काम में उन्नति की गुंजाइश है।

उन्होंने यह भी कहा कि हम नया कोई अधिकारी शुगर कमिश्नर बनाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। केन कमिश्नर ही शुगर कमिश्नर है।

एक बात कही गयी, उत्तर न देने वाले को सजा का प्राविजन क्यों है। यदि यह सदन इस तरह का कानून बनाता है तो हर सिटीजन का कर्त्तव्य है उसका पालन करे। लेकिन चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है, भले ही कोई इसके विरुद्ध आन्दोलन करे।

जितनी बहस हो चुकी है उसे मद्दे-नजर रखते हुये, जनहित की दृष्टि से, गुड़-खंडसारी का समन्वयात्मक दृष्टिकोण लेकर, मैं चाहता हूं कि हम इन बातों को इस तरह से करें कि चीनी का उद्योग घटने न पावे और जब तक हमारे देश और प्रदेश को गुड़ और खंडसारी के उद्योग की आवश्यकता है वे चलते भी रहें।

इन शब्दों के साथ मैं, जो प्रस्ताव उधर से आया है, उसका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--- प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५९, को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे, जिसे अपनी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो। वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत कर देवे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--- प्रश्न यह है कि सदन यह निश्चय करता है कि उक्त विधेयक को जनमत जानने के लिये अगले तीन महीने तक घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५९, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५६ के दीर्घ शीर्षक तथा प्रस्तावना का संशोधन

२---उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, १९५६ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) के दीर्घ शीर्षक तथा प्रस्तावना में जहां भी शब्द "फैक्टरियों" आया हो उसके स्थान पर शब्द "फैक्टरी तथा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई" रख दिये जायं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो कुछ वाद-विवाद हुआ और जो कुछ हम दूसरे बिलों के संबंध में निश्चय कर चुके हैं, उसके बाद में यह समझता हूं कि मैंने जो भी प्रस्ताव इस तरह के रखे हैं उनको, किसी को भी, मैं प्रस्तुत न करने की आपकी आज्ञा चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---ठीक है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---अधिष्ठाता महोदय, केन सेस के बारे में हमारा भी कुछ अनुभव है क्योंकि हम लोग भी थोड़ा बहुत गन्ना मिलों को देते हैं। लगान है ५ रुपया बीघा और ४०० मन गन्ने पर हम १९ नये पैसे के हिसाब से ७५ रुपये सरकार को देते हैं। बहुगुणा जी ने कहा कि १ मन पर केवल ४ नये पैसे हैं, लेकिन इसमें दो प्रकार की बात है। साधारण गुड़ बनाने वालों पर ४ नये पैसे और दूसरों पर जो सफ़ाई करके बनाते हैं उन पर ९ नये पैसे रखा गया है। बहुत दूर तक जाया जाय तो कोई भी किसान ऐसा नहीं रहेगा जिस पर इसका प्रभाव न पड़े और उसे काफी पैसा देना होगा। जिस काम के लिये सरकार पैसा लेती है उसे करती भी नहीं है। इसलिये मैं आग्रह करता हूं कि यह सदन इस खंड को पास न करे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सल्फीटेशन प्लान्ट बहुत बड़ा प्लान्ट होता है। वह डेढ़ दो लाख रुपये से कम में नहीं लगता है। सिर्फ उस पर ही ९ पैसा है। बाकी पर ४ पैसा है। इस स्पष्टीकरण के बाद में आशा करता हूं कि सदन इस खंड को स्वीकार करेगा।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५६ की धारा २ का संशोधन
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३

३---मूल अधिनियम की धारा २ में---

(१) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(ख) शब्द 'गन्ना', 'फैक्टरी', 'गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई' 'फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई का अध्यासी', तथा 'राज्य सरकार' के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ में दिये गये हैं तथा शब्द 'गन्ना आयुक्त' तथा 'शक्कर आयुक्त' के वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः शब्द 'गन्ना कमिश्नर' तथा 'चीनी कमिश्नर' के दिये गये हैं।"

(२)—खंड (ग) में जहां भी शब्द 'फैक्टरी' आया हो, उसके स्थान पर शब्द 'फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई' रख दिये जायं और कोष्ठक तथा शब्द 'Owner of the factory' निकाल दिये जायं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २ (१) (ख) में अन्तिम पंक्ति में "चीनी कमिश्नर" के बाद "तथा खंडसारी कमिश्नर" बढ़ा दिया जाय।

मान्यवर, बहुत ही संक्षेप में मैं यह निवेदन करूंगा कि जो मूल अधिनियम है उसमें शब्द, जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा, मैं जानता हूं, केन कमिश्नर है, कोई नयी नियुक्ति नहीं हो रही है। मेरे कहने का मतलब यही है कि मूल अधिनियम में केन कमिश्नर और शुगर कमिश्नर, इस प्रकार से दो शब्द आये हैं और अगर सरकार चाहे तो केन कमिश्नर के अतिरिक्त शुगर कमिश्नर की भी नियुक्ति कर सकती है। इसी प्रकार से मैं चाहता था कि शुगर कमिश्नर के अतिरिक्त "गुड़, राब तथा खांडसारी कमिश्नर" के नियुक्त करने की भी ताकत सरकार को मिल जाय जिससे आवश्यकता पड़ने पर सरकार उसको नियुक्त कर सके। उसका नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है, अगर सरकार चाहे तो उसको नियुक्त कर दे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, अधिकार दिलाने की माननीय जगदीश शरण जी को बड़ी फिक्र है, इसके लिये उनको धन्यवाद है। खंडसारी कमिश्नर करने में एक दिक्कत तो यह पड़ेगी कि उससे गुड़ और राब वाले नाराज हो जायेंगे। आजकल जो चीनी कमिश्नर हैं वे उसकी प्रगति को भी देखते हैं। इसके अतिरिक्त शुगर बोर्ड में उनके प्रतिनिधि ले लिये गये हैं। वहां से भी उनके सुझाव आयेंगे। माननीय जगदीश शरण जी भी खुद अपने सुझाव भेजें कि क्या चीज किस तरह से हो तो काफी सुधार हो सकता है क्योंकि उनका इससे भारी संबंध है। एक अधिकारी और बढ़ा देने से कोई काम चलने वाला नहीं है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मान्यवर, माननीय मंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद मैं अपने संशोधन को वापस लेने की आज्ञा चाहूंगा।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—मूल अधिनियम की धारा ३ में :—

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के भूगृहादि (Premises) में प्रयोग, उपभोग अथवा बिक्री के निमित्त लाये गये गन्ने पर पच्चीस नये पैसे प्रतिमन से अनधिक उपकर (Cess) लगा सकती है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा फैक्टरी और गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के लिये उपकर की भिन्न-भिन्न दरें निर्धारित की जा सकती हैं:

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी, शक्कर बनाने वाली इकाई में प्रयुक्त अथवा प्रयुक्त होने वाले गन्ने के संबंध में उस विज्ञप्ति में निर्दिष्ट सीमित प्रयोजनों के लिये उक्त उपकर को पूर्णतः अथवा अंशतः छूट दे सकती है।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५६ की धारा ३ का संशोधन

स्पष्टीकरण---यदि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के सम्बन्ध में इस प्रकार की घोषणा करे तो उस फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई में प्रयोग, उपभोग अथवा विक्रय किये जाने के लिये अभिप्रेत अथवा अपेक्षित गन्ने की खरीदारी के लिये निर्दिष्ट (set apart) उत्तर प्रदेश में स्थित कोई स्थान उस फैक्ट्री अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई का, जैसी भी दशा हो, भूगृहादि समझा जायगा।

(२) उपधारा (२) में शब्द "फैक्टरी" तथा "के स्वामी" के बीच में शब्द "अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई" रख दिये जायं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ (१) प्रस्तावित खंड की पंक्ति ४ में शब्द "पच्चीस" के स्थान पर शब्द "९ (नौ)" रख दिया जाय।

मैंने इस सम्बन्ध में अपनी राय जाहिर की है, अब फिर व्यक्त करना चाहता हूं। अभी जो सरकारी वक्तव्य हुआ है उसके अनुसार ९ पैसे की बात कही गयी है लेकिन इसमें 'अनधिक उपकर २५ पैसे' की बात कही गयी है। मैं चाहता हूं कि २५ पैसे के बजाय ९ पैसा सरकारी वक्तव्य के अनुसार ही रख दिया जाय। मैं समझता हूं कि किसी भी सूरत में सरकार को यह छूट नहीं होनी चाहिये कि ९ पैसे से बढ़ा कर २५ पैसा कर दे। इसलिये सरकार इसको मान जाय तो बहुत अच्छा होगा, चाहे तो वह इस रूप में कि कम पैसे लग रहे हैं या हमारी प्रार्थना के रूप में। मेरा जो संशोधन है वह सीधा-सादा है। इसलिये वह जिस रूप में रखा गया है, सरकार उसको उसी रूप में मान ले।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अधिष्ठाता जी, माननीय मोती लाल जी का जो संशोधन है उसका मतलब यह है कि आज हम जो चीनी मिलों से ३ आना फी मन सेस लेते हैं वह न लेकर सिर्फ ९ पैसे ले पायेंगे, क्योंकि यह धारा जो है वह न केवल खंडसारी और गुड़ के लिये है बल्कि सभी फैक्टरियों के लिये है। इसलिये उस संशोधन को मानने से कितनी बड़ी हानि प्रदेश की हो सकती है और जो बड़े आदमियों से ज्यादा पैसा लेने की बात होती है, जिसको मोतीलाल जी बहुत अच्छा मानते भी हैं शायद, उसमें भी ऐसी दिक्कत हो सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि उनके संशोधन का परिणाम जो है वह कितना खराब है इसको शायद वे देख नहीं पाये। इसलिये मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता।

दूसरी बात सिर्फ इतनी ही कहनी है कि उन्होंने जहां ९ पैसे लगाने की बात कही है वहां तो हम ९ पैसे के बजाय ४ पैसे ही लगाने की बात करते हैं। वह तो ९ पैसे से भी कम है।

(इस समय १ बज कर ५९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

इसलिये सल्फिटेशन प्लान्ट के लिये ही ९ पैसे रखे गये हैं जिसे स्वीकार करने में मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। इसलिये मुझे खेद है कि मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उपमंत्री जी की बात सुनी। यह बात जैसा कि वे कहते हैं कि यह सभी मिल एरिया के लिये लागू है, लेकिन अभी तो जो विशेष चिन्ता है वह नये एरिया के बारे में है। मेरी समझ में ऐसा कह कर इसका विस्तार हो रहा है उन हिस्सों में जहां कि बेखटके गुड़, खंडसारी बनती है। ये जो छोटे-छोटे उद्योग-धंधे हैं इनके उत्पादन का अंश ज्यादा है और मिल एरिया का कम है, इसलिये इसका अभी कम किया जाना उचित होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे संशोधन को स्वीकार किया जायगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैं इसका विरोध करता हूं। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ (१) की प्रस्तावित खंड की पंक्ति ४ में शब्द "पच्चीस" के स्थान पर शब्द "९ (नौ)" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--मान्यवर, मैं आवश्यकता नहीं समझता इसलिये अपने संशोधन नं० ८, ९ और १२ को प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ (२) निकाल दिया जाय। यह विधेयक में इस प्रकार से है--

(२) उपधारा (२) में शब्द "फैक्टरी" तथा "के स्वामी" के बीच में शब्द "अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई" रख दिये जायं।

यह विवाद तो कई रोज से चल रहा है और "अथवा गुड़, राब या खंडसारी" रख कर इसकी व्यापकता को बढ़ाया गया है। उस व्यापकता को हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं बल्कि जिस प्रकार से वह सीमित था उसी प्रकार से रखना चाहते हैं। इसलिये यह संशोधन जिस रूप में रखा गया है और जो इसकी व्याख्या की गयी है उसको देखते हुए इसे स्वीकार करने की कृपा सरकार करे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--उपाध्यक्ष जी, जो बातें हमने अब तक के खंडों में स्वीकार की हैं उनके रहते हुये इस खंड का रहना आवश्यक है और यह कान्सिक्वेन्शियल हो जाता है। यह जरूरी है और इसे निकालने की जरूरत नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, अब मेरे पास मूल धारा आ गई है। वह चाहते हैं कि उपधारा (२) में शब्द "फैक्टरी" तथा "के स्वामी" के बीच में शब्द "अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई" रख दिये जायं। इसका मतलब यह होता है कि जितना भी गन्ना पैदा होता है वह सब शामिल हो जायगा। मैं चाहूंगा कि यह शब्द न बढ़ाये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं खंड ४ का विरोध करता हूं और इसका कारण यह है कि अगर ऐसे व्यवसाइयों पर यह टैक्स लगाया जाता है जो केवल उद्योग के प्रयोजन से गन्ना खरीद कर कोई धन्धा चलाते हैं लेकिन इसमें जो शब्द लिखे हैं कि "प्रयोग, उपभोग अथवा बिक्री के निमित्त लाये गये गन्ने पर" इसके माने यह है कि अगर अपने निजी इस्तेमाल के लिये भी कोई लें तो भी उसे टैक्स देना होगा और जो लोग उद्योग के लिये लेंगे उन्हें भी देना होगा। साथ ही इसके प्रतिबन्धात्मक खंड में दिया है कि सरकार पूर्णतः अथवा अंशतः छूट दे सकती है, इसमें पक्षपात हो सकता है। जिसकी सिफारिश पहुंचेगी उसकी छूट हो सकती है और जो दूर रहेगा उस पर भार पड़ेगा। इस तरह से इसमें पक्षपात की गुंजायश है। साथ ही अगर यह गुंजायश रहेगी कि छूट देना है तो गन्ने के दाम पहले से ही बढ़ा दिये जायंगे। इसलिये यह मुनासिब नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--उपाध्यक्ष जी, मैं तिवारी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--कोई संशोधन नहीं है आप खंड ४ का विरोध कर रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--वह जो खंड ४ का विरोध कर रहे थे उसी का मैं समर्थन कर रहा हूं। अभी तिवारी जी की तरफ से कहा गया कि यह शब्द "प्रयोग, उपभोग अथवा बिक्री के निमित्त लाये गये गन्ने पर" बढ़ाने से इस के अन्तर्गत हर प्रकार की उत्पत्ति आ जाती है, जैसा कि अंग्रेजी में भी है, "यूज, कन्जम्प्शन ऐण्ड सेल" दिया है। इसमें यह भी अधिकार है कि भिन्न-भिन्न जगह अलग-अलग दरें लगाई जायं, किसी भी सीमा में वह चाहेंगे तो अंशतः या पूर्णतः छूट भी दे सकेंगे, यह बहुत वाइड पावर है। इस प्रकार से अधिकारियों को एक लाइसेंस देकर, एक अथारिटी देकर अधिक अधिकार देने का प्रयत्न किया गया है। उससे यह होगा कि वह जिसको चाहेंगे उसका पक्ष लेंगे और जिसको चाहेंगे उसको परेशान करेंगे। दूसरे, ये शब्द "प्रयोग और उपभोग" आदि जो कहे गये हैं इनके अन्तर्गत बहुत-से ऐसे हिस्से आ जाएंगे जिनकी मंशा इस ऐक्ट में नहीं है और ऐसे शब्दों को लेकर कभी-कभी हमारे हाईकोर्ट में भी आलोचना की गई है। इसलिये यह खंड निर्मूल है और इसको पास न किया जाय।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--उपाध्यक्ष जी, पिछले दिनों की बहस में मैंने केन सेस के छोड़ने और माफ करने के बारे में साफ-साफ बताया है। जब से यह सेस लगा तब से आज तक कांग्रेस सरकार ने कितनी बार छूट दी है? सन् १९५६-५७ में केवल एक बार दी गई। इन बड़े-बड़े मिल मालिकों को जिनकी दोस्ती जबर्दस्ती हमारे गले बांधी जाती है, अगर हमने छूट नहीं दी है तो इससे बड़ा और दूसरा सबूत क्या हो सकता है कि हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहते। हमारा पहला सारा का सारा काम इस बात की सफाई का है कि कभी हमने अनियमित काम नहीं किया, तो भविष्य के लिये भी विश्वास करना पड़ेगा कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे जब तक कि यह साबित न हो कि हम गलत हैं। हम जब छोड़ेंगे तो आफीशियल गजट में नोटीफाई करेंगे कि इन कारणों से छूट दी है। जो चीज खुली हुई होती है उसमें अंधेरापन रहेगा, यह बात ठीक नहीं है। एक बात यह कही गई कि छोटे-छोटे प्रयोग के लिये जो गन्ना लेंगे उन पर भी हम कर लगा रहे हैं। बात स्पष्ट है। कानून ऐसा होना चाहिये जिसमें कम से कम दिक्कत हो। हम नहीं चाहते कि अपने देश में हम कोई ऐसी चीज रखें कि लोगों को गलत बात कहने का लालच हो। किसी ने केन क्रशर लगा रखा है। जब कोई सेस मांगने गया तो कह दिया कि गन्ना भी मेरा है और क्रशर भी मेरा है। लेकिन वाकया यह है कि अपनी ही फैक्टरी, अपना ही क्रशर और अपना ही गन्ना ९९ परसेंट केसेज में आज नहीं है। फिर, आज जो आपका गन्ना है वह आपके अपने गुड़ के लिये ही नहीं है। यह कैसे मालूम हो कि आपने किस हद तक अपने गुड़ के लिये गन्ना पेरा और किस हद तक बेचने के लिये पेरा? तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि इस विरोध को माननीय सदस्य वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गई)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि जो लंच आवर पहले था वह सवा बजे से सवा दो बजे तक था, उस बीच में विभाजन की मांग उचित होगी या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष--जब से असेम्बली के नये नियम चालू हुए हैं तब से १ और २ बजे के बीच में यह परम्परा लागू है। अगर आप लोग सब दल मिल कर तय कर लें कि सवा बजे से सवा दो बजे तक होगा तो हमको कोई आपत्ति नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५—मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ३-क से ३-घ तक के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५६ में नई धारा ३—क से ३—घ तक का बढ़ाया जाना

"३—क—(१) गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली कोई इकाई सिवाय उस इकाई के जिसने उत्तर प्रदेश शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने का आदेश, १९५९ के अधीन लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो, शक्कर आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त किये बिना गुड़ या राब बनाने से सम्बद्ध कोई प्रक्रिया न करेगी न हाथ में लेगी।

गुड़ या राब बनाने के लिये लाइसेंस देना

(२) उपधारा (१) के अधीन लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र शक्कर आयुक्त को ऐसे आकार में तथा ऐसे शुल्क के खजाने के चालान के साथ, जो नियत किया जाय, दिया जायगा।

(३) उपधारा (२) के अधीन लाइसेंस दिये जाने या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र शक्कर आयुक्त द्वारा यथासम्भव शीघ्र निस्तारित किया जायगा और उसे अस्वीकृत नहीं किया जायगा सिवाय उस दशा के जब शक्कर आयुक्त की यह राय हो कि फैक्टरी में गन्ना पेरने की फसल भर पूर्ण रूप से कार्य जारी रखने के लिये गन्ने की पर्याप्त संपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है।

(४) उपधारा (३) के अधीन शक्कर आयुक्त के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय राज्य सरकार को अपील कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(५) लाइसेंस दिये जाने या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये जाने की दशा में प्रार्थी उस आज्ञा के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिये नियत अवधि की समाप्ति के पश्चात् या अपील के अस्वीकृत किये जाने पर दिये गये लाइसेंस शुल्क की वापसी का हकदार होगा। वापसी के प्रार्थना-पत्र पर एक रुपया पच्चीस नये पैसे का न्याय शुल्क (कोर्ट फ़ी) स्टाम्प लगाया जायगा।

३-ख—(१) धारा ३-क के अधीन दिया गया लाइसेंस प्रति वर्ष १ अक्तूबर से प्रारम्भ होने वाले बारह मास के अवधि के लिये वैध होगा, किन्तु उक्त अवधि के व्यतीत हो जाने के कम से कम ३० दिन पूर्व प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर तथा ऐसे शुल्क जो नियत किये जायं, दिये जाने की शर्त के अधीन रहते हुए, उसका नवीकरण समय-समय पर ऐसी अवधि के लिये किया जा सकता है जो १ अक्तूबर से प्रारम्भ होकर बारह मास से अधिक की न हो।

लाइसेंस का नवीकरण

(२) ऐसे विलम्ब शुल्क जो नियत किये जायं, दिये जाने की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन दिये गये या नवीकृत लाइसेंस का नवीकरण उस दशा में भी किया जा सकता है जब उसके लिये प्रार्थना-पत्र उपधारा (१) के अधीन तदर्थ निश्चित अवधि के पश्चात् दिया गया हो।

३—ग—(१) शक्कर आयुक्त इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के किसी उपबन्ध या लाइसेंस की किसी शर्त के उल्लंघन की दशा में इस अधिनियम के अधीन दिया गया या नवीकृत लाइसेंस निलम्बित या रद्द कर सकता है या उसका नवीकरण करने से इंकार कर सकता है।

लाइसेंस के निलम्बन या रद्द किये जाने की शर्तें

(२) उपधारा (१) के अधीन शक्कर आयुक्त के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय राज्य सरकार को अपील कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन लाइसेंस के रद्द या निलंबित किये जाने से लाइसेंस ग्रहीता किसी प्रतिकर का या उस लाइसेंस के सम्बन्ध में दिये गये किसी शुल्क की वापसी का हकदार न होगा।

शक्कर आयुक्त के अधिकार

३-घ—(१) शक्कर आयुक्त इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये—

(क) किसी गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के स्वामी से ऐसे अभिलेख, तथ्य-लेख (Data) या सूचना जो नियत की जाय, रखने, देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, और

(ख) यदि यह विश्वास हो कि इस अधिनियम का अथवा उसके अधीन बने नियमों का अथवा किसी लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, अथवा यदि ऐसे उल्लंघन की आशंका हो तो, किसी गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के भूगृहादि में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है, या किसी इकाई के गन्ने का रस, गुड़ या राब के, या उनसे बनने वाली किसी वस्तु के, बनाने से संबद्ध किन्हीं उपकरणों (Implements) को जब्त कर सकता है और उन्हें अभिरक्षा में ले सकता है।

(२) शक्कर आयुक्त उपधारा (१) के अधीन प्राप्त अपने समस्त या किसी अधिकार को अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है।"

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मान्यवर, मैं १२वां और १३वां संशोधन उपस्थित न करके १४वां उपस्थित कर रहा हूं जो इस प्रकार है....

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, आप १२, १३ पेश नहीं कर रहे हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—जी हां। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में ३-क(१) की उपधारा ४ की पंक्ति २ में शब्द "ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जावे" निकाल दिया जायं और इसके स्थान पर "३० दिन के अन्दर" रख दिया जाय।

यह संशोधन इसलिये प्रस्तुत कर रहा हूं कि छोटी-छोटी इकाइयां जिन पर यह लागू होने जा रहा है, तमाम गांव स्तर पर फैली हुई हैं और इनकी संख्या हजारों में होगी। अगर ऐसी कोई व्यवस्था न हुई कि इनके द्वारा, नीचे के अधिकारियों के निर्णय से असंतुष्ट हो कर की गई अपील किसी निर्धारित समय के भीतर तय नहीं हो सकी तो उन्हें काफी समय तक इंतजार करना पड़ेगा जिससे काफी नुकसान होगा। मैं यह नहीं कहता कि १५ दिन का समय हो या इस संशोधन को स्वीकार करके ही उसका प्राविजन किया जाय। यदि मंत्री जी नियमों द्वारा या अन्यथा कोई ऐसी व्यवस्था कर सकें जिसके द्वारा जो अपील्स नीचे के अधिकारियों के फैसले के खिलाफ हों उनका निर्णय जल्दी हो सके तो मैं समझता हूं उस शंका का समाधान हो सकेगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी, मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ में ३-क (१) की उपधारा ४ की पंक्ति २ में शब्द 'ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाये' निकाल दिया जाय और इसके स्थान पर '३० दिन के अन्दर' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ५ में ३-क की उपधारा ४ की पंक्ति ३ में "जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "जिसका निर्णय १५ दिन में राज्य सरकार द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा और वही अन्तिम होगा" रख दिया जाय।

मैं बड़ा आभारी हूं कि पहले वाला संशोधन स्वीकार करके ३० दिन की लिमिट हो गयी। लेकिन अगर इस संशोधन को स्वीकार करके, या जैसा मैंने अभी कहा कि किसी प्रकार से रूल्स द्वारा या अन्यथा कोई ऐसी व्यवस्था हो जाय कि १५ दिन या १ महीने के अन्दर नीचे की अपील्स का निर्णय हो सके तो जिस आशंका के आधार पर मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया था उसका समाधान हो जायगा और मैं उसको वापस ले लूंगा।

श्री गेंदासिंह--मैं इसका विरोध करता हूं। राज्य सरकार को इस प्रकार का अधिकार दिया जाना किसी भी हालत में देश के हित में नहीं होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि जो चीज संशोधन में रखी है कि राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा, ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--उपाध्यक्ष जी, जो मंशा माननीय जगदीश शरण जी की है, वह यह है कि यथाशीघ्र हो और एक क्षण की भी देर न लगे और अपील का फैसला हो जाय। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक क्षण भी अधिक नहीं लगेगा, लेकिन १५ दिन नियत कर देने से यह होगा कि वह व्यावहारिक न हो सकेगा। हमने गन्ना आयुक्त से मिसिल मांगी। ७-८ दिन कारसपोंडेंस में लग जायेंगे। इस तरह से १५ दिन नियत करने में दिक्कत हो सकती है। यह हो नहीं सकेगा। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस आश्वासन पर कि शीघ्रातिशीघ्र हम फैसला करेंगे, देर लगाने का कतई इरादा नहीं है, वह इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--मैं इस स्पष्टीकरण के बाद इसको वापस लेता हूं।

श्री गेंदा सिंह--मुझे वापस लेने में आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि श्री जगदीशशरण अग्रवाल को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५, ३-क (५) के अन्त में निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं :

"वापसी के प्रार्थना-पत्र पर एक रुपया पच्चीस नये पैसे का न्याय शुल्क (कोर्ट फी) स्टाम्प लगाया जायगा।"

दूसरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ५ में ३-क की उपधारा (५) की चौथी पंक्ति में अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं:

"यदि प्रार्थी स्वेच्छा से लाइसेन्स प्राप्ति के १५ दिन के अन्दर उसको वापिस करना चाहे और लाइसेन्स देने वाले अधिकारी को यह संतुष्ट कर दे कि उसने उसके अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया है तो वह लाइसेन्स शुल्क की वापसी का हकदार होगा।"

मान्यवर, मुझे बहुत ही संक्षेप में अपने संशोधन के समर्थन में इतना निवेदन करना है कि आज जब टैक्स का बोझ इतना है तो छोटे-छोटे ग्रामीणों से १ रु० २५ नये पैसे लिये जायेंगे यह एक अनावश्यक बोझ होगा और माननीय मंत्री इस १ रुपये २५ नये पैसे वाली बात को निकालने की कृपा करेंगे।

दूसरा संशोधन जो है वह स्पष्ट है कि ऐसे कुछ केसेज होते हैं जिनमें आदमी को स्वयं लाइसेन्स वापस लेने की आवश्यकता पड़ती है। उस हालत में उनकी सारी फीस जो

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

३०० रुपये की है वह जब्त हो जायेगी। उसके लिये यह अधिकार होना चाहिये कि १५ दिन के अन्दर वापस लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जो जगदीशशरण जी ने कोर्ट स्टाम्प की बात कही तो उस लगाते वक्त हमने यह सोचा था कि कुछ थोड़ी-सी जिम्मेदारी उस कागज की बढ़ जाती है लेकिन जैसा वह कहते हैं उसे स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि वह हटा दी जाय और वापसी के प्रार्थना-पत्र पर १ रुपये २५ नये पैसे का स्टाम्प हो, इसे निकाल दिया जायगा। जो दूसरी बात उन्होंने कही उसमें भी मुझे कोई उज्र नहीं है। अगर लाइसेंस मिलने के १५ दिन के अन्दर कोई आदमी आकर कहता है कि मैंने काम नहीं किया है और न करना चाहता हूं तो उसको लाइसेन्स की फीस वापस करने में मुझे कोई उज्र नहीं है। मैं इन संशोधनों को स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५, ३-क (५) के अन्त में निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं :--

'वापसी के प्रार्थना-पत्र पर एक रुपया पच्चीस नये पैसे का न्याय शुल्क (कोर्ट फी) स्टाम्प लगाया जायगा।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ में ३-क की उपधारा (५) की चौथी पंक्ति में अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं:

"यदि प्रार्थी स्वेच्छा से लाइसेन्स प्राप्ति के १५ दिन के अन्दर उसको वापिस करना चाहे और लाइसेन्स देने वाले अधिकारी को यह संतुष्ट कर दे कि उसने उसके अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया है तो वह लाइसेन्स शुल्क की वापसी का हकदार होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री गेंदासिंह**--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत कम समय लेना है क्योंकि मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, शायद अब भी मेरी वह बदनामी बच जाय कि मैं चीनी से ज्यादा मुहब्बत करता हूं। आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं:

"मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ३-क से ३-घ तक के रूप में बढ़ा दिया जाय :

३-क--(१) गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली कोई सिवाय उस इकाई के जिसने उत्तर प्रदेश शक्कर निर्माताओं में अपने को पहले दर्ज करा लिया हो, शक्कर आयुक्त को आवेदन-पत्र दिये बिना यान्त्रिक सहायता से शक्कर नहीं बनायेगी।

उपधारा (१) के अधीन शक्कर निर्माताओं में नाम दर्ज कराने के लिये प्रार्थना-पत्र शक्कर आयुक्त को ऐसे आकार में जिसे नियत किया जाय पांच रुपये शुल्क के साथ दिया जायगा।

उपधारा (२) के अधीन नाम दर्ज कराने वाले प्रार्थना-पत्र शक्कर आयुक्त द्वारा यथासम्भव शीघ्र निस्तारित किया जायगा और उसे अस्वीकृत नहीं किया जायगा सिवाय उस दशा में जब शक्कर आयुक्त की राय हो कि फैक्टरी में गन्ना पेरने की फसल १९४७-४८ के सीजन से कम न होने के उद्देश्य से यहां लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपधारा (३) के अधीन शक्कर आयुक्त के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल को अपील कर सकता है।

उपखंड पांचवें की अन्तिम दो पंक्तियां निकाल दी जायं।"

मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में मुझे कुछ विशेष कहने की जरूरत नहीं है। मैं जो उच्च आयुक्त से चाहता हूं कि अपील सुनने का उसको अधिकार हो उसमें मेरी बड़ी निश्चित धारणा है कि केन कमिश्नर और राज्य सरकार में कोई भी भेद नहीं है। केन कमिश्नर जो फैसला करेगा वह वही फैसला करेगा जो राज्य सरकार की इच्छा की बात होगी। तो केन कमिश्नर के फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार के यहां अपील हो और उसमें कुछ हेर-फेर हो जाय, ऐसा मुझे विश्वास नहीं है और न कोई हेर-फेर कभी हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष--आपने बीच में रोक क्यों दिया? पहले सब को पेश कर दीजिये तब बोलें।

श्री गेंदासिंह--बहुत अच्छा।

"३-ख के उपखंड ३(१) की पंक्ति दो में शब्द 'बारह मास' के स्थान पर शब्द 'पांच वर्ष' रख दिया जावे तथा पंक्ति छः में भी शब्द 'बारह मास' के स्थान पर शब्द 'पांच वर्ष' रख दिया जाय।

३-ग--खंड ३-ग के उपखंड २ की पंक्ति २ में शब्द 'राज्य सरकार' के स्थान पर शब्द 'उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल' रख दिया जाय।

३-घ--उपखंड (ख) की पंक्ति में शब्द 'इकाई' के बाद का अंश निकाल दिया जाय, तथा निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं--

'से तुरन्त कागजात मंगाकर नियत ढंग से कार्यवाही कर सकता है।'

उपखंड (ख) के दूसरे पैरा की दूसरी पंक्ति में शब्द 'प्रतिनिहित' तथा शब्द "कर सकता है" के बीच शब्द "नहीं" बढ़ा दिया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, काफी लम्बा अमेंडमेंट है और हर एक पर हमें कुछ कहने में दिक्कत हो रही है। हम संक्षेप करने की कुछ भी कोशिश करें लेकिन इनके साथ जस्टिस नहीं कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि इस समय सब की इच्छा यही है कि जस्टिस हो या न हो लेकिन समय नहीं लगना चाहिये। जिस तरह से यह आर्डिनेंस और विधेयक जल्दी से जल्दी पास कराने के लिये आया है उससे मैं क्या सोचूं? कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी पास करो वरना हम दुनिया की कोई बात नहीं करने देंगे। इससे मैं क्या सोचूं? मैं ठेठ देहाती आदमी हूं। मेरे अन्दर जो भावना है उसको भी मैं नहीं रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यदि उनको मुनासिब मालूम होता है तो स्वीकार करें वरना न करें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--श्रीमन्, माननीय गेंदा सिंह जी ने इतनी संक्षिप्त तकरीर की उसके लिये बधाई है। उनका एक हिस्सा कोर्ट फीस वाला तो मान ही लिया गया है। इसलिये कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये कि हम उनकी बात नहीं मानते हैं। गेंदा सिंह जी भी बेहद नाराज हैं और वह हमारी अच्छी बात को भी नहीं मानते हैं। उन्होंने सदन का समय अधिक नहीं लिया इसलिये इंसाफ का तकाजा यही है कि मैं भी कुछ न कहूं। सिर्फ इतना कहूंगा कि उनके संशोधन से कितनी ही आपत्तियां उठेंगी जो इस विधेयक के लिये ही नहीं बल्कि परम्पराओं के लिये भी हितकर नहीं होंगी। अस्तु, मैं उनके शेष जितने भी संशोधन हैं उनका विरोध करता हूं।

श्री गेंदासिंह--मैं बहुगुणा जी की और मुख्य मंत्री जी की बड़ी कृपा मानता हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ३-क-से ३-घ तक के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"३-क (१) गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली कोई सिवाय उस इकाई के जिसने उत्तर प्रदेश शक्कर निर्माताओं में अपने को पहले दर्ज करा लिया हो, शक्कर आयुक्त को आवेदन-पत्र दिये बिना यांत्रिक सहायता से शक्कर नहीं बनायेगी।

उपधारा (१) के अधीन शक्कर निर्माताओं में नाम दर्ज कराने के लिये प्रार्थना-पत्र शक्कर आयुक्त को ऐसे आकार में जिसे नियत किया जाय पांच रुपये शुल्क के साथ दिया जायगा।

उपधारा (२) के अधीन नाम दर्ज कराने वाले प्रार्थना-पत्र शक्कर आयुक्त द्वारा यथासंभव शीघ्र निस्तारित किया जायगा और उसे अस्वीकृत नहीं किया जायगा सिवाय उस दशा में जब शक्कर आयुक्त की राय हो कि फैक्टरी में गन्ना पेरने की फसल १९४७-४८ के सीजन से कम न होने के उद्देश्य से यहां लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है।

उपधारा (३) के अधीन शक्कर आयुक्त के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल को अपील कर सकता है,

उपखंड पांचवें की अंतिम दो पंक्तियां निकाल दी जायं।

३-ख के उपखंड ३(१) की पंक्ति दो में शब्द'बारह मास' के स्थान पर शब्द'पांच वर्ष' रख दिया जावे तथा पंक्ति छः में भी शब्द'बारह मास' के स्थान पर शब्द'पांच वर्ष' रख दिया जाय।

३-ग--खंड ३-ग के उपखंड २ की पंक्ति २ में शब्द"राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल" रख दिया जाय।

३-घ--उपखंड (ख) की पंक्ति में शब्द'इकाई' के बाद का अंश निकाल दिया जाय, तथा निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं--

'से तुरन्त कागजात मंगाकर नियत ढंग से कार्यवाही कर सकता है।'

उपखंड (ख) के दूसरे पैरा की दूसरी पंक्ति में शब्द 'प्रतिनिहित' तथा शब्द 'कर सकता है' के बीच में शब्द 'नहीं' बढ़ा दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी--उपाध्यक्ष जी, मैं इस खंड का सम्पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। ऐसे तो इसके संबंध में कुछ संशोधन हमारे अग्रवाल जी के स्वीकृत भी हुए और उनको शायद संतोष भी हुआ हो और भाई गेंदासिंह जी के संशोधन स्वीकृत नहीं हुए। उनको संतोष क्या होगा। असंतोष बढ़ गया होगा। मैं इस खंड ३ की बढ़ी हुई सभी धाराओं का विरोध करता हूं क्योंकि उपधारा ३ में जो अधिकार पहले से दिये हुए हैं उन अधिकारियों की वृद्धि क,ख,ग,घ,से की गयी है। वह अतिवृद्धि हो गयी है। मैं थोड़ा सा पढ़ कर सुना दूं:

"यदि यह विश्वास हो कि इस अधिनियम का अथवा उसके अधीन बने नियमों का अथवा किसी लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, अथवा यदि ऐसे उल्लंघन की आशंका हो तो, किसी गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के भूगृहादि में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है, या किसी इकाई के गन्ने का रस, गुड़ या राब के या उनसे बनने वाली किसी वस्तु के बनाने से संबद्ध किन्हीं उपकरणों को जब्त कर सकता है और उन्हें अभिरक्षा में ले सकता है।"

किसी के घर में घुसकर तलाशी लेने और उसके बाद बनाने के सभी उपकरणों को जब्त करने का, ये सब अधिकार शुगर कमिश्नर को, न केवल शुगर कमिश्नर को बल्कि उनके अधीनस्थ छोटे से छोटे अधिकारी को प्राप्त हैं क्योंकि नीचे ही लिखा हुआ है कि शक्कर आयुक्त अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को अपने समस्त या किसी अधिकार को प्रतिनिहित कर सकता है। वह अधिकारी इंस्पेक्टर या चपरासी तक हो सकता है। मैंने चपरासी का नाम इसलिये लिया क्योंकि एक्साइज ऐक्ट में तलाशी लेने का अधिकार चपरासी को है। उसके बहुत इज्जतदार लोग भुक्तभोगी हैं जिनको चपरासी ने तलाशी के लिये रोका और उनकी तलाशी ली। ऐसे कई सज्जनों की जेबें टटोली गयीं, उनके बंडल या होलडाल की एक एक चीज देखी गयी। सिगरेट का डिब्बा और चश्मे का डिब्बा तक देखा गया सिर्फ इसलिये कि यह उनका अधिकार है। अगर चपरासी से कहा जाय कि किसी मिनिस्टर की आपने तलाशी ली इसलिये कि शायद उनके भी पास निकल आये, तो उन्होंने किसी मिनिस्टर की तलाशी नहीं ली।

श्री उपाध्यक्ष--यह तो गांजे और भांग की बात कर रहे हैं।

(हंसी)

श्री मोतीलाल अवस्थी--बिलकुल वही बात कर रहा हूं जिसके अन्दर एक आयुक्त को अधिकार दे दिये गये हैं। यह उपखंड भी कहता है कि अपनी पावर्स किसी भी अधिकारी को वह डेलीगेट कर सकते हैं और किसी अधिकारी के अन्तर्गत कोई सीमा नहीं है। वह अधिकारी श्रीमान् जी, चपरासी ही विशेषतौर से होंगे जिनको ये अधिकार दे दिये जायेंगे और वह बड़ी खूबी के साथ निबाहेंगे भी क्योंकि हमने ऐसा निबाहते उनको देखा है। यह अधिकार इसी तरह अमल में लाये जाते हैं और इन किसानों के लिये तो वही उपयुक्त समझे भी जायेंगे कि वह देहातों में जाकर किसी के घर में प्रवेश करें और उनकी तलाशी लें क्योंकि वहां शक्कर आयुक्त तो जा नहीं पायेंगे, उनकी मोटर वहां पहुंचेगी नहीं, न जीप, न उप-आयुक्त पहुंचेंगे और न ही उनके इंसपेक्टर पहुंचेंगे बल्कि साधारण से साधारण अधिकारी जो होंगे वही पहुंचेंगे। ऐसी हालत में जो व्यापक अधिकार दिये गये हैं उनसे मैं भयभीत हूं और वह इसलिये विशेष तौर से यह तलाशी वगैरह की बात जो की गई है यह अब उन लोगों के लिये भी लागू होगी जो बेचारे छोटे-छोटे काश्तकार सहकारी ढंग पर या बेल के रूप में गन्ना पेरने का काम करेंगे और उससे गुड़ और खांडसारी वगैरह बनायेंगे। मुझे याद पड़ता है कि कांग्रेस बेंच के ही एक सदस्य ने जो शायद किसानों के दर्द से द्रवीभूत थे उन्होंने कहा था कि किसानों का गुड़ तो छोड़ दो, यह गुड़ खाकर ही वह थोड़ी-सी ताजगी पा लेता है और इतना परिश्रम करता है। तो इस गुड़ के उत्पादन पर तो हाथ न डालो और जो छोटे-छोटे पैमाने के उत्पादन हैं उन पर हाथ न डालो। लेकिन वह सज्जन एक जोशीला भाषण तो दे डाले पर जब मत देने का समय आया तो पता नहीं या तो कहीं छिप गये या शरमा गये। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि दफा ५ जो है, जिसमें खंड ३ के अधिकार जो डाले गये हैं, उनमें अतिशयोक्ति है। हमारा अब इसमें हंसी होने लग गयी है कि अब तो सरकार को पूरा अधिकार है कि वह जहां चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, दखल दे सकती है। तो इससे हमारी स्थिति बड़ी उपहासास्पद हो गयी है। इसी धारा ३ में मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से किसी उपनियम का खंडन करने पर कितनी सजा दी जा सकेगी। यह आगे वाली धारा ४ में है जिसमें ६ महीने की सजा और ५ सौ रुपये की बात है और द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार है। यह अभी आपके सामने वह धारा आ नहीं रही है, आगे चलकर आयेगी। उसमें है उपकर अदा न करने के अलावा कि यदि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे तो उस पर मुकदमा चलाया जायगा। मान लीजिये किसी अधिकारी की तलाशी लेने में कोई कुछ विरोध करता है या किसी बात में कुछ देर हो जाती है तो वह दंड व्यवस्था के अन्दर लाया जा सकेगा और ज्यों ही दंड व्यवस्था की बात आती है किसान घबड़ा जाता है। इसलिये मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि लोग समझेंगे कि चीन की बात मैं आने नहीं देना चाहता और चीनी

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

की ही चला रहा हूं। लेकिन यह चीनी तो पेट से संबंध रखने वाली है और चीन वाला तो शब्दों से। मैं चीनी को चीन के रूप में नहीं चीनी के रूप में ही लेना चाहता हूं, शब्दों के प्रहार को ज्यादा मूल्य नहीं देना चाहता हूं। यदि चीनी न रही तो चीन की कोई बात नहीं आयेगी। सलिये मैं चाहता हूं कि चीनी का संरक्षण हो और चीनी के ऊपर विचार करते हुए हम किसी दूसरी तरफ फंस न जायं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बहुगुणा जी का नहीं है बल्कि पूंजीपतियों का विधेयक है क्योंकि मैं यह जानता हूं कि बहुगुणाजी का गन्ना वगैरह से कोई संबंध नहीं है। वह उनकी ही भाषा बोलते हैं इसलिये वह सदन की राय को सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। धारा ५ के मुताबिक शुगर कमिश्नर को ऐसा अधिकार दिया गया है जो बिलकुल निरंकुश अधिकार है क्योंकि वही अपने विवेक से तय करेगा कि लाइसेंस किस सूरत में देना चाहिये। जहां पर यह हक दिया गया है कि नियम का उल्लंघन कर दिया गया तो जब्त कर लिया जाय वहां पर भी उसको बड़ा अधिकार दिया गया है। अग्रवाल जी का संशोधन इस तौर पर स्वीकार किया गया कि वापसी अपील के लिये कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगी लेकिन बहुगुणा जी यह चाहते हैं जो कि ३-ग में दिया है कि "(३) उपधारा (१) के अधीन लाइसेंस के रद्द या निलम्बित किये जाने से लाइसेंस ग्रहीता किसी प्रतिकर का या उस लाइसेंस के संबंध में दिये गये किसी शुल्क की वापसी का हकदार न होगा"। आप यह चाहते हैं कि अगर उसका लाइसेंस जप्त कर लिया गया तो फिर वह शुल्क वापस पाने का हकदार नहीं है। इसलिये उनको ही यह तय करना है कि यदि हिसाब-किताब उन्होंने मांगा है और समय से उसने नहीं दिया तो नियम का उल्लंघन होने पर उसका लाइसेंस जब्त किया जायगा। यहां पर आशंका होने पर ही वह जब्त कर लेगा। आशंका शब्द ही केवल यहां पर आया है कि उसको आशंका होने पर बिना किसी निश्चित निर्णय के उसके सारे औजार जब्त कर लिये जायेंगे। आखिर इस तरह की कार्यवाही करने का अधिकार आप क्यों दे रहे हैं? इसका एक ही मंशा है और वह यह कि आपके हृदय में गन्ना उत्पादकों का न तो दर्द है और न उनकी भलाई के लिये खयाल है। केवल एकतरफा अधिकार आप शुगर कमिश्नर को देना चाहते हैं, बस यही आपकी मंशा है। आप गन्ना उत्पादकों का ह्रास चाहते हैं और मिल-मालिकों का भला चाहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर सरकार चीनी को नियंत्रित भाव पर बिकवाने में असमर्थ रही है और उसी प्रकार से किसानों से जो लाइसेंस का शुल्क मिल चुका है वह सरकार वापस नहीं दिलाती है तो उससे उनका ही नुकसान नहीं होगा बल्कि देश का भी नुकसान होगा। इस प्रकार से यह जो विधेयक पेश किया गया है यह बिलकुल किसानों के खिलाफ है और सदन को यह विधेयक पास नहीं करना चाहिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उपाध्यक्ष महोदय, इस दो तीन दिन की बहस में जितने सवाल उठाये गये हैं उनके जवाब दिये जा चुके हैं फिर भी उन उत्तरों से प्रश्न निकलते चले गये और निकलते रहे हैं। इसके संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। एक निरंकुश अधिकार की बात कही गई है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---रहने दीजिये; आप भी कह कर क्या करेंगे।?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--यदि राजनारायण जी की ऐसी इच्छा है तो मैं यह कह कर ही समाप्त करता हूं कि मैं इन सारे सवालों का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

(६) मूल अधिनियम की धारा ४ में शब्द "उपकर अदा न करे" और उनके पश्चात् आये हुये कामा के बीच में शब्द "या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे" बढ़ा दिये जायं। उ०प्र०अधिनियम संख्या २२, १९५६ की धारा ४ का संशोधन

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७--मूल अधिनियम की धारा ८ में जहां भी शब्द "फैक्टरी" आया हो उसके स्थान पर शब्द "फ़ैक्टरी अथवा गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई" रख दिये जायं। उ०प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५६ की धारा ८ का संशोधन

श्री मोतीलाल अवस्थी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता था कि मूल अधिनियम की धारा ८ में जहां भी शब्द "फैक्टरी" आया हो उसके स्थान पर शब्द "फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई" रख दिये जायं। आप हम लोगों के दिल की इस बात को जान लें कि इसका विरोध कदम कदम पर किया गया इसलिये कि ये चीजें न आने पायें कि फैक्टरी के साथ शब्द "गुड़, राब या" रखे जा सकें। यह विरोध इसलिये किया गया कि इसके बाद इस विधेयक का क्षेत्र व्यापक हो जायगा और किसानों के पास जो बचा खुचा अपनी आमदनी बढ़ाने का जरिया है उस पर भी सरकार का हाथ फैलेगा। आप लोग सहकारी खेती, उच्चतम सीमा आदि की तमाम बातें कहते हैं लेकिन इस तरह के बिल ला कर आप उनकी रही सही आमदनी को भी नष्ट कर देना चाहते हैं। यह अंकुश इसलिये लगाया जा रहा है कि मिल वालों को सुरक्षा मिले। उनको सुरक्षा मिले या न मिले लेकिन इसका नतीजा यह होगा कि कानपुर जैसे जिले में जहां एक भी शक्कर मिल नहीं है, गुड़ और खंडसारी बनाने वालों को लाइसेंस लेना पड़ेगा और सरकार का दबदबा शुरू हो जायगा। तो इसका विरोध इसलिये किया जा रहा है कि एक नयी चीज है और इस के द्वारा किसानों पर एक आफत आजायगी। इसलिये इसका हर कदम पर विरोध करना हमने अपना कर्त्तव्य समझा है और आशा है कि सरकार इस मंशा को समझ कर इसमें आवश्यक संशोधन करेगी। सरकार इस बिल द्वारा उन किसानों को भी टैक्स के जाल में बांधने जा रही है जो अभी तक अछूते रहे हैं। मैं सरकार के इस कदम का विरोध करता हूं और समझता हूं कि इसको नहीं रहना चाहिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को समझाते समझाते थक गया हूं कि यह सेस सिर्फ रिजर्व एरिया के किसानों के लिये ही है और बाहर का सवाल इसमें नहीं है। यह सिर्फ उन्हीं जगहों पर लगेगा जहां पर कि चीनी मिलों के रिजर्व एरियाज हैं। मोतीलाल जी को उस के बाहर भी दिखायी दे रहा है इसके लिये मैं लाचार हूं और चूंकि कोई नई बात नहीं कही गयी इसलिये कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी--इसके जवाब में मैं केवल इतना ही . . . .

श्री उपाध्यक्ष--आपको जवाब देने का अधिकार नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८, ९, शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५६ की धारा १० का संशोधन

८---मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा(२) में खंड(ग) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (ग-१) के रूप में बढ़ा दिया जाय:---

"(ग-१) लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र का आकार और इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस के निबन्धन और शर्तें तथा लाइसेंस दिये जाने के लिये लिया जाने वाला शुल्क या विलम्ब शुल्क।"

उ० प्र० अध्यादेश ६, १९५६ का निरसन

९---उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर(संशोधन) अध्यादेश, १९५९, निरस्त किया जाता है तथा यू०पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त अधिनियमित (enactment) हो और पुनः अधिनियमित किया गया हो।

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५९

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५६

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, १९५६ को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५६
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ६, १९५९

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, १९५६ को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये गवर्नर द्वारा ३० नवम्बर, १९५९ को उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ प्रख्यापित किया गया था;

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश, जो 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद २१३(२) (क)के अधीन विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्त्तन में न रहेगा, विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम

१---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर(संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं खंड ८ का विरोध करता हूं। जब सरकार चीनी वालों के सामने घुटने टेक देती है तो मैं भी नहीं चाहता कि चीनी वाले मामले में सदन का अधिक समय लिया जाय और चाहता हूं कि इसको समाप्त कर चीन वाले मामले पर विवाद शीघ्र हो।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, हम केवल सत्य के सामने घुटने टेकते हैं वरना और कोई शक्ति नहीं है कि जिसके सामने हम घुटने टेकें। इसलिये मैं उनकी बात का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इस खंड को स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८,९, शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १ इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाय । इस किसान को भी बोलने का मौका दिया जाय कभी कभी. . . .

श्री उपाध्यक्ष---आपको भी इनके बाद बोलने का मौका दिया जायेगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं इसका विरोध कर रहा हूं । माननीय बहुगुणा जी ने जो बुद्धिमत्ता दिखाई है वह मेरी समझ में नहीं आई । उन्होंने कहा कि यह सिर्फ रिजर्व एरिया के लिये ही, मिल एरिया के लिये ही किया जा रहा है । किन्तु आप देखें, ऐसा नहीं है । सरकार का जो ज्ञापन इस अध्यादेश में छपा है उसमें लिखा है कि राज्य के अन्य क्षेत्रों में खंडसारी इकाइयों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि रोकने के उद्देश्य से उक्त आदेश का प्रसार सम्पूर्ण राज्य में करने का निर्णय किया गया । तो यह जहां २० जिलों में था, अब सम्पूर्ण प्रदेश में हो गया । इस तरह से तो चाहे वह मिल एरिया हो या न हो, सभी जगह लागू समझा जायेगा । अब यह कहा जाता है कि साहब, यह तो मिल एरिया के लिये ही किया जा रहा है तो मैं नहीं समझता कि यह कहां तक ठीक है, इस बात को वे लोग ही समझें । मैं यह कहना चाहता हूं कि बिल बड़ा ही घातक है, दोषपूर्ण है, और इससे किसान का भला होने वाला नहीं है । किसानों की थैली को लूटने ही वाला है । इसके द्वारा जो भी कार्यवाही होगी वह बड़ी आतंककारी होगी, उससे बड़ा नुकसान होगा । भले ही सरकार के कोष में ६ लाख या कुछ रुपया जमा हो जाय । जिन हिस्सों में यह लागू नहीं था, इस विधेयक के पास होने से उन हिस्सों में भी यह लागू किया जायेगा । अतः यह सम्पूर्ण अधिनियम जैसा कि यह संशोधित हुआ है इस हाउस को अमान्य है ।

***श्री टीकाराम पुजारी**--मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है कि यह बहस जो हो रही है इसकी न तो जड़ है और न पत्ते ही हैं । किसानों की जो चीज है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । इस 'हां' में और 'न' में किसान का कोई भला होने वाला नहीं है । इससे कोई तथ्य नहीं निकल सकता । किसान का फायदा न तो 'हां' में है और न 'न' में है । हमारी सरकार हर वक्त विधेयक पेश करती है, हर वक्त संशोधन ले आती है, लेकिन उससे कोई गरीब का भला होने वाला नहीं है । उस दिन भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि उस किसान की भलाई के लिये भी सोचना चाहिये ।

आप देखें कि अगस्त के महीने में, सितम्बर, मई, जून और नवम्बर तक के महीने में गुड़ का भाव २१ और २२ रुपये मन था और आज वह १३ रुपये १४ रुपये मन ही रह गया है । इस पर किसी ने आलोचना नहीं की, किसी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा । चीनी के बारे में सारी बहस हुई । किसान तड़प कर मरा जा रहा है, जीपतियों का यह सरकार भला कर रही है । चीनी जिस भाव अगस्त, सितम्बर, मई व जून में बिक रही थी उसी भाव वह आज भी बिक रही है । उसका भाव आज भी सवा रुपये सेर है । उसकी कीमत नहीं घटी । लेकिन, श्रीमन्, गुड़ का भाव इतना गिर गया है । इस बात पर यह सरकार कभी ध्यान नहीं देती ।

मेरा सुझाव यही है कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे जिससे कि गरीब का भी कुछ भला हो । अमीर आदमी को, मेरा सुझाव है, चीनी डेढ़ रुपये सेर मिले और गरीब आदमी को १२ आने सेर मिलनी चाहिये और गुड़ का खयाल भी रखना चाहिये । गन्ने का भाव १ रुपये ५ आने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री टीकाराम पुजारी]

मन और मिल में पहुंचाने पर १ रुपये १० आने मन लेकिन उधर करबी, चारे और भूसे का भाव २ रुपये मन। अगर इसको देखते हुये किसान गन्ना बोना रोक दे तो हम सब चीनी के लिये तड़प-तड़प कर रह जावेंगे, इसलिये मैं कहता हूं कि किसान की चीज यानी गुड़ का खयाल करो, वह २२,२३ रुपये मन थी, आज १२,१३ रुपये मन है। मेरा यही कहना है कि गुड़ का भाव तय किया जाय।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--श्रीमन्, मुझे इसके सम्बन्ध में कुछ ज्यादा नहीं कहना है। जितना सेस लगाने का सम्बन्ध है वह सिर्फ रिजर्व्ड एरिया के अन्दर उन यूनिट्स के ऊपर है जो इस नियम की परिधि के अन्दर आवेंगे; उसमें ही वह राब और गुड़ या खांडसारी के यूनिट्स भी आवेंगे। मुझे आशा है कि इस सफाई के बाद सदन इस विधेयक को पारित करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५९, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

२४ दिसम्बर को सात मिनट तक विभाजन की घंटी बजते रहने के सम्बन्ध में 'पायनीयर' में प्रकाशित समाचार का खंडन

श्री उपाध्यक्ष--मेरा ध्यान २५ तारीख के 'पायनीयर' की तरफ दिलाया गया है जिसमें स्नप वोटिंग के समय घंटी बजन का समय दिया गया है कि घंटी ७ मिनट तक बजती रही। म समझता हूं कि इसमें 'पायनीयर' के जो प्रतिनिधि यहां थे उनको कुछ भ्रम हुआ है। नियम यह है कि जब कोई विभाजन की मांग की जाती है तो पहिले अवसर पर ३ मिनट तक घंटी बजायी जाती है और उसके बाद २ मिनट तक और कभी-कभी जब विभाजन की मांग लगातार होने लगती है तो उस समय अध्यक्ष दोनों दरवाजे बन्द करवा देते हैं और बिना घंटी बजे भी विभाजन हो सकता है। तो उस दिन नियमानुकूल केवल तीन मिनट तक घंटी बजी। मैं पत्र प्रतिनिधियों से आशा करूंगा कि ऐसी रिपोर्टिंग सावधानी से होनी चाहिये क्योंकि इसका सम्बन्ध चेयर से होता है। जो घंटी बजती है वह न तो कांग्रेस पार्टी की राय से बजती है और न विरोधी दलों में से ही किसी के कहने पर बजती है।

कान्स्टीट्यूशन (एट्थ अमेन्डमेंट) बिल, १९५९ के अनुसमर्थनार्थ संकल्प

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करना चाहता हूं:--

"यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कान्स्टीट्यूशन (एट्थ अमेंडमेन्ट) बिल, १९५९[The Constitution Eighth (Amendment) Bill, 1959] द्वारा 'भारत के संविधान' क अनुच्छद ३३४ में प्रस्तावित संशोधन का अनुसमर्थन करता है।"

हमारे संविधान की धारा ३३४ में लिखा है :--

"334. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part, the provisions of this Constitution relating to—

(*a*) the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Sheduled Tribes in the House of the People and in the Legislative Assembly of the States ;

shall cease to have effect on the expiration of a period of ten years from the commencement of this Constitution."

अर्थात् अनुसूचित जातियों को चुनाव के सम्बन्ध में जो संरक्षण मिले हुये हैं वह संविधान के लागू होने के १० वर्ष के बाद समाप्त हो जाने चाहिये वह समय आ गया है। पार्लियामेंट में दोनों सदनों ने इस बात को तय किया है कि यह मियाद १० वर्षों के लिये और बढ़ा दी जाय। लेकिन यह चीज लागू तब होगी जबकि कम से कम आधे राज्यों के लेजिस्लेचर्स इसको स्वीकार कर लें। इस कारण से यह चीज हमारे सामने आई है। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि अनुसूचित जातियों को १० वर्ष का संरक्षण और देना चाहिये।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदन के नेता ने संविधान की दुहाई देते हुये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूं। जब यह प्रस्ताव भारतीय संसद के समक्ष उपस्थित था उस समय भी हमारे प्रदेश के एक मिनिस्टर जो माननीय सम्पूर्णानन्द की केबिनेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, श्री गिरधारी लाल, उन्होंने समाचार-पत्रों में अपना बयान प्रकाशित कराया था कि इस तरह की जो १० वर्ष की अवधि बढ़ाई जा रही है उससे अछूतों की दासता की बेड़ियां और भी मजबूत हो रही हैं और उन्होंने उसका विरोध किया था। रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया जो कि अछूतों की एक-मात्र प्रतिनिधि संस्था है उसने भी इस संशोधन का जोरदार शब्दों में विरोध किया है। भारतीय पार्लियामेंट में रिपब्लिकन पार्टी के जो सदस्य हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया था। यह संशोधन जिस वर्ग से सम्बन्ध रखता है उसके अधिकांश सदस्य इसके विरोधी हैं और उनका कहना यह है कि दस वर्ष के लिये अछूतों के लिये जो रिजर्वेशन बढ़ाया जा रहा है वह भारतीय अछूतों की गुलामी की जंजीर को १० वर्ष के लिये और भी कड़ी कर देगा।

इस संशोधन द्वारा समाज के जिन बंधुओं को संरक्षण दिया जा रहा है वह इस संरक्षण को अपने लिये और समाज के लिये अहितकर समझते हैं और उनकी प्रतिनिधि संस्था भी इसको अहितकर समझती है। प्रदेश की सरकार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हुये भी, एक मिनिस्टर के पद पर आसीन होते हुये भी जब स्वयं गिरधारी लाल जी इस संशोधन का विरोध करते हैं, समाज के जिस अंग पर इस संशोधन का असर पड़ने वाला है उसकी प्रतिनिधि संस्थायें इसका विरोध कर रही हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस विधान सभा को ऐसी कौन-सी आवश्यकता आ पड़ी है कि वह इसका समर्थन करे। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हम छुआछूत के कलंक को इस देश से मिटाना चाहते हैं, यदि हम इस देश के अछूतों को उन्नति का मार्ग देना चाहते हैं और यदि हम यह चाहते हैं कि भारत के अन्य वर्गों की तरह स्वाधीनता का उपयोग करते हुये इन लोगों को भी वास्तविक संरक्षण दिया जाय तो भारत से इस छुआछूत के नाम को ही मिटा देना चाहिये। आज विधान में, समाज में या किसी भी जगह कोई ऐसा स्थान नहीं रहना चाहिये कि यह अछूतों के लिये रिजर्व्ड है, इतनी परसेंटेज अछूतों के लिये हैं या इतने वर्षों के लिये है। जब तक यह संरक्षण या रिजर्वेशन का नाम है तब तक इस देश से छुआछूत का कलंक और उसका भूत दूर नहीं हो सकता। यदि हम वास्तव में इस बात के इच्छुक हैं कि भारत के सभी प्राणी मानवता के नाते बिना किसी भेद-भाव के उन्नति कर सकें तो हमें इस प्रकार के किसी भी संरक्षण की मांग नहीं करनी चाहिये। आज अछूतों के लिये यदि रिजर्वेशन नहीं होता तो अछूत हर प्रकार की सीट्स पर चुनाव लड़ सकेंगे। अगर उनकी सीट्स रिजर्व की जाती हैं तो लामुहाला उन पर ही चुनाव लड़ना उसके लिये आवश्यक हो जाता है।

आगरा कार्पोरेशन का चुनाव हुआ तो अछूतों ने सभी राजनैतिक पार्टियों के मुकाबिले में अधिक सीटें जीतीं। आगरा कार्पोरेशन में ६ सीट्स अछूतों के लिये सुरक्षित थीं। लेकिन उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में जनरल सीटों के लिये भी चुनाव लड़ा और उनके १५ मेम्बर चुन कर पहुंच गये और आज आगरा कार्पोरेशन में वह सबसे बड़ी पार्टी है। जब किसी पार्टी के इतने सदस्य बिना किसी संरक्षण के चुने जा सकते हैं तो फिर उनके लिये संरक्षण देने की क्या आवश्यकता है। अगर उनके लिये संरक्षण न होगा तो वे जनरल सीटों पर से चुनाव लड़ सकेंगे और अपना बहुमत वहां प्राप्त कर सकेंगे। आज एक ओर तो हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि हमारे बीच से यह छुआछूत का भूत समाप्त हो फिरभी हम उनको और लोगों की भांति ही समान अधिकार नहीं देना चाहते हैं ताकि वे अपनी ताकत और सेवाओं के बल चुनाव लड़ सकें।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

हमारे देश के उच्चतम नेताओं ने संविधान के बनाते समय यह तय किया था कि अछूत और परिगणित तथा आदिवासियों के लिये १० साल का संरक्षण होगा और इसी प्रकार से उन्होंने हमारे देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी के लिये भी १५ वर्ष की अवधि निर्धारित की थी, लेकिन आज वे भ्रमजाल में फंस कर हिन्दी को उचित स्थान नहीं दिला पा रहे हैं और ऐसी उम्मीद की जाती है कि उसके लिये भी समय बढ़ाने की मांग की जायगी और निश्चित रूप से समय बढ़ा दिया जायगा। इसी तरह से शिड्यूल्ड कास्ट वालों के लिये भी जो समय निश्चित किया गया था वह भी बढ़ाया जा रहा है। भारत में अछूत कहलाने वाली जातियां हजारों वर्षों से दासता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थीं और आज फिर उनकी दासता की अवधि को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में हम भेदभाव को हटाने की मांग करते हैं, नीग्रोज के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसका विरोध करते हैं, सभी मानवों के साथ एक-सा व्यवहार करने के लिये आवाज उठाते हैं, रंग भेद, जाति भेद और वर्ग भेद को दूर करने की बात कहते हैं, काले और गोरे के भेद को मिटाने के लिये संघर्ष छेड़ते हैं तो आप अपने यहां क्यों आगे उसको कायम रखना चाहते हैं।

श्रीमन्, हमें दुख है कि हमारे देश के अन्दर, इस भारत भूमि में भी ऐसे भारतीयों के लिये जो आज से नहीं सदियों से भारत में रह रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति में पले और इस देश की संस्कृति व धर्म को मानने वाले हैं, रूढ़िवादिता के चक्कर में पड़ कर देश के कट्टर धर्मावलम्बियों के चक्कर में पड़ कर मानवोचित अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्हें मानव होते हुये भी जानवरों की तरह से अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। आज भी हमारे उन भाइयों को अछूत के रूप में रखा जाता है। पहले तो इन अछूत भाइयों की हालत यहां तक थी कि अगर उनकी परछाईं किसी सवर्ण के ऊपर पड़ जाती थी तो उस अछूत भाई की वे अच्छी तरह से पिटाई भी करते थे और अपने को शुद्ध व पवित्र करने के लिये स्नान तक करते थे, तो भारत का इतिहास यह कहता है कि रूढ़िवादिता और कट्टर धर्मान्धता के चक्कर में हमारा समाज पड़ कर मानव मानव को भी अशुद्ध समझने लगा था। आज समय की मांग है कि हम कट्टर धार्मिकता का जवाब देने के लिये, मानव का अधिकार मानव को देने के लिये इस बात का ऐलान करें कि हमारे इस भारत भूमि में न कोई छूत है, न कोई अछूत है, न यहां पर इस तरह की कोई शिड्यूल्ड जाति है। बल्कि भारत का हर नागरिक मानव है और उसके लिये छूत अछूत कहलाना एक कलंक है। इसलिये आज जरूरत है कि हम अछूतों के लिये हर प्रकार के रिजर्वेशन का विरोध करें और इस बात की मांग करें कि भारत के सभी धर्म वाले, सभी सम्प्रदाय वाले और सभी जाति वाले लोगों को जिस प्रकार से नागरिक अधिकार प्राप्त हैं उसी तरह से उन अछूत कहे जाने वाले भाइयों को भी भारत की नागरिकता तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त करने का पूरा अधिकार होगा और वे जिस तरह से चाहें भारत की नागरिकता तथा सामाजिक अधिकार का उपयोग करें। यद्यपि जवाब देते हुये यह कहा जा सकता है कि उनके लिये सिर्फ सीट्स सुरक्षित हैं लेकिन जनरल सीट्स पर भी चुनाव लड़ने के लिये कोई रुकावट नहीं है। चुनाव में उनको पूर्णतः छूट है कि वे जहां चाहें वहां से खड़े हो सकें। लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि रिजर्व सीट्स से जो माननीय कांग्रेसी सदस्य यहां चुनकर आये हैं वे सवर्ण कहे जाने वालों की अधिकांश वोटों से ही चुन कर आये हैं न कि अछूत कहे जाने वाली जाति के वोटों से। जो लोग रिपब्लिकन पार्टी या शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार थे उनको उतने वोट नहीं मिले कांग्रेस उम्मीदवारों के मुकाबिले में। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय नेता सदन से और इस सदन से यह पुरजोर अपील है कि हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम अपने अछूत भाइयों को पूरे तौर से नागरिक और सामाजिक अधिकार दिलाने के लिये इस प्रकार के रिजर्वेशन का पूर्ण विरोध करें और इस तरह का संशोधन जो संविधान में हो रहा है उसका विरोध करें ताकि छुआछूत का कलंक का टीका भारत के भाल से मिट जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, इस समय जो संकल्प माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है निश्चय ही वह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है और इसके

पक्ष या विपक्ष में बोलने में बहुत-सी परस्पर विरोधी स्थिति भी सम्मुख आती है। इसलिये मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि इससे संबंधित जितनी भी वस्तुस्थिति है उसको थोड़े में सफ़ाई के साथ यहां आपकी आज्ञा से सदन में पेश करूं।

श्रीमन्, संविधान के रचयिताओं ने जब संविधान में इस बात की मान्यता प्रदान की कि हरिजनों को दस वर्ष के लिये संरक्षण मिला तो उस समय भी जो बहस हुई थी यदि उस को मद्देनजर रखा जाय, माननीय अम्बेदकर जी इस समय जगत में नहीं हैं अगर उनकी उस समय की शंकाओं को भी ध्यान में रखा जाय, तो यह बात कही जा सकती है कि इस प्रकार का संकल्प प्रस्तुत करना अपने से ही अपने को कलंकित करना है। जब से संविधान बना था और जब से वह लागू हुआ तब से ही यह बात मानी गयी थी कि हम हरिजनों की स्थिति इतनी उन्नत कर देंगे कि उनको किसी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता न रहेगी, यानी हमारे समाज में जो लोग हैं चाहे वह ब्राह्मण हों, चाहे वह क्षत्री हों, चाहे वैश्य हों, चाहे शूद्र हों या अस्पृश्य हों---यह शब्द भी चालू हो गया है, ऐसी कोई स्थिति नहीं रहने देंगे कि जो समाज की जरूरी मौलिक आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति के साधनों से भी कोई एक बड़ा हिस्सा वंचित रह जाय। इस के लिये उस समय ५ वर्ष से दस वर्ष की अवधि रखी गई थी और यह माना गया था कि जब संविधान के मातहत सरकारें काम करेंगी, वह निश्चित रूप से ऐसा कदम उठायेंगे कि हरिजन अपनी उस भुखमरी की दशा को पार करके किसी के भी समकक्ष आ जायेंगे यानी जो आर्थिक और सामाजिक विषमता समाज में विद्यमान थी वह मिट जायगी। हरिजन के लिये भी अबाध गति से किसी भी जनरल सीट के लिये जैसे लोग लड़ते हैं चुनाव उसी तरह लड़ने की स्थिति रहेगी और वह बिना किसी का मुखापेक्षी हुए साधारण रूप से चुनाव लड़ पायेगा। लेकिन हम देखते हैं कि आजादी मिले १२ साल हो गये आज भी हरिजन बस्तियों में पानी पीने के कुयें नहीं हैं, हम देखते हैं कि आज भी हरिजन विद्यार्थी समुचित रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं बल्कि उन्हें जो वजीफ़ा भी मिलता था वह भी एक तरह से छीना जा रहा है। १२ साल हो गये लेकिन आज भी हरिजनों के निवास स्थान के लिये समुचित जगह नहीं है।

यदि सत्ताधारी लोग प्रदेश के गांवों का भ्रमण करें तो इसी विधान सभा के अन्तर्गत ऐसे बहुत से सम्मानित सदस्य होंगे जिन के गांवों में हरिजन आज भी निकलने नहीं पा रहे हैं, उनके पाखाने के लिये, पेशाब के लिये जगह नहीं है क्योंकि बहुत से लोगों के खेत उस हरिजन बस्ती में पड़ते हैं कि अगर वह उनमें पैर निकालें तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि डंडों से उनके पैर तोड़ेंगे, यह वस्तुस्थिति है। जो खेतिहर मजदूर अधिकांश हरिजन हैं वह रात-दिन खेत में मजदूरी करते हैं और इतने पर भी दरिद्रावस्था में जीवन व्यतीत करते हैं और उनमें से अधिकांश के लिये मौत का पैगाम लटकता रहता है। जब जब अन्न संकट आदि से मौतें होती हैं चाहे वह देवरिया में हों, गोरखपुर में हों या वाराणसी जिले की चन्दौली तहसील में हों, हरिजन ही शिकार होते हैं। जब जब सरकार की तरफ़ से निरंकुश गोलियां चलती हैं और जब भी लोग मरे हैं तो उन में अधिकतर रिक्शा चलाने वाले हरिजन गरीब ही होते हैं। सही मानों में सरकार की प्रक्रियावादी नीति के फलस्वरूप आज तक हरिजन परिवार संकटमय जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसी स्थिति में उनको संरक्षण देने की बात नहीं की गई तो यह वस्तुस्थिति की उपेक्षा होगी, यद्यपि हम चाहते थे कि आज वह स्थिति आई होती जब कि प्रसन्नतापूर्वक हम लोग कह सकते कि हमने १० वर्ष के अन्दर हरिजनों के लिये वह स्थिति ला दी है कि अब हरिजनों को किसी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हरिजन भी आज सीना फ़ुलाकर चल सकता है और किसी तरह से किसी दूसरे की बनिस्बत अपने को हेय समझने की उसको आवश्यकता नहीं है। ऐसी बात स्वयं हरिजन भी आज महसूस करते।

श्रीमन्, हमें तो आश्चर्य होता है और अफ़सोस होता है कि जब-जब चुनाव आते हैं यह वस्तुस्थिति है। हो सकता है, कुछ लोग कह दें कि गलत बात है, चुनाव के मौके पर कहा जाता है कि हरिजनों का वोट तो हम ले लेंगे क्योंकि जब से चुनाव कम्पेन हो रहा है चार-चार

[श्री राजनारायण]

रुपये और पांच-पांच रुपये रोज कुछ हरिजन लड़कों को दिया जाता है। रजाइयां और कम्बल भी बांटे जा रहे हैं। उनकी स्थिति असहाय बना दी गई है और उसका नाजायज फ़ायदा उठाया जा रहा है सत्ताधारी लोगों के द्वारा। अनेक हरिजन विद्यार्थियों के प्रार्थना-पत्र मौजूद हैं, अगर उनको सदन में कहने का मौका मिलता तो वह कहते कि फ़लां-फ़लां मंत्री महोदय ने हमसे कहा था कि इस चुनाव में हमारा काम करो हम तुम्हारा भविष्य बना देंगे। मगर उन्होंने अपने वायदे की पूर्ति नहीं की इसलिये हमारी यह स्थिति है। तो आज यह दयनीय स्थिति हरिजनों के लिये जानबूझ कर कायम रखी जा रही है। सत्ताधारी पार्टी येन केन प्रकारेण अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिये ऐसी हालत में उनका नाजायज फ़ायदा लेती हैं। मुझे इस संबंध में माननीय अम्बेदकर जी का एक तर्क याद आता है। श्रीमन्, आपको भी संभवतः याद होगा। जब माननीय अम्बेदकर जी इस जगत में थे तो उन्होंने एक पत्र लिखा था डाक्टर राममनोहर लोहिया को। वह पत्र हम लोगों के सामने विचाराधीन प्रस्तुत हुआ था। हम लोगों ने उस पर विचार भी किया था। उन्होंने सारी स्थिति का बड़े अच्छे ढंग से विश्लेषण किया था कि आज हमारे यहां क्यों हरिजनों को बेकार तथा दरिद्र रखा जा रहा है। उनका कहना था कि सरकार जो संरक्षण आदि का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है अगर कोई इसका विरोध करे तो सरकार डंका पीट सकती है और अपने साधनों के द्वारा कह सकती है कि फलां-फलां व्यक्तियों ने तुमको संरक्षण देने का विरोध किया था। वे लोग अपढ़ हैं। उनके सामने सारी वस्तुस्थिति नहीं है। वह समझेंगे कि फलां ने विरोध किया था लेकिन सारी वस्तुस्थिति उन्हें नहीं बतलाई जाती है कि कांग्रेस सरकार उन्हें सर्वदा के लिये मुखापेक्षी बनाकर रखना चाहती है।

मैं पूछना चाहता हूं कि १८ फ़ीसदी नौकरी की जगहें क्या हरिजनों को मिल पाती हैं? क्यों नहीं मिल पातीं? जितने सरकारी विभाग हैं, कहीं १ प्रतिशत, कहीं डेढ़ प्रतिशत और कहीं २ प्रतिशत हैं। इसी सदन में अनेक बार संशोधन आया कि टाउन एरिया कमेटी में और जिला परिषद् में उन लोगों की सदस्यता बाधित कर दी जाय जो हरिजनों के साथ छुआछूत का बरताव रखते हों। मगर हमारे प्रत्येक बार के आग्रह पर भी सरकार ने हमारे इस सुझाव को ठुकराया है। इन सब चीजों को सामने रखा जाय तो नतीजा यही निकलता है कि आज अपने देश में इनकी दयनीय स्थिति का नाजायज फ़ायदा सत्ताधारी पार्टी उठाना चाहती है। मैं समझता हूं कि एक पैरासाइटिक क्लास पैदा किया जा रहा है जो सर्वदा मुखापेक्षी रहे सत्ताधारी पार्टी का। सरकार ने वह स्थिति पैदा नहीं की कि जिससे हरिजनों की तरक्की हो सकती, जिससे हरिजन दूसरे लोगों के समकक्ष अपने को पा सकते। ऐसी हालत में संरक्षण ही उनके हितों को सुरक्षित रखने का बढ़िया आधार माना जा सकता है।

इसलिये इस सरकार को कलंकित करते हुये, दोषी ठहराते हुए, सरकारी प्रयत्नों की निन्दा करते हुये जो अब तक सरकार ने दूषित प्रयत्न किये हैं और हरिजनों की दयनीय स्थिति बना रखी है, इन तमाम बातों की ओर सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए हम इस संकल्प के समर्थन में आते हैं।

हम इस संकल्प का समर्थन हरिजनों की दयनीय स्थिति से मजबूर होकर कर रहे हैं। इसलिये कर रहे हैं कि अगर समर्थन न करें तो महात्मा गांधी की विशेष कृपा से जो हरिजनों को एक विशेष हक मिला हुआ है वह ही न चला जाय और आगे कोई मिल भी न सके। तो यह स्थिति है, इसलिये है कि हरिजनों को अगर हम कुछ भी लाभान्वित कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप में संसद ने जो प्रस्ताव पास किया और उसके समर्थन के लिये माननीय मुख्य मंत्री ने जो संकल्प प्रस्तुत किया उसका समर्थन हमें करना ही होगा। मगर शंका, है जिस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कहीं ऐसा न हो कि जिस प्रकार से यह १० वर्ष व्यतीत हो रहे हैं उसी प्रकार से आगे के साल भी व्यतीत हो जायं और हरिजनों के हित का काम न किया जाय और आगे फिर इसी प्रकार से सदन में संकल्प आये कि कुछ समय और बढ़ा दिया जाय। यह स्थिति हो सकती है। इसलिये मैं पहले से ही कह देना चाहता हूं और

माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं, हम लोगों के भाग्य से मैं चाहता हूं कि उनकी आयु और बढ़ती चली जाय ताकि वह अपनी उम्र में जो सरकारी कारनामे हो रहे हैं और जिसको हम बारबार संशोधन करने के लिये मसविदे पेश करते हैं, सरकार की ओर से बारबार जिसकी उपेक्षा होती है उसका फल भी मिल जाय, और वह देख लें कि उन्होंने जो पौधा लगाया है वह कैसा पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। हम नहीं चाहते कि किसी तिकड़म से डाक्टर सम्पूर्णानन्द हटा दिये जायं और हम वहां बैठ जायं क्योंकि हमको दिमाग बनाना है और उसी दिमाग बनाने के लिये सब कष्ट सह रहे हैं वरना क्या जरूरत है कि हरिजनों के लिये उनके हकों की मांग करें, उनकी तनख्वाह की मांग करें, तो हमारे ऊपर डंडे चलाये जायं, विश्वनाथ जी के मंदिर में उनके प्रवेश की बात करें तो हमारी दाढ़ी नोची जाय, कुर्ते फाड़े जायं, सदन से बाहर निकाले जायं। यह सारी बातें हम इसलिये सह रहे हैं कि समाज का जो दबा हुआ तबका है उसमें क्रांति हो जो तमाम प्रतिक्रियावादी वातावरण को जलाकर क्षार-क्षार कर डाले। यह सड़ी-गली स्थिति आगे भी न आये।

माननीय मुख्य मंत्री जब १० वर्ष के लिये इनके संरक्षण के लिये संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम उसका समर्थन करते हैं। मगर मुख्य मंत्री से कहना चाहते हैं कि वह कल ही कोई ऐसा विधेयक लावें ताकि हरिजनों की बस्ती के लिये गांव से जगह निकाली जाय। क्या कोई ऐसा विधेयक आ सकता है कि चाहे दूसरे अन्य कार्य रुक जायं, सड़कें चौड़ी होना बन्द हो जायं, मगर हरिजनों के पानी पीने के लिये कुयें बनाये जायं? क्या ऐसा कोई विधेयक सरकार की ओर से आ सकता है कि हरिजन विद्यार्थियों की पढ़ाई तो मुफ्त हो, उच्चतम पढ़ाई मुफ्त हो और जिनके पास खाने की व्यवस्था न हो उनके लिये खाने की व्यवस्था हो, रहने के लिये व्यवस्था हो? क्या कोई ऐसा संकल्प इस सदन की ओर से प्रस्तुत होगा? मैं चाहता हूं, बारबार हमने इस सदन में संशोधन पेश किये जमींदारी उन्मूलन के समय कि जितनी ऊसर, परती, बंजर, पानी में ढकी तराई भाबर के इलाके की जमीन हैं उनके लिये निश्चित रूप से कानून बनाये जायं कि वे हरिजनों में वितरित हों। मगर हमारी वह बात नहीं मानी गई। आज वे लोग जिनके पास पैसा है वे उन जमीनों को खरीदते हैं। माननीय मुख्य मंत्री की ओर से जब यह संकल्प प्रस्तुत हो रहा है तो क्या यह संकल्प भी आ सकता है कि हरिजनों के लिये इस तरह की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र होगी? और अगर इस तरह का संकल्प सरकार की ओर से नहीं आता है तो मुझे कहना पड़ेगा कि सरकार फिर भी अपनी स्थिति कायम रखने के लिये आगे समय बढ़ाने की ओर आ सकती है। इसलिये मेरी इच्छा है कि महात्मा गांधी की उस पुकार को, उनके अरमानों को हम पूरा करें, जिससे हरिजन भी समाज में सबके समान माना जाय। हरिजन समाज के दूसरे प्राणी के साथ समान स्तर पर आ जाय। सामाजिक तथा आर्थिक असमानता समान स्तर पर आ जाये। इतना मैं चाहता हूं कि सरकार इस ढंग का विधेयक प्रस्तुत करे ताकि जो विभेद हो रहे हैं उनके रहने की गुंजाइश न हो। इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो हरिजनों के लिये संरक्षण का संकल्प प्रस्तुत किया है उसकी ताकत से ताईद करता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--५-५ या ४-४ मिनट और भी लोग बोल लें, इसलिये मैं चाहता हूं कि समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय नेता सदन ने उपस्थित किया है उसके संबंध में मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने के पहले माननीय राजनारायण जी ने जो बातें कही हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पिछले तीन साल से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इधर से उधर तक बैठने वालों ने जो भी कामरोको प्रस्ताव पेश किया हो जहां तक मेरी याददाश्त जाती है कभी हरिजनों के नाम पर कोई कामरोको प्रस्ताव किसी ने खास कर राजनारायण जी ने रखा हो, ऐसा कोई नहीं बतला सकता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—पूजन हरिजन और उसकी मां के संबंध में कामरोको प्रस्ताव रखा था। आप रेकार्ड पढ़ लें।

श्री छत्रपति अम्बेश—माननीय राजनारायण जी अनेक बार भूख हड़ताल करते हैं, अनेक प्रकार के आन्दोलन करते हैं लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि उन्होंने आज तक इस प्रकार का कोई आन्दोलन किया हो जो अछूत कहे जाने वाले, हरिजन कहे जाने वाले लोगों के लिये किया गया हो।

श्री उग्रसेन—विश्वनाथ मंदिर हरिजन प्रवेश आन्दोलन किया गया।

श्री उपाध्यक्ष—सदन में शांति कायम रखी जाय।

श्री छत्रपति अम्बेश—जिस समय माननीय राजनारायण जी बोल रहे थे मैं बड़ी शांति से उनको सुन रहा था। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे पहले सुन लिया जाय। एक आध बात सुनने पर ही आप इतने परेशान हैं। यह तो पूर्वार्ध है, हो सकता है कि उत्तरार्ध आपके लिये प्रसन्नता की चीज हो।

मैं एक पार्टी को बिलांग करता हूं। माननीय राज नारायण जी एक पार्टी के नेता हैं। उनके हाथ में बड़ी भारी शक्ति है। मैं समझता हूं कि बिना राज सत्ता के भी कोई पार्टी, चाहे तो बहुत कुछ समाज सुधार कर सकती है। आर्य समाज ने शुरू के समय में, जहां तक समाजसुधार की बात थी, हरिजनोद्धार की बात थी, उसमें बहुत कुछ काम किया और उनको समाज में स्थान दिलाने में बहुत कुछ हाथ आर्य समाज का था। मैं समझता हूं कि आज भी कांग्रेस ने कुछ किया या नहीं किया, उसकी नीयत अच्छी थी या नहीं थी, इस पर मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन उधर के बैठने वालों की नीयत अच्छी होती तो मेरा विश्वास है कि १८ परसेंट रिजर्वेशन कराने की बात चाहे वे न करा पाते, लेकिन मेरा विश्वास है कि, सामाजिक अधिकार दिलाने में कोई कठिनाई उनके सामने नहीं थी।

सामाजिक अधिकार तो उस कोने के बैठने वाले बड़ी आसानी से दिला सकते थे लेकिन आज तक नहीं दिला सके और आज तक कुछ नहीं किया। मैं अब भी चुनौती देता हूं माननीय राजनारायण जी को खास कर, क्योंकि वे बहुत जोरदार शब्दों में अपनी बात रखते हैं कि आज ही वे यह व्रत ले लें कि भले ही वे १८ परसेंट रिजर्वेशन नौकरियों में हरिजनों को न दिला सकें क्योंकि वे सत्ताधारी नहीं हैं लेकिन जहां तक सामाजिक अधिकारों की बात है उनके लिये वे अपनी कमर कस लें कि वे २ वर्ष में ही, १० वर्ष तो बहुत बड़ी बात है, सामाजिक अधिकार दिलाने में समर्थ हो सकेंगे। कुयें जैसी छोटी मोटी बातें तो वह आसानी से करवा सकेंगे, पर मैं यह जानता हूं कि यहां से वहां तक बैठने वालों की नीयत इस सम्बन्ध में बहुत कुछ एक सी ही है। जहां हरिजनों का मामला आता है वहां हमारे और आपके मुंह में ताले लग जाते हैं। आखिर क्या बात है कि जहां हम इतनी बड़ी-बड़ी समस्याओं को हल करने में सफल हुए हैं वहां इस छोटी-सी समस्या को नहीं हल कर पा रहे हैं। यह बात जरूर है कि लेजिस्लेचर में हमारा कुछ प्रतिनिधित्व हो गया है, ८०-९० की तादाद में हम यहां हैं लेकिन यह तादाद नगण्य है। जहां १० वर्ष का रिजर्वेशन हमारे लिये उचित है वहां मेरी दृष्टि में यह कुछ अनुचित भी है क्योंकि इससे हम अपंग बनते चले जा रहे हैं।

जैसा राजनारायण जी ने कहा, १८ परसेंट नौकरियों की बात कहे जाने के बाद भी सिर्फ १ या सवा परसेंट हम लोग हो पाये हैं और वह भी तब जब कि बहुत निम्न श्रेणी की नौकरियों को भी हम उसमें गिनते हैं। जहां तक गजेटेड आफिसर्स की बात है, उनमें हमारी संख्या नगण्य है। अगर १० साल के लिये हमने अपना रिजर्वेशन और बढ़ा लिया तो यह हो सकता है कि हम कुछ अपने नुमाइन्दे और ला सकें, लेकिन क्या १८ फी सदी नौकरियों में और सामाजिक समानता लाने में भी हम सफल हो सकेंगे? जब वास्तव में कोई अधिकार देने की बात हमारे

सामने नहीं है तो मैं नहीं समझ सकता कि रिजर्वेशन का समय क्यों बढ़ाया जा रहा है ? यदि हम वास्तव में किसी को कोई चीज देना चाहते हैं तो उसके लिये कोई अवधि बांध दें और यह कह दें कि उस समय तक हम इनको सारे अधिकार, जो देना चाहते हैं, दे देंगे। तब तो कुछ लाभ भी होगा वरना अगर इसी तरह से १०-१० साल का समय बढ़ाते रहे तो जो १८ परसेंट नौकरियों में रिजर्वेशन की बात है वह हम कभी भी पूरी नहीं कर पायेंगे और मैं नहीं कह सकता कि कहीं ऐसा न हो कि ऐसी परिस्थितियां आ जायं कि यह रिजर्वेशन कागज में ही रह जाय और असलियत में हरिजनों का कुछ भी भला न हो। इसलिये मैं समझता हूं कि जितने ज्यादा समय के लिये हम इसको बढ़ाते चले जाते हैं उसके अन्दर वजन नहीं रहता क्योंकि वह समझते हैं कि अभी तो दस वर्ष का समय है बाद में कर लेंगे। इसलिये अगर इसकी अवधि साल, दो साल की रखी गयी होती और यह कहा जाता कि उसके अन्दर हम इतना तो कर ही देंगे तो ज्यादा अच्छा रहता।

जहां तक लेजिस्लेचर में गिनती का संबंध है, हो सकता है कि हम गिनती में उतने आ जाते हैं परन्तु वास्तव में वह एम० एल० एज० और एम० पीज० तक ही सीमित रहता है। जहां विदेशों में कोई पार्लियामेंटरी डेलीगेशन भेजने की बात आती है, उसमें हमारा रेप्रेजेंटेशन ८०-९० होते हुए भी नगण्य ही होता है। हम लेजिस्लेचर में तो आ गये लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जो हमें और लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है। इसलिये इसका कोई फायदा नहीं होता। जिस वर्ग को हम हजारों वर्षों से गुलाम बनाये हुये हैं, जिनके साथ हम कुत्तों से भी बुरा बरताव करते हैं उनके साथ अगर हमने अपने रवैये को नहीं बदला तो मैं समझता हूं कि हमारी रिजर्वेशन की अवधि बढ़ाने से कोई फायदा नहीं आयेगा। आज इससे लोगों में एक घृणा फैल गई है। लोग कहते हैं कि हरिजनों का तो राज्य है, १८ प्रतिशत नौकरियां उनको मिल ही जाती हैं। यह जब मुझे सुनने को मिलता है तो मैं कहता हूं कि यह सब कागज पर ही है। लोग कहते हैं कि जब तुमने बी० ए० पास कर लिया है तो नौकरी तो मिल ही जायगी, लेकिन मैं कहता हूं कि आप आगरे आइये तो मालूम होगा कि बहुत से ग्रेजुएट बेकार बैठे हुये हैं। आज लोगों में यह भावना फैल गई है और इस ने घृणा का रूप धारण कर लिया है। लोग समझते हैं कि सरकार तो हरिजनों को ही सब कुछ देना चाहती है। अभी आगरे में चुनाव के जमाने में सम्भ्रांत व्यक्तियों द्वारा ठाकुरों में यह आन्दोलन चलाया गया कि हमें वोट दो और कांग्रेस को वोट मत दो इसलिये कि वह आज अछूतों को, चमारों को ही आगे बढ़ा रही है। यह व्यक्ति पहले कांग्रेस के नेता थे और अब भी प्रगतिशील नेता हैं। आज चमार और अछूत डिप्टी कलक्टर बन रहे हैं, उनको अधिकार दिये जा रहे हैं और वही आगे बढ़ रहे हैं। इसको हम रोकना चाहते हैं इसलिये हमें वोट दो ... (व्यवधान)।

माननीय लहरी जी जानते हैं क्योंकि वह आगरे के हैं। उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। अगर वह जानते हुए भी अनजान बनते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मेरे कानों सुनी बात है। अगर वह विश्वास नहीं करते हैं तो अच्छी बात है क्योंकि यह उनके मतलब की बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार का दूषित प्रचार करने से लोग नहीं चूकते हैं तो यह बड़े शर्म की बात है, बड़ी लज्जा की बात है कि इस तरह से रिजर्वेशन बढ़ता चला जाय और आम जनता में एक गलत भावना फैल जाय और मिलने के लिये जब केवल राम का नाम हो तो मैं नहीं समझता कि इस अवधि के बढ़ाने से क्या फायदा है ?

एक बात और है और वह यह कि रिजर्वेशन के नाम पर एफीशियेंसी की बार लगा दी गई है। इसके लिये दो हाथ पैर हमारे पास भी हैं जैसे और लोगों के पास हैं, लेकिन यह एक ऐसा शब्द है कि इसका जहां चाहे और जैसे चाहे प्रयोग कर लें। इसलिये अवधि बढ़ाने से कोई फायदा, जब तक कि यह इच्छा न हो कि वास्तविक सेंस में इसकी पूर्ति की जाय, नहीं होगा।

[श्री छत्रपति अम्बेश]

आज भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए १२ साल हो गये हैं। लेकिन सामाजिक अधिकारों के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। आज ही सुबह सदन में हरिजनों की झोपड़ियों के जलाने की बात चल रही थी। और इस तरह की अनेक घटनायें रोज होती रहती हैं। वैसे भी गांवों में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है लेकिन हरिजनों को तो बड़ी ही मुश्किल है। आगरे में इस तरह की रोज घटनायें होती हैं। रिजर्वेशन के नाम पर अवधि बढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम इसीलिये सिर्फ इसको रखना चाहते हैं कि हमारे स्वार्थ सिद्ध हों और केवल इनको खुश करते रहें तो मैं समझता हूं कि यह बेकार है। अगर इसमें सच्चाई है तो यह चीज नौकरियों में भी हो और सामाजिक व्यवस्था में भी हो और ऊंचे पदों में भी हो और की-पोस्ट्स पर भी हो जैसा कि डाक्टर अम्बेदकर कहा करते थे कि किले में जहां से वह दुश्मन को देख सकता है, हमला कर सकता है लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता है तो, इस प्रकार मारे की जगह पर, की-पोस्ट्स पर अगर वास्तव में रखना चाहते हैं तब तो रिजर्वेशन ठीक है वरना रिजर्वेशन से कोई फायदा नहीं है।

श्री राजनारायण—मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप जरा बैठ जायं। मैं समझता हूं कि बोलने वाले सदस्य काफी हैं इसलिये कुछ समय निर्धारित कर दिया जाय तो अच्छा है। इसलिये अगर समय निर्धारण के लिये कोई सदस्य सुझाव देना चाहें तो दे दें कि एक माननीय सदस्य को कितना समय दिया जाय।

श्री ऊदल—पांच मिनट।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि मुख्य बातें कही जा चुकी हैं। पांच-पांच मिनट काफी होगा। अब माननीय राजनारायण अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

श्री छत्रपति अम्बेश—उसके बाद मुझ को कुछ स्पष्टीकरण करने का अवसर मिलेगा?

श्री राजनारायण—अगर हम आप पर आक्षेप करेंगे तो जरूर मिलना चाहिये।

श्रीमन्, मुझे बहुत ही अफसोस है कि हमारे माननीय सदस्य ने हमारे ऊपर कुछ आक्षेप किया। यह कहा कि यह एक कोरी विडम्बना है कि हम हरिजनों का नाम ले लिया करते हैं। मैं उनसे बड़ी नम्रता से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई साल नहीं बीतता है जब कि हरिजनों के साथ खाने-पीने में, उठने-बैठने में कुछ सत्ताधारी पार्टी के लोगों का हमें कोपभाजन न बनना पड़ता हो। एक स्थिति यह हुई। दूसरी स्थिति यह हुई कि उन्होंने यह कहा कि किसी सदन में चर्चा नहीं उठी। श्रीमन्, आप देखेंगे कि अनेक बार सोशलिस्ट पार्टी द्वारा इस सदन में चर्चा उठी है जब कि हरिजन बेचारे अन्न न पाने से मरे हैं, या सर्विसेज की बात हुई है, हर चीज में सदन में चर्चा हुई। तो यह हमारे साथ बड़ी ज्यादती है जो माननीय सदस्य ने यह बात कही। तीसरा स्पष्टीकरण यह करना चाहता हूं कि कहीं भी कोई हरिजन कल्याण की बात हो वह हमें याद करें तो चाहे रात हो या दिन हो किसी स्थिति में, वह हमें अपने साथ पायेंगे। मगर इस बात को भी याद रखें, हमीं वह हैं जिन्होंने कि हरिजन, शूद्र, आदिवासी, दबे हुए मुसलमान और औरतों के लिये कम से कम साठ फीसदी जगह समाज के नेत्र स्थानों में देने का प्रस्ताव वाराणसी के सोशलिस्ट सम्मेलन में किया। कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो यह कह सकती हो।

श्री उपाध्यक्ष—आप तो पार्टियों के बारे में कहने लगे।

श्री राजनारायण—मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। एक बात और रह गयी। इसी फैसले के मुताबिक, हमारी पार्टी की जो कमेटियां बनती हैं उनमें हम अमल करते हैं। आल

इंडिया स्तर पर देखा जाय। चेयरमैन शूद्र, यादव और हरिजन सेक्रेटरी। २५ नवम्बर को हम दिल्ली गये थे। दिल्ली में हमारी चार मांगें थीं। उसमें हमारी एक मांग यह है कि साठ फीसदी कम से कम जगहें शूद्रों, हरिजनों, आदिवासियों, दबे मुसलमानों और औरतों को मिलनी चाहिये। अगर पहली मार्च तक इसको नहीं करेंगे तो एक दो महीना तक इंतजार करके हम अपना आन्दोलन शुरू करेंगे। मैं उस आन्दोलन में उन सभी लोगों को न्योता देता हूं जो हरिजनों को उठाना चाहते हैं वह हमारे आन्दोलन में शामिल हों।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं। मैंने अभी हरिजनों के रिजर्वेशन पर जो भाषण सुना उसको सुनकर अत्यन्त दुख और पीड़ा हुई। मैं यह बता दूं कि पिछले वर्ष हरिजन बच्चों का शुल्क बन्द हो गया। यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि दो सौ रुपये से ऊपर जिनकी आमदनी है उनके बच्चों को शुल्क नहीं दिया जायगा। तो भाई को यह मालूम होना चाहिये कि इसी तरह के प्रतिबन्ध से कई हजार लड़के हमारे घरों में बैठ गये थे, शिक्षा उनकी बन्द हो गई, कोई साधन उनके पास नहीं थे कि वह शिक्षा पा लेते। यह हमारी सरकार की ही फिर सामर्थ्य थी कि दोबारा उन्होंने शुल्क देना आरम्भ किया और उन्होंने शिक्षा हासिल की।

आज आगरे में बड़े-बड़े उनके उद्योग-धंधे हैं। आप वहां की बात को लेकर सभी को उस दृष्टि से देखते हैं और इसलिए इसका विरोध करते हैं कि उनका संरक्षण न हो। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अनुचित है। आज हमारे नेताओं ने बहुत सोच समझकर इसे रखा है और यदि यह रिजर्वेशन नहीं हुआ तो एक डेढ़ करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, बल्कि १३, १४ करोड़ जो इस दश में रहते हैं उन हरिजनों का अहित होगा और जो उन्नति करने की तरफ वह जा भी रहे थे वह उन्नति भी अवनति में बदल जायगी। इसलिये आपको एक साथी के नाते, एक भाई के नाते, और एक माननीय सदस्य के नाते, स्वयं इस संरक्षण का विरोध नहीं करना चाहिये था। पंडित जी, महाराज ने जो विरोध किया उनका तो यह कर्त्तव्य रहा है, जन्मसिद्ध अधिकार रहा है और वह हरिजनों का विरोध करते आये हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन आपको इसका विरोध नहीं करना चाहिये था जिनकी बदौलत कि आप यहां पर विराजमान हैं। मैं फिर बतला देना चाहता हूं कि यदि रिजर्वेशन बन्द कर दिया गया तो हरिजन उत्थान जितना कि सभी पार्टियों का—हम सबके अनुगृहीत हैं—जितना उनका हरिजनों का कल्याण करने का विचार है वह कल्याण नहीं होगा और वह फिर उसी दर्जे पर आ जायेंगे। अभी उनका कोई भी उद्धार नहीं हो पाया है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, शनैःशनः, धीरे-धीरे ही चला करती है। हां, हम यह जरूर कहते हैं कि जितना कहो, उतना करो, न कहो तो मत करो। हम बार-बार कहते हैं कि उनका रिजर्वेशन पूरा नहीं हो पाता। इसके लिये हम बार-बार सरकार से प्रार्थना करें न कि हम यह कहें कि उनका रिजर्वेशन नहीं होना चाहिये, जैसा कि महामान्य सदस्य ने इसका विरोध कर दिया। वह तो इसका विरोध करते ही, वह तो कांग्रेस के सदा विरोधी ही रहे हैं, यदि कांग्रेस में उनकी आस्था होती तो उनको यह कहने का साहस न होता। रिजर्वेशन होना अनिवार्य है, अगर न हुआ तो जो भी हरिजन या गरीब वर्ग के लोग हैं वह पहले की तरह ही दबे रहेंगे।

जहां तक महामान्य विरोधी दल के माननीय राजनारायण जी ने कहा, मुझे अफसोस होता है कि उनके हृदय में अग्नि है हरिजनों के प्रति, लेकिन कार्य रूप में परिणत वह भी नहीं कर पाते। वह यहां कांग्रेस सत्ता को दोषी ठहराते हैं, उन पर तो लांछन लगाते हैं, लेकिन स्वयं अपने गांव में क्या करते हैं इसे वही जानते होंगे। यह हरिजनों के साथ क्या उनका व्यवहार है? इसलिये उन्हें कोई भी बात सदन में सोच समझकर कहनी चाहिये। यहां वह तपस्वी लोग हैं, चाहे इधर के हों चाहे इधर के, जिन्होंने हरिजनों के लिये बहुत कुछ किया है और उनकी करने की भावना भी है। इसलिये फिर मेरा नम्र निवेदन है कि पंडित जी, महाराज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

जी, आप दया करके इस रिजर्वेशन का विरोध न करिये यदि इस देश का कल्याण चाहते हैं। नहीं तो यह देश भी जायगा, यह समाज भी जायगा और इसका भगवान ही मालिक है। रिजर्वेशन जरूरी है। मैं अपने साथी से फिर निवेदन करूंगा कि उन्हें इसका विरोध नहीं करना चाहिये था। मैं हृदय से चाहता हूं कि यह प्रस्ताव तुरन्त मान लिया जाय और सदन इसे पारित कर दे।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। यह बहुत अच्छा है कि अभी भविष्य में कुछ दिनों तक इस वर्ग को रिजर्वेशन दिया जाय और खास तौर से इसलिये कहता हूं कि यह रिजर्वेशन अगर है तो इससे उस वर्ग का हित होता है, जो हमारे देश में दूसरे लोगों के मुकाबिले में अधिक गरीब है। मैं बिलकुल समाजवादी दृष्टि से उसको देखता हूं। हो सकता है कि उसका दुरुपयोग भी हो जाय, लेकिन दुरुपयोग कहीं बहुत नाम मात्र को ही होता है।

एक बात निश्चित तौर पर और कहना चाहता हूं और वह यह कि हमारा यह भी फर्ज है, जब हम रिजर्वेशन देते हैं तो कुछ लोगों की दृष्टि से उस रिजर्वेशन से कुछ खटका पैदा करने की बात भी होती है, कुछ लोगों को खटकता है वह। जो भी एक प्रिविलेज किसी को दिया जायगा दूसरों को अलग करके तो वह दूसरों को खटकेगा। मैं यह जरूर चाहता हूं और यह हमारी कोशिश होनी चाहिये कि जो अवधि हम आगे के लिये निर्धारित कर रहे हैं उस अवधि के भीतर उन को हम उस जगह जरूर पहुंचा दें कि जिससे आगे हमको उनको रिजर्वेशन देने की आवश्यकता न पड़े। अगर हमने उनको इस आर्थिक ढांचे से ऊंचे उठाने का प्रयत्न नहीं किया, जहां पर आज दूसरे लोग हैं उनके साथ उनको लाने का प्रयत्न नहीं किया, सब की बराबरी में लाने की चेष्टा नहीं की तो यह हमारे सारे समाज का दोष होगा और जो भी आज कहीं पर खड़ा है और जितनी भी आज हमारे हाथ में शक्ति है उसके अनुसार अपने उन भाइयों को बराबर लाने की कोई भी कोशिश हमको बाकी नहीं रखनी चाहिये ताकि इस दोष का भागी न बनना पड़े। मैं यह चाहता हूं कि जो दूसरा जरूरी काम है वह ज्यादा जरूरी है और वह एक बड़ा इश्यू है, उस पर बातें जल्दी होनी चाहिये।

*श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ देर से हरिजनों और अछूतों की चर्चा हो रही है। अछूत और हरिजन कहीं बाहर की चीज नहीं हैं यह हमारे पुराने भाई हैं और हमारा इनका चोली दामन का साथ है, लेकिन कुछ और कारणों से इनको अलग देखा जाता है और उसको अलग कर दिया गया है। एक कौम के चार भाग कर दिये हैं। ६ पार्टियों की ८ पार्टी कर दी हैं। ९ सम्प्रदाय के ११ सम्प्रदाय कर दिये हैं। एक को अछूत कह दिया गया कि उसको छुओ मत। यह किसने चलाया? यह हमारी सरकार ने चलाया। यह एक ऐसा कलंक हमारे भाइयों के लिये लगाया गया है जो आज तक दूर नहीं हो पाया। वह कलंक न सतयुग में था और न आज कोई लगा सकता है पर बीच में वह दोष आ गया। यह सिर्फ सरकार की करतूत है और उसने ही यह चीज चलाई है। ये सब हमारे भाई हैं।

हम गांवों में देखते हैं कि हमारा इनका बहुत नजदीक का वास्ता है। हम इनके यहां लड़की की शादी में जाते हैं और इनके यहां दक्षिणा देते हैं। इनके जो दामाद होते हैं उनके पैर को पूजते हैं। इनके जो चाचा होते हैं उनको चाचा कहते हैं। जो इनके मामा होते हैं उनको मामा कहते हैं। अगर कोई ताऊ है तो उसको ताऊ कहते हैं। इस तरह से हमारा इनका रिश्ता बंधा हुआ है कि जिससे कोई अलग की बात मालूम नहीं होती है। मगर एक चीज जरूर है कि इनका संगठन ठीक नहीं है। जो लोग ऊंचे कहलाने वाले हैं उनके साथ में इनको लाने की जरूरत है और बराबर करने के लिये इनको ऊपर उठाने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जरूरत है। मगर इनके अन्दर कमजोरी है और वह यही है कि इनका संगठन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिये। इस वजह से नेतागीरी में फंसे रहते हैं। ये अछूत नहीं हैं, इनको अछूत या हरिजन कहना छोड़ दें। यह हमारे समान ही भाई हैं। इनकी दशा उस तरह से करदी जाय कि उनके लिये रिजर्वेशन की आवश्यकता ही न पड़े। मैं कहता हूं कि आप मेरे क्षेत्र में जाकर देखिये, वहां पर कोई भी हरिजन भाई खड़ा हो जाय वह वहां पर निर्विरोध चुना जायगा। उनके मुकाबले में कोई हिन्दू, जो ऊंचे वर्ण का होगा, खड़ा ही नहीं होगा। इसी का नाम प्रेम और संगठन है।

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)—उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विवाद समाप्त किया जाय।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—मैं इस क्लोजर के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे कुछ गलती हो गयी। जब मैंने इस संकल्प को उपस्थित किया था तो एक क्षण के लिये भी मुझको यह अनुमान नहीं था कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इसका कुछ विरोध होगा। मैं इस बात को भूल गया कि हमारे सदन में कुछ ऐसे मित्र हैं कि जो किसी भी मौके को सरकार की निन्दा करने का या उसकी प्रतिक्रियावादी नीति की आलोचना करने का अवसर समझते हैं। इस बात के साथ, मुझको खुशी होनी चाहिये कि ऐसे दोस्तों को थोड़ी सी तृप्ति का मौका मैंने दे दिया। बहरहाल, जहां तक माननीय राजनारायण जी की बात है, उन्होंने कहा कि वह इस संकल्प का समर्थन तो करते हैं लेकिन बहुत ही मजबूरी के साथ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा ऐसा खयाल है कि जिन्दगी में कभी उन्होंने कोई अच्छा काम अगर किया होगा तो मजबूरी में किया होगा, अपने से नहीं किया होगा।

बहरहाल, यह जान कर मुझको घोर आश्चर्य हुआ कि जिन सज्जन ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि हरिजन लोग इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनमें और हम में कोई भेद नहीं है इत्यादि इत्यादि। यह बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन चाहे यह सिद्धान्ततः सही हों लेकिन वस्तुस्थिति पर इन बातों से पर्दा पड़ता है। कोई हरिजन ऐसी बातों के धोखे में नहीं आने वाला है और कोई शख्स, जो देश की वास्तविक परिस्थिति को जानता है उसको भी इन बातों के सुनने से कोई संतोष नहीं हो सकता। निश्चय ही हरिजन इस देश के रहने वाले हैं, वे इस देश के नागरिक हैं, जो और लोगों के अधिकार और कर्त्तव्य हैं नागरिक होने के नाते, वे ही अधिकार और कर्त्तव्य उनके भी हैं, वे लोग और दूसरे लोग बराबर हैं, इत्यादि इत्यादि बातें सही हैं लेकिन जो फर्क है वह है, और वह किसी से छिपा नहीं है। कुछ लोगों ने विरोध किया है और कहा है कि रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया ही हरिजनों की सब से बड़ी प्रतिनिधि संस्था है। संभव है आगरे में जो कटु अनुभव हुआ उससे उनको ऐसा खयाल हो गया हो, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया ही भारतवर्ष की या हमारे उत्तर प्रदेश के हरिजनों की प्रतिनिधि संस्था है और वह जो कुछ कहे वही हरिजनों की आवाज है। मैं ऐसा नहीं मानता। हम लोगों को इस बात की निश्चय ही कोशिश करनी चाहिये कि हरिजन और लोगों के बराबर हो जायं।

रिजर्वेशन कोई अच्छी चीज नहीं है। जिस समाज को रिजर्वेशन के जरिये से ऊपर उठाया जाता है, कुछ न कुछ उसके मुताल्लिक उसके ऊपर थोड़ा-सा लांछन लगा रहता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

एक कलंक सा लगा रहता है, यह किया, वह नहीं किया, वह किया यह नहीं किया, आदि आदि। मैं इसको अच्छा नहीं समझता। लेकिन हमको इन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिये।

पिछले १०, १२ सालों में, जब से शासन का काम हमारे हाथ में आया है, यह कहना कि कोई काम नहीं हुआ है, गलत बात होगी, सोलहो आना गलत बात होगी। करोड़ों रुपया हरिजनों की शिक्षा पर खर्च हुआ है। हो सकता है कि हमको इस दिशा में जितना आगे जाना चाहिये था उतना हम न जा सके हों। काम कम हो सकता है, कई मामलों में कम हो सकता है। शुरू में जब संविधान बना था उस समय यह आशा की गयी थी कि थोड़े दिनों के अन्दर सारे देश में अनिवार्य शिक्षा हो जायगी, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा हो जायगी। कोशिश की गयी, लेकिन प्लान की वजह से या और कई कारणों से हमारे पास उतना रुपया नहीं रहा, हमारे पास साधन नहीं रहे और हम उसे पूरा नहीं कर सके। इसी तरह से हरिजनों से संबंधित और जो बहुत से काम थे वह हम पूरे नहीं कर सके। जितना काम करना चाहिये था उतना हम नहीं कर सके और हमको मानना चाहिये कि काम कम हुआ है और उसको पूरा करने के लिये प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अगले १० वर्षों में अब उस सारे काम को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिये। जो भाई हरिजन कहे जाते हैं, माने जाते हैं, जो परिगणित हैं और अछूत समझे जाते हैं वे जब स्वयं समझने लगें कि अब हमको किसी लकड़ी की जरूरत नहीं है, हम अब अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं, हम अब किसी दूसरे सहारे की अपेक्षा नहीं करते, तभी हमारा काम पूरा होता है। सफलता की बात यही है कि वे स्वयं इस बात को समझने लगें और वह बड़ा खुशी का दिन होगा कि जब उनके दिल में ऐसा खयाल होगा और रिजर्वेशन की आवश्यकता न होगी और न केन्द्र में इस किस्म के किसी प्रस्ताव की आवश्यकता होगी और न इस प्रदेश के इस सदन में या किसी और अन्य प्रदेश के सदन में इस प्रकार के प्रस्ताव की आवश्यकता होगी। हम सब को इस बात के लिये कोशिश करनी चाहिये। लेकिन जो परिस्थिति है वह है और उसका तकाजा है कि इन भाइयों को अभी बड़ी सहानुभूति की, मदद की जरूरत है और उनकी मदद आवश्यक है।

यह तो सवाल दूसरा है कि किसी एक स्थान से हरिजन जनरल सीट से भी चुन कर आगया लेकिन हम सब जानते हैं कि एक दुर्भाग्य सा हमारे यहां है कि एलेक्शन में भी जात-पांत का विचार होता है और दूसरे लोगों में और हरिजनों में फर्क है और एलेक्शन में इस बात का असर पड़ता है। यदि एलेक्शन में उनका रिजर्वेशन न किया जाय तो इसमें संदेह नहीं कि बहुत-सी जगहों से हरिजन चुनाव में जीत कर नहीं आ सकेंगे।

अतः मैं समझता हूं कि जिन सज्जनों ने भी इसका विरोध किया है वे स्वयं अपने विरोध को वापस ले लेंगे और मैं आशा करता हूं कि निश्चय ही यह सदन इस संकल्प को पारित करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---अब प्रश्न यह है कि यह सदन संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित कान्स्टीट्यूशन (एट्थ अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५९ द्वारा "भारत का संविधान" के अनुच्छद ३३४ में प्रस्तावित संशोधन का अनुसमर्थन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आगामी कार्यक्रम

श्री उपाध्यक्ष---अब चीन वाले प्रस्ताव पर वाद विवाद होगा। इस पर विवाद शुरू होने से पहले यह निश्चित हो जाना चाहिये कि कब तक यह विवाद होगा और यदि इस संबंध में कोई समय निर्धारित होना है तो उसके लिये भी कोई सुझाव आना चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि इस समय चीन वाले प्रस्ताव पर विवाद शुरू कर दिया जाय। कल तो इस पर विवाद होगा ही। किन्तु मेरा निवेदन यह है कि परसों के दिन भी सदन की बैठक हो, और इस प्रस्ताव पर बहस हो। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि जो सामयिक स्थिति आज पैदा हो गयी है उस पर पूरी तरह से विचार हो सकेगा।

राजा वीरेन्द्र शाह---(जिला जालौन)---मेरा प्रस्ताव भी यह है, जैसा कि श्री राजनारायण जी ने कहा, यह प्रस्ताव दो दिन चले। साथ ही १५ मिनट लीडर्स के लिये तथा १० मिनट अन्य सदस्यों के लिये हों।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---उपाध्यक्ष महोदय, समय का विभाजन तो मैं नहीं कर सकता, वह तो जैसा आप उचित समझें करें, लेकिन जैसा कि मैंने अध्यक्ष महोदय से आज सवेरे भी निवेदन किया था इस सदन की कार्यवाही कल खत्म हो जाय क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य कल के बाद बैठना नहीं चाहते हैं और आगे कार्यवाही बढ़ाने में उनको असुविधा होगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था यदि उचित समझा जाय तो ५ बजे के बाद भी समय बढ़ा दिया जाय। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गन्ने के संबंध में भी माननीय अध्यक्ष ने बहस के लिये ढाई घंटे का समय निश्चित किया था और माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस विषय में कुछ सदन की जानकारी के लिये कहना चाहते थे। मुख्य मंत्री जी ने, जो इस सरकार ने अपनी सिफारिश केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है, उसके संबंध में भी कुछ कहने के लिये कहा था। तो वे यह जानकारी प्रस्तुत कर सकेंगे या नहीं और फिर इसके लिये कोई समय निर्धारित होगा और यदि होगा तो कब ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं इस प्रस्ताव के संबंध में ....

श्री उपाध्यक्ष---आप पहले एक बात की जानकारी कर लीजिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आज सबेरे भी मैंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि गन्ने के संबंध में भी बहस के लिये कुछ समय निकले। लेकिन वह समय कौन-सा होगा वह मैं नहीं कह सकता हूं। जो समय भी माननीय अध्यक्ष जी तय कर दें, वह ठीक होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---सर्वप्रथम मैं यह पुनः निवेदन करूंगा कि अगर परसों का दिन भी माननीय मुख्य मंत्री जी दे दें तो अच्छा होगा और अगर वह परसों का दिन भी चीनी विवाद में दे दें तो सभी माननीय सदस्यों को मान्य होगा और यह कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। जिन माननीय सदस्यों को असुविधा हो रही है उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी असुविधाओं को सहन करें तो बड़ी कृपा करेंगे।

गन्ना विवाद के संबंध में भी समय इससे निकल आयेगा और नियम ५३ के अनुसार और कोई भी यदि हो तो उसके लिये भी समय निकल सकता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा, जैसा नारायण दत्त जी ने अभी कहा है कि यह प्रस्ताव बहुत महत्व का है, उसके लिये कल का तो समय है ही परसों का भी समय दें और परसों आवश्यक हो तो समय बढ़ाकर गन्ना या अन्यान्य विषय जो हैं वह मुख्य मंत्री जी ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं यह भी उनसे निवेदन करूंगा कि जब हम लोगों ने उनकी इच्छानुसार आज कार्य किया तो वे भी हमारी इच्छाओं और भावनाओं का अनुभव करेंगे और एक दिन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे, ऐसा मैं उनसे आग्रह करूंगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया कि कुछ लोगों को बहुत असुविधा होगी। बहरहाल अभी कल तो चलेगा ही, देखेंगे यदि ऐसी कोई खास बात हुई तो परसों के लिये भी देख लेंगे। अभी तो कल तक के लिये चलना ही है।

श्री उपाध्यक्ष--अब यह रहा कि आज चीन के संबंध में विवाद शुरू होगा और कल चलेगा। जब यह विवाद समाप्त होगा उसके बाद गन्ना के प्रश्न पर विवाद ढाई घंटे का होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--मैं एक सूचना चाहता हूं। नियम ५३ के मुताबिक मैंने कानपुर की इन्क्वायरी के संबंध में चर्चा करने के संबंध में भेजा था एक प्रस्ताव . . . .

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपया बैठिये। पहले यह बतलाइये कि यह कब आया था ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--आप जब यहां नहीं थे।

श्री उपाध्यक्ष--आप उसे कल उठाइयेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आप सुन तो लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपया बैठिये। यह प्रश्न स्पीकर के विचाराधीन है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आप सुनेंगे भी नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--जी नहीं, जब वह स्पीकर के विचाराधीन है तब उसमें सुनने की कोई बात नहीं है। आप कृपया बैठिये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मोतीलाल अवस्थी--सुन तो लीजिये। आप सुनेंगे भी नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--जी नहीं। आप कृपया बैठिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी--तो मैं आपकी इस रूलिंग के विरुद्ध सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मोती लाल अवस्थी ने सदन का त्याग किया।)

चीन द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण के संबंध में प्रस्ताव

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--जैसी मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि हमारी नियमावली में गैर-सरकारी प्रस्तावों और संकल्पों के प्रस्तुत करने के लिये व्यवस्था है। इसमें धारा १०६ और ८९ इस सम्बन्ध में है। अगर धारा ८९ के मुताबिक इसको संकल्प के रूप में लते हैं तो उसमें एक प्रोसीजर लेडडाउन है कि कौन सज्जन कितना बोलेंगे और कब तक विवाद चलेगा। अगर १०६ के मुताबिक प्रस्ताव मानते हैं तो उसमें प्रोसीजर क्या होगा यह उसमें साफ-साफ लेडडाउन नहीं है और वह आपको तय करना होगा। तो मैं पहले यह जानना चाहूंगा कि इसे संकल्प के रूप में लिया जा रहा है या प्रस्ताव के रूप में, तब उसके बाद तय हो सकता है कि क्या प्रोसीजर होगा ?

श्री उपाध्यक्ष--दोनों दलों की आपसी बातचीत के बाद ही यह प्रस्ताव सदन में आया है, इसलिये विवाद के पहले यह निश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यह सरकारी प्रस्ताव है या प्राइवेट। मैं इसको रिजोल्यूशन के बजाय मोशन कहना ज्यादा पसन्द करता हूं, क्योंकि मोशन में रिजोल्यूशन भी शामिल हो जाता है। इस सम्बन्ध में आप नियमावली के नियम ११०, १११ और ११२ देखेंगे उसमें लिखा है कि २५ मिनट तक जो माननीय सदस्य प्रस्ताव पेश करेंगे उनको, और १५ मिनट अन्य माननीय सदयों को और जो जवाब देंगे,

उनको एक बार अगर वह बोलते हैं तो २५ मिनट और दोबारा बोलते हैं तो १५ मिनट का समय रहेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव--और संशोधन मूव करने वाले के लिये क्या नियम होगा? उसको जवाब देने का मौका मिलेगा या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष--ठीक है, जो संशोधनकर्त्ता संशोधन पेश करेंगे उनको पहली बार २५ मिनट और बाद में १५ मिनट का समय रहेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

> "यह सदन चीनी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा भारत की उत्तरी सीमाओं के अन्तर्गत बहुत बड़े भू-भागों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के बाराहोती, निलंग आदि स्थानों को जो कि ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा परम्पराओं से भारत एवं तदनुसार उत्तर प्रदेश के अभिन्न अंग हैं एवं रहे हैं, चीन की राष्ट्रीय सीमाओं के अन्तर्गत मानने तथा भारत को उन स्थानों एवं भू-भागों में आक्रान्ता तथा अनधिकृत-अधिकारी ठहराने आदि भारत-विरोधी कार्यों की तीव्र भर्त्सना करता है, तथा संस्तुति करता है कि इस साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से ओतप्रोत कम्युनिस्ट चीनी कुचेष्टा का सामना करने के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जायं, तथा सभी राष्ट्रीय तत्वों का सहयोग प्राप्त कर देश एवं उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमाओं की सबल रक्षा तथा सर्वांगीण विकास हेतु शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये जायं ताकि देश के भीतर तथा बाहर के राष्ट्रविरोधी तत्वों को नष्ट किया जाना भी सम्भव हो सके।"

श्रीमन्, गगनचुम्बी, दुर्गम, हिमाच्छादित-पर्वत-शृंखलाओं से घिरा हुआ अति शीतप्रधान देश तिब्बत सदैव स्वतंत्र रहा है। श्रीमन्, अगर हम इसके इतिहास पर विहंगम दृष्टि डालें तो देखेंगे कि यदाकदा चीन ने भले ही उसे दबाने की कार्यवाही की हो लेकिन उसका तिब्बत पर आधिपत्य नहीं रहा। जब कुब्लाईखान ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तब उसका प्रभाव कुछ दिनों तिब्बत पर रहा। मगर सन् १७२० में तिब्बत पूर्ण रूप से स्वतन्त्र था। उसके बाद जब छठा दलाईलामा चुना जाने लगा तो लामाओं के दो दलों में आपस में झगड़ा हो गया। उस वक्त चीन के प्रसिद्ध मंचू राजा कांगहती थे उन्होंने तिब्बत में हस्तक्षेप किया था और तब उसका कुछ दिनों तक तिब्बत में प्रभाव रहा। उसके बाद सन् १८५६ में नैपाल से तिब्बत का झगड़ा हुआ और उसमें जो राजीनामा हुआ उसमें भी चीन कहीं नजर नहीं आता। राजीनामे के अनुसार तिब्बत अभी हाल तक १०,००० सिक्के सालाना नैपाल को देता रहा है यानी १८५६ ई० में भी तिब्बत पूर्ण रूप से स्वतन्त्र था। १९११ ई० में चीन ने तिब्बत में अपना आधिपत्य जमाना चाहा और फौजें भेजीं मगर सन् १९१२ ई० में चीन के अन्दर विद्रोह खड़ा हुआ और तब तिब्बत वालों ने चीनियों को खदेड़ भगाया। इस तरह से बीच-बीच में थोड़े दिनों के लिये चाहे चीन की Suzerainty तिब्बत की राजधानी में रही हो लेकिन तिब्बत न तो कभी चीन के अन्दर रहा है और न चीन का उसके ऊपर कभी पूरा आधिपत्य ही रहा है। चीन का यह बिलकुल गलत दावा है कि तिब्बत उसका अंग है।

हमसे उस समय भूल हुई जब कि हम उसको दोस्त समझ बैठे और हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा लगा बैठे। जब हम उसके साथ पंचशील का व्यवहार कर रहे थे उस समय वह हमसे ढोंग कर रहा था। हमें धोका देकर उसने १०० मील लम्बी सड़क अक्साई चीन में हमारी छाती चीर कर बना डाली और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के बाराहोती स्थान की डेढ़ स्क्वायर माइल जगह पर तभी चीन ने अपना कब्जा जमा लिया। मुझे श्रीमन्, यह देख कर दुख होता है कि हमारे देश में कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनकी बातें सुन कर वहम होता है कि शायद उनकी नसों में दूसरे देशों का रक्त बहता है।

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

२१ अक्तूबर को चीन हमारी सीमा में न सिर्फ १०० मील घुस आया था बल्कि उसके बाद ४६ मील घुस कर उसने हमारे ९ सिपाहियों को मार डाला और ११ लोगों की जो दशा की वह करम सिंह के बयानों से इस सदन को मालूम हो ही चुकी है कि उनको गहरी खाइयों में डाला गया, उनको बरफ पर चलाया गया और भरपेट खाना नहीं दिया गया। यही नहीं, उनसे दुबारा कल्पित मुठभेड़ इस तरह जबरदस्ती करवाई गई जिसमें भारतीयों को हमलेवर का नाटक खेलना पड़ा। इसका फिल्म लिया गया ताकि भारत के खिलाफ झूठी शहादत तैयार हो। ये सारी बातें बताती हैं कि कम्युनिस्ट कहलाने वाली पार्टी के क्या सिद्धान्त हैं, वह कैसे झूठे दस्तावेज बनाती है तथा रोटी और कपड़ा का लालच देकर गरीब जनता को कैसे बहलाया जाता है और एक सब्ज बाग दिखाया जाता है, लेकिन उनकी असल मंशा क्या होती है वह इन सब बातों से स्पष्ट हो जाती है। मैं उस लम्बे चौड़े पत्र-व्यवहार पर नहीं जाना चाहता हूं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाऊ-एन-लाई में हुआ है। लेकिन उसका कुछ अंश जरूर कह देना चाहता हूं। जब चीन ने ग़लत नक्शे बनाये और हमारी ओर से एतराज हुआ और उनसे कहा गया कि ४०,००० वर्ग मील हमारा रकबा आपने ग़लत अपना दिखाया हुआ है तो चीन ने कहा कि नहीं, यह कुओमिन्तांग का बनाया ग़लत नक्शा है, हम इसे ठीक कर देंगे। लेकिन हुआ यह कि जितनी जगह दिखाई गई उसमें वे प्रवेश करने लगे और इस तरह वह अपने नक्शे ठीक कर रहा है। पंडित जी ने कितनी सुन्दर बात कही थी कि "आओ आपस में बैठ कर फैसला कर लें"। लेकिन चीन ने लांग्जू पर कब्जा कर लिया और हमसे कहा कि तथा-कथित मैकमैहोन लाइन के दक्षिण में आपने हमारी जगहों में अतिक्रमण किया है। आखिरी पत्र में वह कहते हैं कि तीन जगह, निलंग, जादूंग और लाप्थल, जो हमारे उत्तर प्रदेश की जगह हैं, ये तथा भारत के कुछ और स्थान, हमारे हैं। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री अब भी सब्र किये बैठे हैं और उनको धन्य है। इन हरकतों से हम देखते हैं कि चीन बराबर आगे बढ़ता आ रहा है। चीन की यह मंशा है, जैसा हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था, कि उसने एक गहरी चाल सोची है। जिस प्रकार से हमारे प्रधान मंत्री ने आइजनहोवर साहेब का स्वागत किया उससे चीन की गति जरूर कुछ रुकी, लेकिन करमसिंह आदि के साथ जो कुछ अत्याचार हुए वे हमारे सामने हैं।

जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह बिल्कुल सीमा पर पड़ता है। वहां मैं इंटीरियर में गया, माननीय प्रताप सिंह जी भी गये। हमने देखा कि लोग चीन की हरकतों से डरे हुए हैं। करमसिंह ने कहा है कि आखिर में उन्हें मोटरों में ले जाया गया और आल-वेदर रोड्स वहां बनी हुई हैं। हमें भी मालूम है कि चीन ने तिब्बती सीमा में अपने पिकेट्स बहुत बड़ी संख्या में बढ़ा लिये हैं और माइन्स बिछा रखी हैं और हजारों मील लम्बी बढ़िया मोटर सड़कें बना डाली हैं। सन् १९४६ में हमने कुछ मोटर की सड़क टनकपुर से पिथौरागढ़ तक बनाने की कोशिश की थी। उसे अब अस्कोट तक मामूली ३ टन की गाड़ी चल सकने लायक बनाया गया है। अस्कोट से धारचूला तक अभी मोटर चलने लायक सड़क नहीं बन पायी। धारचूला और अस्कोट के बीच में कोई पुल नहीं बना है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि उसे शीघ्र बनाया जाय। बाड़छीना और चौकोरी के बीच का टुकड़ा अगर जोड़ दिया जाता है तो रानीखेत जहां कुमाऊं रेजीमेंट की फौजें हैं वह तथा अल्मोड़े का हेड-क्वार्टर सीधे तिब्बत से जुड़ जायगा और इससे हमें और हमारे देश की सुरक्षा में बहुत सहायता होगी। पर्वतीय क्षेत्र में हमारे एयर स्ट्रिप्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होने चाहिये। इसलिये पिथौरागढ़ (बड़ा), गिवाड़ मुंसियारी (तिकसेन) और पांडूथल में अगर हम एयर स्ट्रिप्स बना लें तो हम अपने हवाई जहाज वहां उतार सकते हैं। यह निर्विवाद है कि चीन ने हमारे बार्डर पर हवाई अड्डे बना रखे हैं। हमारे रास्ते में चीन ने जो कुछ कर रखा है उससे लड़ने के लिये, रुपये का सवाल आगे नहीं आना चाहिये। देश की सुरक्षा के लिये हमने काश्मीर में अनगिनत रुपया बहाया है। यहां से डेढ़ सेर का चावल खरीद कर सरकार ने ५ सेर का वहां बेंचा है जिससे वहां का वोट हमें मिल सके। देश की रक्षा के लिये चाहे अन्य सारे काम बन्द हो जावें, कोई बात नहीं। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि माननीय

मुख्य मंत्री जी सिफारिश करें कि ये बार्डर के सारे के सारे जिले बार्डर एरिया डिक्लेयर कर दिये जावें और स्वदेशी व विदेशी पंचमांगी वहां से हटाये जायं। केन्द्रीय शासन भले ही वहां हो जाय, आर्मी के हाथ में भले ही यह इलाका चला जाय, हम एम० एल० एज० चाहे रहें या न रहें, संविधान ससपेंड हो जाय, हम अपनी सीट छोड़ने के लिये तैयार हैं, हमको पार्टी या अपनी सीट देश के मुक़ाबले में नहीं चाहिये, हमको देश चाहिये। कांग्रेस की सरकार रहे या न रहे, चाहे जनसंघ खत्म हो जाय लेकिन हिन्दुस्तान रहना चाहिये। अगर हिन्दुस्तान रहता ह तो हम भी रहते हैं और अगर हिन्दुस्तान नहीं रहता है तो न कोई पार्टी रहती है और न कोई सरकार रहती है।

पहले जार के जमाने में हमले का खतरा हुआ था। अंग्रेज बड़ा दूरन्देश था। टनकपुर से लेकर बागेश्वर तक उसने रेल बनाने के लिये सर्वे किया था। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां मैंगनीज के एक्सप्लायटेशन के लिये बड़ी जोरदार सिफ़ारिश की थी। लेकिन आज देश की सुरक्षा के लिये अकलकोट तक और कर्णप्रयाग से कोटद्वार तक रेलवे लाइन होना जरूरी है। भारत सरकार से मेरे पास लिख कर आ गया है कि यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी शामिल नहीं हो सकती। लेकिन चीन का हौसला दबने वाला नहीं है। यह वह कीड़ा या फोड़ा है जिसके लिये नश्तर की जरूरत है और वह काम रेलवे लाइन से हो सकता है।

इसके बाद मैं एक विचित्र घटना सुनाता हूं। दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने भी अखबारों में पढ़ा होगा। एक अजीब किस्म का प्रकाश वहां शाम से दिखाई पड़ता है, मेरे एरिया के बार्डर में। हो सकता है कि चीन के वहां कैम्प्स लगे हों या ज्वालामुखी का प्रकोप हुआ हो या आणविक कोई चीज हो। मगर इसकी जांच होनी चाहिये। यह एकाध दिन की घटना नहीं है। दूसरे, पंचचूली और त्रिशूल और उसके आसपास की बरफ़ इस साल अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक गल गई है। पिछले साल वहां जलजला तो आया था, शायद उससे हो गया हो। लेकिन इससे भी हमारे पर्वतीय सीमा के क्षेत्रों में खलबली मची हुई है और उसका निराकरण होना जरूरी है।

इसके अलावा, इस इलाके का औद्योगीकरण होना चाहिये। मैं इस सदन में कई बार अपना अरण्य रोदन कर चुका हूं कि "अगर समय पर हमने सीमावर्ती लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो ऐसा न हो कि वे कहीं बाहर की ओर देखने लगें"। मैंने, कुछ समय हुआ, इसी सदन में लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में कहा था कि ऐसी स्थिति हो सकती है और होने वाली है, उस समय की कार्यवाही निकाल कर देख ली जाय, उसमें मौजूद होगा और उस समय मेरा मजाक उड़ाया गया था, लेकिन आज वही बात सच निकली। इसी तरह से आज सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में, मैं चाहता हूं, मेरी बातों पर ध्यान दे। आज सुबह ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जिस प्रकार की बात सड़कों के बारे में अखबारों में कल निकली हैं वह राष्ट्र के हित में नहीं निकलनी चाहिये थी और अखबार वालों को भी इसमें संयम बरतना चाहिये।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह कम्युनिज्म का भूत जहां लोग भूखे होते हैं, उनकी भूख को भड़का कर आगे बढ़ता है। लोगों के पास जहां वस्त्र नहीं होते हैं, उनको कपड़े का सब्ज बाग दिखाकर यह आगे बढ़ता है। जनता के मन को हम रोटी और कपड़ा देकर ही मना सकते हैं। माननीय खाद्य मंत्री जी ने एक बार कहा था कि इस सीमावर्ती (पहाड़ी प्रदेश) में साधारण वर्ष में ३ महीने से ज्यादा का खाना नहीं होता है। याद रहे, साम्यवाद भूख व बेकारी के कंधे पर चढ़ कर आता है। इसलिए वहां पर औद्योगीकरण होना चाहिये। वहां पर केन्द्रीय सरकार को स्विटजरलैन्ड की भांति घड़ी बनाने का कारखाना खोलना चाहिये। फलों के काम को भी वहां और बढ़ाया जाना चाहिये। यह ठीक है कि आप खेती पर इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में अधिक पया रख रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि उसमें रुपया आप इतना अधिक न रखिये, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आप फल में जो रुपया रख रहे हैं उसे और बढ़ाइये क्योंकि पहाड़ों के लिये इसके अतिरिक्त और कुछ सहारा नहीं है। आप फलों के लिए सारे प्रदेश के

[श्री गोबिन्दसिंह बिष्ट]

लिए ७२ लाख रुपया इस तृतीय योजना में रख रहे हैं। पता नहीं उसमें से पहाड़ों के हिस्से में कितना रुपया आयेगा। मेरी राय है कि उसको और बढ़ाया जाय और वह ज्यादा से ज्यादा पहाड़ों पर खर्च किया जाय।

आज तक हमारे यहां अधिकतर ऊन तिब्बत से आती थी। अब वह आना बन्द हो रहा है। दूसरी ओर आप इस उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिये आपको इस "Raw material" के साधनों को भी जुटाना होगा। आपका भेड़ पालन विभाग जो इस संबंध में कर रहा है उसको संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। इसको भी तेजी से किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। २–२, ३–३ भेड़ें वहां पर हैं और अगर उनमें से भी एक खा डाली गई तो कह दिया जाता है कि लकड़बग्घा उसको उठा ले गया।

सीमा पर कुछ मंगोल मिश्रित ब्लड के लोग हैं, यद्यपि उनका देश प्रेम ऐसा ही है जैसा आपका व हमारा। वे भारतीय हैं, उन पर मुझे कोई शक नहीं है। मगर चीन इसका दुरुपयोग कर सकता है। उनमें से दो चार ने हाल में मजाक में मुझसे कहा कि हम तो भूखों मरते हैं, हमें तो जिधर रोटी मिलेगी हम उधर ही देखेंगे। इस क्षेत्र में बहुत से पंचमार्गी भी तिब्बत व नीच से घुस आये हैं। आज नैपाल से और जम्मू काश्मीर तक से ऐसी खबरें आ रही हैं। कोई चीनी कम्युनिस्ट तो रोटी लेकर आता है, कोई जोगी बन कर आता है, कोई बुलेट लेकर आता है, तो कोई पंचमार्गी बन कर आता है। हमें इन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिये। आप बार्डर एरिया को बिलकुल सील कर दें, विदेशियों और पंचमार्गियों को वहां पैर न रखने दें। हमारे जिले में एक लोककलाकार नाम की नागिन सरकार ने पाली है। हमारी तरफ से जब चीनियों के विरोध में सभा हुई तो उन्होंने सरहद पर चीनियों के समर्थन में सभा कर डाली। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री अपने सूचना विभाग से भी सावधान रहें। डिलट्ज में मय तारीख व नम्बर के कान्फीडेंशल लेटर्स किस प्रकार भेजे गये? ये गुप्त से गुप्त बातें किस प्रकार से बाहर चली जाती हैं? जिलों से आई गुप्त बातें भी बाहर बताई जाती हैं, इसका निदान ढूंढ़ना होगा। इसी लखनऊ में चीनी दूतावास का एक अधिकारी आता रहता है जो हमारे कई अधिकारियों व पार्टी विशेष से न्यूज कलक्ट करता है। पार्टी विशेष का एक चीनी विंग खुला हुआ है जो यहां की बातें कलेक्ट करके उनको देता है। चाहे ऐसे लोग हमारे भाई ही क्यों न हों, लेकिन देश के आगे देश-द्रोह के लिए हमें उनके विरुद्ध हथियार उठाने में पीछे नहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त लखनऊ में हमारी सरकार के ऊंचे से ऊंचे लोग चाहे होश में अथवा शराब की पार्टियों की बेहोशी में ऐसी बातें आउट कर देते हैं जिनका चीनी लोग फायदा उठाते हैं। मुझे पता लगा है कि सूचना विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ तो कुछ स्टेप लिया जा रहा है लेकिन वहां पर बालूपुरी वगैरह कई और हैं जिनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि वह इसकी जांच करे क्योंकि उनके हाथ में आज देश का भाग्य लटक रहा है। इसके अलावा, एक मेरी अर्ज यह है कि सीमा के रहने वाले जो भोट के लोग हैं उनमें व्यापार के बंद होने व बेरोजगारी से बहुत अशान्ति उत्पन्न हो गयी है। अगर आप चाहें तो उन भोट लोगों को भावर या अन्य एरिया में बसा सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो उनमें से जो बाहर बसना चाहें उनसे बार्डर खाली करा लीजिये, उनको सीमा पर किसी हालत में भी न रहने दीजिये क्योंकि वहां उनकी गुजर होना कठिन हो गयी है। आज पहाड़ों पर औद्योगीकरण की बहुत जरूरत है। बरेली की फैक्टरी को बड़ा बनाने से लोगों को वह लीसा नहीं मिल पायेगा। यह लीसा कुटीर उद्योग को दीजिए। वहां पर ऐसे उद्योग जो लीसे वगैरह के बरेली में होते हैं, वहां ही हो सकते हैं। वहां पर बहुत से छोटे-छोटे उद्योग धंधे पनप सकते हैं। इसी तरह से माइनिंग के लिये भी कुछ होना चाहिये, लेकिन अभी तक लंबा समय बीत पर भी उसके लिये कुछ नहीं हो पाया है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस तरफ भी तवज्जह अवश्य दें।

इन पहाड़ों पर एक दिक्कत यह है कि छोटी-छोटी जो सिंचाई की योजनायें हैं वे अलाभकर हैं, जिससे वे तमाम पंचवर्षीय योजनाओं में स्वीकृत होने पर भी टर्न डाउन हो गयीं, जैसे वारामंडल

की सेंज व कलसीमा गूलें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान में जो कई ऐसी योजनायें हैं उन्हें बनवा दिया जाय, चाहे वे अलाभकर ही हों। बागेश्वर तहसील जो भारत की सीमा से नजदीक से नजदीक है वहां एक उच्च से उच्च अधिकारी रहे। शायद रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इसलिये हंस रहे हैं कि वह जगह मेरी कांस्टीटुएंसी में है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वह जगह तो कांग्रेस पार्टी के ही माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह की कांस्टीटुएंसी में है। श्रीमन्, मैं तो देश की भलाई के लिये ही यह बात कहता हूं। श्रीमन्, नक्शे को देखें तो हमारे यहां का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा जिले के एक कोने में पड़ता है, जिससे हमारे यहां के लोगों को अदालत के लिए बहुत दूर आना पड़ता है। बोर्ड आफ रेवेन्यू ने भी प्रस्ताव पास किया था कि इन सीमावर्ती जिलों के लिये एक तहसील बागेश्वर में ही कर दी जाय।

तिब्बत के रिफ्यूजीज चाहे भले ही हमारे यहां एक हजार और भी बस जायं लेकिन पंचमार्गी के रूप में जो भी आदमी पाये जायं उनमें से एक को भी इस बार्डर एरिया में घुसने की इजाजत न दी जाय। जिनके ऊपर जरा भी शक हो उनको वहां से हटा कर दूसरी जगह बसा दिया जाय। इसमें जरा भी विलम्ब नहीं होना चाहिये चाहे स्वदेशी व विदेशी पंचमांगियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी पड़े।

श्रीमन्, एक चीज की मैं आपको याद दिला दूं कि क्या हम इस बात को भूल सकते हैं कि हमारे जिन ९ देशभक्त सिपाहियों ने अपनी जानें दीं वे न तो मशीन गन लेकर गये थे, न टामी गन लेकर गये थे और उन्होंने अक्साई चिन में अपना बलिदान देश के लिये कर दिया। आज उन लोगों की आत्मायें पुकार-पुकार कर कहती हैं कि "हमने अपनी जान दे दी, हमने अपनी गर्दन दे दी, लेकिन इसका बदला आप लोग लेंगे और अपनी कुर्बानी देंगे"। साथ ही, श्रीमन्, उन मृतक सिपाहियों की लाश चीन ने उस दिन दी जब कि १४ नवम्बर को यहां बाल दिवस तथा अपने प्रधान मंत्री का जन्म दिवस मनाया जा रहा था। जिस दिन हमारे प्यारे प्रधान मंत्री का जन्म दिन मनाया जा रहा हो उस दिन उन ९ लाशों को लौटाने से इस बात पर स्पष्ट रोशनी पड़ती है कि चीन की क्या मंशा है। क्या इस तरह से चीन ने हमारे प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू का अपमान नहीं किया? क्या यह उत्तर प्रदेश की ६ करोड़ जनता का अपमान नहीं है? क्या यह समस्त भारत की ४० करोड़ जनता का अपमान नहीं है और क्या यह शान्ति चाहने वाले समस्त विश्व का अपमान नहीं है? हमें चीन की इन हरकतों से सावधान होना है और सतर्क रहना है। हमारे प्रदेश के उत्तर में ३२० मील का फ्रन्ट है और गढ़वाल, टेहरी और अल्मोड़ा ३ जिलों का बार्डर है, उसमें १२ पास हैं और उनमें सब से कमजोर पास लेपू लेक का है, जिसके द्वारा उधर से आसानी से लोग आ सकते हैं, वहां पर जो सिपाही हमारे इस समय हैं वे नाकाफी हैं। इस समय कितने हैं, यह बात तो बताने की नहीं है लेकिन वे बहुत कम हैं। साथ ही जरूरत इस बात की है कि उनको हुक्म दिया जाय कि वे बर्फ के समय नीचे उतर कर न आयें और वहीं पर डटे रहें। जब हमारे सिपाही जम्मू तथा काश्मीर में १२,०००फीट की ऊंचाई पर रह सकते हैं तो वहां पर ९,००० फीट की ऊंचाई पर वे आसानी से रह सकते हैं जिस तरह से चीन मंगोलियन लोगों को लाया है और समझता है कि मैदान वाले उनसे नहीं लड़ सकते। ऐसी हालत में हमें चाहिये कि जो हमारे अल्मोड़ा, गढ़वाल के लोग हैं उनको भर्ती करें। उनके दो डिवीजन शीघ्र बनाये जायं ताकि जरूरत पड़ने पर हिम्मत के साथ उनको वे जवाब दें कि उनकी ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर भिड़ा दें। यहीं के रहने वाले थे कि जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में रोमेल और मुसोलिनी की फौजों को भगाया था और उन्होंने जो कश्मीर में अपना बलिदान दिया वह इतिहास में अद्वितीय है। इससे पहले कि हमारे वैभव ताजमहल पर या किसी विधान भवन पर खराश आये हमें लाजिम है कि हम आततायियों को पहाड़ों में प्रवेश करते ही, यानी उनके पहले कदम पर ही, खत्म कर दें ताकि वे हमेशा के लिये गलत कार्यवाही से बाज आ जायं। इसके लिये यह सरकार केन्द्र को सिफारिश कर सकती है। लेकिन एक चीज यह सरकार खुद कर सकती है और वह यह है कि गांव समाजों में सुरक्षा दल और डिफेंस आर्गेनाइजेशन बनाये जायं जिनको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाय, पर्वतीय प्रदेश में हर जगह पुराने

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

पेंशनयाफ्ता (रिटायर्ड) मिलिटरी के लोग मौजूद हैं, वह बिना कुछ लिये हुए या थोड़े से वेतन पर ट्रेनिंग देने को तैयार हैं। इसलिये तेजी से लोगों को कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग देना जरूरी है और हम चाहते हैं कि जो चीनी हमले को बार्डर इन्सीडेंट मानते हैं उनको यह ट्रेनिंग न दी जाय। इन शब्दों के साथ, मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—अब श्री चन्द्रजीत यादव अपना संशोधन उपस्थित करेंगे, फिर दूसरे संशोधनकर्ता बोलेंगे और उसके बाद और माननीय सदस्यों को अवसर दिया जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस प्रस्ताव में यह संशोधन उपस्थित कर रहा हूं—

"१—प्रस्ताव में जहां कहीं भी 'चीनी कम्युनिस्ट सरकार' आया है उसके स्थान पर 'चीनी लोक गणराज्य' रख दिया जाय।

२—प्रस्ताव की पंक्ति ४ में 'आक्रान्ता तथा' शब्द निकाल दिये जांय।

३—प्रस्ताव की पंक्ति ५ में 'ठहराने' तथा 'करता है' के बीच के शब्द निकाल कर उसके स्थान पर 'को अनुचित समझता है' रख दिया जाय।

४—प्रस्ताव की पंक्ति ५ के अन्त में 'तथा' शब्द और उसके आगे प्रस्ताव का शेष अंश हटा कर उस के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

यह सदन भारत सरकार की शान्तिमय समझौते द्वारा सीमा सम्बन्धी विवादों को हल करने की नीति का पूर्णतया समर्थन करते हुए यह विश्वास दिलाता है कि अपने प्रदेश एवं राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा हेतु जो भी कदम उठाये जायेंगे उसमें हमारा पूर्ण सहयोग एवं समर्थन होगा।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हिन्दुस्तान और चीन की सीमा पर जो वाद-विवाद उत्पन्न हो गया है वह न केवल हमारे देश के लिये बल्कि सारे विश्व के लिये और मानव जाति के लिये एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हिन्दुस्तान की रक्षा के सम्बन्ध में और यहां की सीमा की रक्षा के सम्बन्ध में हमारे देश के नागरिकों में चिन्ता व्याप्त है और विकलता पैदा हो गई है कि कैसे राष्ट्र की और सीमा की रक्षा की जाय और यह चीज अत्यन्त स्वाभाविक है। किसी भी राष्ट्र का या किसी भी देश की सरकार के लिये यह सर्वप्रथम कर्तव्य हो जाता है कि वह देश की सीमाओं की पूर्ण शक्ति के साथ रक्षा करे।

प्रश्न यह है कि आज जो सीमा विवाद चीन और हिन्दुस्तान के बीच में पैदा है उसको हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, कैसे देखते हैं और उसको हल करने का क्या तरीका हो सकता है। ऐसी समस्याएं जब उत्पन्न होती हैं तो उनको हल करने के दो तरीके हो सकते हैं, पहला युद्ध का और दूसरा शान्तिपूर्ण समझौते का, बातचीत के द्वारा समस्या को सुलझाने का। श्रीमन्, मेरा यह विश्वास है कि आज न केवल हिन्दुस्तान का बल्कि संसार का प्रत्येक समझदार नागरिक इस बात को चाहता है कि दुनिया में युद्ध की विभीषिका फिर से पैदा न हो। आज जब कि मानव जाति अपने उत्थान के लिये पूरी शक्ति से जुटी हुई है और मानवता का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको अब तक वह अधिकार प्राप्त नहीं है जो एक मनुष्य को होने चाहिए, उन समस्याओं के समाधान के लिए जुटा हुआ है तो कोई भी युद्ध नहीं चाहेगा। हमने पिछले दिनों में दो विश्व युद्ध देखे हैं। हमने देखा कि संसार में जब युद्ध का वातावरण पैदा होता है या युद्ध होता है तो किस प्रकार से मानवता के विनाश के लिये सारे प्रयास किये जाते हैं। ऐसी हालत में मेरा पूर्ण विश्वास है कि किसी भी देश के साथ इस प्रकार की समस्या यदि उत्पन्न होती है तो शान्तिपूर्ण ढंग से उसका समाधान निकालना ही उचित है।

आज यह किन दो देशों के बीच विवाद है ? चीन और भारत ऐसे देश हैं जिनका सदियों से अत्यन्त गहरा संबंध रहा है; जिनका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और दूसरे ढंग से निकट का संबंध रहा है । एक दूसरे से हमने बहुत कुछ सीखा है । एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रहा है । यह दोनों देश वे देश हैं जो आज सम्पूर्ण एशिया की धुरी बने हुए हैं । जिनसे सारे एशिया के पिछड़े हुए देश प्रेरणा प्राप्त करते हैं और जिनसे उन्हें अपने भविष्य को बनाने की झलक मिलती है । श्रीमन्, हमार देश की जनता ने और चीन की जनता ने, यदि "हिन्दी चीनी भाई भाई" का नारा देकर, अपने संबंधों की पुष्टि की थी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह सही बात थी, वह जनता की भावना थी । उस भावना को हमें समाप्त नहीं करना चाहिए । (शोर) ।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि हमारे मित्र जो घबड़ा रहे हैं वह घबड़ाएं नहीं । शान्ति के साथ सुनें । उन्होंने प्रस्ताव रखा है और मैंने भी संशोधन रखा है । मेरे संशोधन रखने का क्या मंशा है उसे जरा सुन लें फिर उसके बाद भाषण में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करें । मैं यह कह रहा था कि वह नारा न केवल भारत और चीन की जनता के हित में था बल्कि सारे विश्व के और मानवता के हित में था । अगर किसी भी तरफ से उसको समाप्त करने का प्रयास होता है तो उसे हम अनुचित समझते हैं ।

श्रीमन्, यह दुख की बात है कि ऐसी घटनाएं हुईं । लेकिन इस संबंध में हमारे देश की सरकार और हमारे प्रधान मंत्री इस समस्या को सुलझाने के लिये जो प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार हिम्मत के साथ उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिये प्रयास किया है, सारा विश्व आज उनके इस कदम की प्रशंसा कर रहा है । आज भारत सरकार और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस संकट की घड़ी में भी धैर्य और साहस के साथ उन शान्तिमय सिद्धान्तों पर टिके हुए हैं जो सिद्धान्त न केवल भारत की जनता के हित में हैं, बल्कि सम्पूर्ण मानव जाति के लिये आज उन सिद्धान्तों की सबसे अधिक आवश्यकता है । उन सिद्धान्तों पर अटल रह कर आज उन्होंने एक बहादुर नेता की तरह से मानवता के एक शुभचिन्तक के रूप में अपना परिचय दिया है जिसकी प्रशंसा किये बगैर हम नहीं रह सकते हैं ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—अब इस समय कोई वैधानिक प्रश्न नहीं है, आप उनका भाषण सुनिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, तो मैं यह कह रहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कदम उठाया है वह एक ऐसा कदम है जो न केवल हिन्दुस्तान के लिये बल्कि सम्पूर्ण मानव जाति के लिये विश्वास पैदा करने वाला है और उसके हित में जाने वाला कदम है । इसको दो तरह से देखी जा रहा है । हमारे देश के अन्दर ऐसे लोग हैं जो इस अवसर का लाभ उठा करके देश के अन्दर और सम्पूर्ण विश्व के अन्दर एक युद्ध का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं । वे इस बात को भूल जाते हैं कि युद्ध की विभीषिका जब प्रारम्भ होती है, आज के युग में, उससे कोई नहीं बच सकता क्योंकि आज के युग में सीमित युद्ध नहीं होगा । आज संसार के किसी कोने में कहीं युद्ध होता है तो उसका प्रभाव सारे संसार पर पड़ता है और इस बात को प्रधान मंत्री से हमारी जनता से ज्यादा बेहतर, मुझे विश्वास है, और कोई नहीं समझ पा रहा है । इसीलिये वह आज उन सिद्धान्तों पर अटल हैं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि माननीय सदस्य ने प्रस्ताव पर संशोधन दिया है जिससे स्पष्ट है कि वह चाहते हैं कि चीन

[श्री गौरीशंकर राय]

को आक्रामक न कहा जाय । उस पर नहीं भाषण दे रहे हैं और जवाहरलाल जी के प्रेम के मारे मरे जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं गौरीशंकर राय जी से कहूंगा कि यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—केवल एक संकेत कर रहे हैं, माननीय गौरीशंकर राय जी, कि जब स्तुति होगी तो निन्दा भी होगी । माननीय यादव जी अगर स्तुति करेंगे तो हो सकता है कि किसी को कुछ निन्दा भी करनी हो ।

श्री उपाध्यक्ष—जब निन्दा होगी तो उस समय मैं देखूंगा । मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस तरह से वैधानिक प्रश्न उठाकर किसी वक्ता के भाषण में खलल न डालें ।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, इस बात का आप ध्यान रखें कि मुझे १५ मिनट का समय मिला है, उसमें से यह समय, जो इंटरप्शन्स में गया है, काट दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, मैं इस बात को कह रहा था कि मैंने जो संशोधन दिया है उसमें 'चीनी कम्युनिस्ट सरकार' निकालने के लिये कहा है । वह इसलिये कहा है कि हर देश के संविधान में अपने देश के लिये एक नाम होता है । चीनी कम्युनिस्ट सरकार का एक आफिशियल नाम है और इसीलिये हमने संशोधन रखा है कि उस आफिशियल नाम को ही रखा जाय, जहां भी 'चीनी कम्युनिस्ट सरकार' शब्द आये हैं ।

दूसरी बात श्रीमन्, जहां 'आक्रान्ता' शब्द आया है, माननीय गौरीशंकर राय ने कहा है कि प्रस्ताव में जहां चीन को आक्रान्ता कहा गया है उसे ऐग्रेसर हम नहीं मानते हैं । उन्होंने शायद प्रस्ताव को पढ़ा नहीं । इसमें चीन के लिये 'आक्रान्ता' शब्द नहीं प्रयोग किया गया है बल्कि यही कहा गया कि चीन की सरकार भारत को उन क्षेत्रों के अन्दर आक्रान्ता मानती है और अनधिकृत अधिकारी मानती है । मैंने इस संशोधन को इसलिये रखा है कि चीन की सरकार ने भारत को कहीं भी आक्रान्ता नहीं कहा है । इस सम्बन्ध में चीन और भारत के प्रधान मंत्रियों में पत्र-व्यवहार हुये हैं । उस सम्बन्ध में दो ह्वाइट पेपर्स संसद में पेश हुये, उनके अन्दर चीन की सरकार ने भारत की सरकार को ऐग्रेसर नहीं कहा है, फिर हम क्यों कहें ? इस तरह की बात हमें नहीं कहनी चाहिये । इसलिये मैंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया है ।

दूसरे जो प्रस्ताव का अन्तिम भाग है जिसको निकालने के लिये मैंने कहा है, उसको निकालने का मन्तव्य यह है, मैंने पहले बतलाया कि हम इस बात को चाहते हैं कि हमारे जो सीमा विवाद हैं उनका समाधान शान्ति के साथ और समझौते के साथ हो । हमारे देश के अन्दर इस पर विवाद हुआ और पार्लियामेंट के अन्दर भी लोगों ने अपनी-अपनी राय प्रकट कीं । लेकिन भारत सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था, यद्यपि कुछ लोगों की राय यह थी कि समझौते के रास्ते को बन्द कर देना चाहिये, और प्रधान मंत्री ने बड़ी मजबूती और पूरी शक्ति के साथ कहा कि हमें अन्तिम क्षण तक १० वर्ष से लेकर १०० वर्ष तक नेगोशियेट करना पड़ेगा; तो निश्चित रूप में मैं समझौते के रास्ते को चुनूंगा । इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे देश की सरकार ने जो इस रास्ते को अपनाया है उसे हमको निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिये और इस सदन को भी यह इम्प्रेशन नहीं देना चाहिये कि युद्ध का उन्माद पैदा हो । मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि हमें इस बात के लिए पूरी शक्ति लगानी चाहिये, आश्वासन देना चाहिये, कि हम अपने देश की सीमा की रक्षा के लिये कोई कसर नहीं उठा रखेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—यादव जी के ५ मिनट बाकी हैं । मैं अपने विशेषाधिकार से समय को ५ मिनट बढ़ाना चाहता हूं ।

श्री राजनारायण--तो मैं भी प्रस्ताव करना चाहता हूं ....

श्री चन्द्रजीत यादव--आपने क्या उनको बोलने का अधिकार दे दिया है ?

श्री राजनारायण--मैं प्रस्ताव रख रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--वे समाप्त कर लें तब आप प्रस्ताव कर दें ।

श्री राजनारायण--उसके पश्चात् कहीं समय व्यतीत न हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--आपके प्रस्ताव के लिये मैं दो एक मिनट और बढ़ा दूंगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव--माननीय गोविन्दसिंह विष्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी के सम्बन्ध में कहा है कि इसमें सन्देह है कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने देश की रक्षा के प्रति या अपनी सीमा के प्रति वफादार है और कम्युनिस्ट पार्टी सम्भवतः इस परिस्थिति में भी अपने देश का और राष्ट्र का विरोध कर रही है । मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केवल यहीं नहीं दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं रहा है जहां गरीब जनता तथा पद-दलित जनता के हितों के खिलाफ जो लोग नारे देते हैं वे कम्युनिस्ट पार्टी को बदनाम करने के लिये जरूर ऐसे अवसरों की तलाश किया करते हैं और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी पर गन्दे व असत्य आक्षेप लगाने की चेष्टा की है ।

कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कौंसिल ने सीमा-विवाद के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त किया है । आज प्रश्न दो हैं । आया हमारी सीमा जो है जिसको भारत सरकार मानती है, हमारे देश की जनता मानती है, उसे कम्युनिस्ट पार्टी मानती है या नहीं ? दूसरे, देश के ऊपर यदि कोई हमला होता है बाहर से, तो कम्युनिस्ट पार्टी देश की रक्षा करेगी या नहीं ? जहां तक सीमा का प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि देश के उत्तरी-पूर्वी हिस्से में जो मैकमहोन लाइन है, जो सीमा मानी गई है, उसका चाहे कोई भी इतिहास रहा हो, उसे ही भारत और चीन के बीच की सीमा मानती है और यह भी माना है कि मैकमहोन लाइन के दक्षिण का भाग भारत का अंग है । हम उसी बात को कहते हैं जिसे भारत सरकार कहती है और देश की जनता जिसे अपनी सीमा मानती है उसे ही हम भी मानते हैं ।

दूसरे, सीमा का प्रश्न लद्दाख में आता है । उसके सम्बन्ध में हमारे प्रस्ताव में साफ कहा गया है कि भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में सही कदम लिया है और उसकी बात का हम समर्थन करते हैं। वहां परम्परागत जो सीमा रही है वह सीमा हमारी है । चूंकि नेहरू जी ने भी कहा था कि उस क्षेत्र के अन्दर सीमा स्पष्ट नहीं थी, दोनों देशों के प्रधान मंत्री बैठ कर उस सीमा का निर्धारण करें ताकि हमेशा के लिये इस प्रश्न का हल हो जाय और यह ठीक भी है कि दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों को बैठ कर जहां सीमा अस्पष्ट हो उसे स्पष्ट कर लेना चाहिये ।

दूसरा प्रश्न उठता है कि अगर हमारे देश के ऊपर हमला होता है तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या करेगी ? कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने प्रस्ताव के अन्दर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हमारे देश की एक-एक इंच भूमि हमारे देश की भूमि होगी और उसकी रक्षा करने के लिये कम्युनिस्ट पार्टी अपना सर्वस्व न्योछावर कर देगी । इस बात को मैं साफ कर देना चाहता हूं कि आज जो लड़ाई का एक वातावरण पैदा करना चाहते हैं उनमें से बहुत से लोग उस समय और जगह नजर आयेंगे । इसके पीछे एक षडयन्त्र है ऐसी पार्टियों का जो मुल्क की प्रतिक्रियावादी पार्टियां हैं । पार्लियामेंट के अन्दर जब यह नारा दिया गया कि हमें नया प्रधान मंत्री चाहिये, नया सुरक्षा मंत्री चाहिये, हमें भारत की शान्तिमय नीति को बदलना चाहिये, पंचशील को खत्म कर देना चाहिये, समझौते के रास्ते को बन्द कर देना चाहिये तो इसके पीछे जो उनकी भावना है वह हिन्दुस्तान को ही नहीं बल्कि सारी मानव जाति को लड़ाई में ढकेल कर बरबाद कर देना चाहती है । हमें विश्वास है कि हमारे देश की जनता उनके इस षड्यन्त्र को असफल करेगी और हमारे प्रधान मंत्री को इस बात का विश्वास दिलायेगी कि हम अपने देश की सीमा की रक्षा पूरी शक्ति के साथ

[श्री चन्द्रजीत यादव]

करेंगे लेकिन, हर हालत में हम युद्ध की विभीषिका अपने मुल्क के अन्दर नहीं पैदा करना चाहेंगे।

श्रीमन्, इन शब्दों के साथ में अपने संशोधनों को प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे देश की जनता जो अपने उन्नति के कामों में लगी है, उससे हटाने के लिये जो प्रयास हो रहा है, उसको हम रोकेंगे और इस बात का विश्वास दिलायेंगे कि सीमा की रक्षा के लिये हम हर तरह से तैयार रहेंगे और उसका शान्तिमय हल निकालेंगे ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि जितने संशोधन हैं, अगर ज्यादा समय न बढ़ाया जाय, तो इन संशोधनों को आज ले लिया जाय ताकि कल ठीक तरीके से सदन में उन तमाम बातों पर विवाद हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष--आज अगर इस प्रस्ताव को आप न पेश करें और कल ही जो कुछ कष्ट सदन को उठाना हो वह उठा ले तो अच्छा हो ।

श्री राजनारायण--जो हमारा कोई आग्रह नहीं है, यह संशोधन ही चाहते थे कि हो जायं।

श्री उपाध्यक्ष--अब कल ही होंगे । अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२८ दिसम्बर, १९५९ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६९ पर)

तालिका

वर्ष	आय	व्यय का ब्यौरा						
		कर्मचारियों का वेतन व भत्ता	यात्रा व्यय	सहकारी समितियों को अनुदान	विभागीय परिवहन तथा अन्य व्यय	नरसरियों का किराया	नरसरियों के सुधार पर व्यय	योग
१९५७–५८	.. २४,२४४.८१	८०२१.८८	८४०.८०	५,०००.००	३,३९३.७०	..	..	१७,२५६.३८
१९५८–५९	.. १९,७०९.०३	७,८७८.९७	१,२२८.६५	५,०००.००	७,२९१.९३	१४५.००	२००.००	२१,७४४.५५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३–१४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७२ पर।)

Recruitment and Training of Part-time Accountants

1. The subsidy given by Government has to be utilized mainly for meeting the cost of a part-time accountant to be employed by each Service Co-operative for keeping the accounts and generally running the office of the Society. The Accountant should possess the following qualifications :

(1) He should have passed the Middle Examination.

(2) He should be above 25 years of age.

(3) He or his father must be a cultivating farmer either as *Sirdar* or as an *Asami*.

(4) One who has been trained as Gram Sahayak and has done good work should be given preference.

(5) He should, after training, be found otherwise suitable.

2. The Accountants will be employees of the Society concerned and will have to be appointed by a resolution of the Board of Management of the Society. It will, however, be necessary to extend guidance to the Boards in this connection. The Co-operative Supervisor or the Village Level Worker entrusted with the task would prepare a list of all eligible persons in the village and submit it to the Co-operative Inspector or A. D. O. (Co-operative), who will prepare a panel of a few names per Society in order of merit. This panel will then be jointly examined by the D. C. O. and the B. D. O. and put up before the Board of Directors for final selection. The powers of the Board will, however, not be circumscribed by this panel and it will be perfectly entitled either to select a name out of the panel or to appoint some one from outside. Government officials are prohibited from exercising their influence in favour of any candidate, and the choice of the Board should remain unfettered.

3. The initial pay to be given to an accountant will be Rs.25 per month but a suitable scale of pay with chances of advance increments for good workers is being worked out and will soon be laid down by the Registrar, Co-operative Societies, Uttar Pradesh.

4. The future of service co-operatives will certainly depend to a good extent on the performance of these Accountants. It is, therefore, absolutely necessary to give them thorough training in the working of co-operative societies. A syllabus and an operational manual is being drawn up by the Registrar and will soon be supplied to all the districts. The Accountants will be trained in batches of 30 each at convenient places in the districts. Training will be imparted by Senior Co-operative Inspectors to be selected and initially trained by the Deputy Registrars themselves and will last for 15 days.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी २५२ एल० ए०—१९६०—८४५।